SARVA SHIKSHA ABHIYAN

सर्व शिक्षा अभियान

(S.S.A.)

परसपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

तथा

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

(2003-04)

जनपद–बस्ती

विषय सूची

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जनपद का सामान्य परिचय	1-6
2.	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	7-24
3.	नियोजन प्रक्रिया	25-44
4.	सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य एवं लक्ष्य	45-49
5.	समस्या एवं रणनीति	50-53
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार I	54-57
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार II	58-74
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	75-89
9.	जनपद में शिक्षा के गुणवत्ता का संवर्द्धन	90-136
10.	परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण	137-146
11.	परियोजना लागत	147-152
12.	परियोजना लागत का सारांश	153
13.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2003-04	154-160

अध्याय-1

जनपद का सामान्य परिचय

समय, काल, परिस्थिति के अन्तर्गत प्रकृति प्रत्येक चीजों का परिवर्तन करती है उसी प्रकार मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम के गुरू वशिष्ठ के नाम के अपभ्रंश के कारण इस जनपद का नाम स्थानीय इतिहासविद् के अनुसार बस्ती पड़ा है। जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश के तीन बड़े जिलों में एक जिला रहा है जो पूर्व में गोरखपुर मण्डल का जिला था। वर्ष 1997 में बस्ती जनपद को दो जिलो में विभक्त किया गया। वर्तमान में मण्डल बस्ती में जनपद सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर को मिलाकर जनपद बस्ती मण्डल मुख्यालय बनाया गया।

राज्य मुख्यालय लखनऊ से लगभग 200 कि०मी० पूरब दिशा में स्थित बस्ती के पूरब में प्राचीन एवं विख्यात जनपद संत कबीर नगर एवं गोरखपुर हैं जिनमें से संत कबीर नगर मगहर कस्बे के पूर्व आमी तट पर स्थित महान संत कबीर जी की पुण्य निर्वाण स्थली तथा जनपद गोरखपुर धार्मिक पुस्तकों के लिए विख्यात गीता प्रेस एवं नाथ सम्प्रदाय के गुरू गोरखनाथ की तपस्थली एवं उर्दू के प्रसिद्ध शायर फिराक एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेम चन्द्र की कर्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम में जनपद गोण्डा है जहां दक्षिण में स्थित जनपद फैजाबाद को बस्ती से घाघरा नदी अलग करती है वहीं उत्तर में नवसृजित जनपद सिद्धार्थ नगर जो बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यह 26.23' तथा 27.30' उत्तरी अंक्षाश के मध्य एवं 82.017' तथा 83.20' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

यह जनपद शहीद शिव गुलाम सिंह एवं नगर राजा ए०पी०एन० सिंह अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कर्मस्थली के साथ-साथ आचार्य पं० राम चन्द्र शुक्ल, डा० सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, डा० अख्तर बस्तवी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकार एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार डा० लक्ष्मी नारायण लाल आदि, इस जनपद की महान विभूतियाँ रही हैं। सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से जुड़ा मण्डल बस्ती का मुख्यालय होने के कारण प्रदेश मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान रखता है यहां आई०टी०आई०, पालीटेक्निक कालेज तथा प्रदेश स्तर का औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र जैसे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान हैं। पूर्वांचल में औद्यानिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने एवं स्वरोजगार के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से वर्ष 1956-57 में स्थापित इस केन्द्र द्वारा उच्च कोटि के फलदार व शोभाकार पौधे, सब्जी व मसालों के बीज/पौध केवल बस्ती जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश के समस्त जनपदों एवं अन्य प्रदेशों को भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

जनपद बस्ती के मुख्य दर्शनीय/पर्यटक स्थल में भदेश्वर नाथ का प्राचीन शिव मंदिर, मखौड़ा जहां राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ सम्पन्न कराया था। आज भी श्रृंगिनारी में श्रृंग ऋषि का आश्रम विद्यमान है। किवदन्ती के अनुसार पण्डूल घाट विकास क्षेत्र कप्तानगंज का नाम पाण्डवों द्वारा वनवास के दौरान प्रवास करने के कारण पड़ने पर आज भी चर्चा करने का विषय है। चन्दोताल जहां देश-विदेश के पक्षी ऋतु परिवर्तन के साथ प्रवास करते हैं तथा कुआनों नदी पर बना वन विहार को प्राकृतिक रूप से जीव-जन्तुओं की शरणस्थली के रूप में विकसित किया जा रहा है।

जनपद की कुल जनसंख्या 2001 में 20,68,922 है जिसमें 10,79,971 पुरूष तथा 9,88,951 महिलाएं हैं। जातिवार जनसंख्या एवं उनका प्रतिशत अभी प्राप्त नहीं है। अतः जनगणना विवरण 1991 की जनगणना के आधार पर दी जा रही है। जनपद में 0-6 वर्ष के कुल बच्चों की जनसंख्या 2001 जनगणना के अनुसार 3,91,874 है जो कुल जनसंख्या का 18.9 प्रतिशत है।

क्र०सं०	विवरण	पुरूष	महिला	योग	प्रतिशत
1	कुल जनसंख्या	878218	797141		-
2	अनुसूचित जाति	185006	167413		21.0
3	अनुसूचित जनजाति	62	20	85	नगण्य

1991 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या का 86 प्रतिशत से अधिक कृषि पर आधारित है लगभग 1.44 प्रतिशत लोग पारिवारिक उद्योग में एवं 3.82 प्रतिशत व्यापार वाणिज्य में संलग्न हैं। यहाँ 93 प्रतिशत से अधिक हिन्दी भाषी एवं शेष अन्य भाषा बोलने वाले हैं। उद्योग धन्धे लगभग नहीं के बराबर हैं प्लास्टिक काम्पलेक्स बस्ती के नाम से बना उद्योग क्षेत्र लगभग मृतप्राय है। कृषि आधारित उद्योग के रूप में डेयरी (दुग्ध केन्द्र) तथा तीन चीनी मिल स्थित हैं।

राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 28 पर स्थित जनपद बस्ती का कुल क्षेत्रफल 2771.7 वर्ग कि०मी० जिसमें 221000 हेक्टेयर खेती योग्य, लगभग 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र, 2418 हेक्टेयर ऊसर क्षेत्र है एवं शेष क्षेत्र खेती योग्य नहीं है। जनपद में कुल 3 तहसीलें, 13 विकास खण्ड 139 न्याय पंचायतें हैं। बस्ती जनपद के नगर क्षेत्र का क्षेत्रफल 53.4 वर्ग किमी० है और ग्रामीण क्षेत्र 2718.2 वर्ग किमी० में फैला है। जनपद की भूमि समतल है जिसमें कुआनों एवं मनोरमा नदियां उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। समुद्रतल से ऊंचाई 290 फीट है। वन क्षेत्र की अधिकांश लकड़ी ईंधन प्रयोग में लाई जाती है। इमारती लकड़ी का अभाव है। 487 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास खण्ड साल्टौआ तथा 8 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास खण्ड गौर में है।

जनपद से गुजरने वाले मुख्य नदियां घाघरा, कुंआनो, कठनइयां है। जनपद वस्ती का सही विकास नहीं हो सकने के कारण वारिश के समय जल जमाव आम समस्या है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों का सड़क मार्ग, जल जमाव के कारण कट जाता है। शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा यह जनपद इस योजना के माध्यम से विकास की एक सीढ़ी तय कर सकेगा।

जिले की प्रशासनिक इकाइयां :-

वस्ती जनपद उ०प्र० के पूर्वांचल का प्रमुख जनपद है। इसमें कुल 4 तहसीलें, 14 विकास खण्ड, । नगर पलिका तथा । टाउन एरिया है।

जिनका विवरण नीचे तालिका में है :-

जिले की प्रशासनिक इकाइयां

	संख्या
तहसील	4 वस्ती, भानपुर, हर्रैया, रूधौली
विकास खण्ड	14
न्याय पंचायत	139
ग्राम पंचायत	1049
आवाद वस्तियां	3066
गैर आवाद वस्तियों की संख्या	288
नगरीय क्षेत्र	-
नगर निगम	-
नगरपालिका	1
टाउन एरिया	1 हर्रैया
वार्ड	25

सोत :- जिला सांख्यिकी प्रत्रिका 1999 एवं विकास विभाग 2003

विकास खण्डवार प्रशासनिक संरचना निम्नवत् हैं-

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	आवाद ग्रामों की संख्या	गैर आवाद ग्रामों की संख्या	कुल बस्तियों की संख्या
1.	परशुरामपुर	11	82	245	5	250
2.	गौर	13	95	264	13	277
3.	हर्रैया	12	86	287	15	302
4.	विक्रमजोत	12	85	328	62	390
5.	कप्तानगंज	11	93	285	27	312
6.	रामनगर	10	69	170	7	177
7.	सल्टौआ	11	82	239	19	258
8.	रूधौली	8	71	153	26	179
9.	सांऊघाट	10	74	231	8	239
10.	बस्ती सदर	10	86	263	42	305
11.	बनकटी	12	82	206	19	225
12.	बहादुरपुर	10	74	266	30	296
13.	कुदरहा	9	70	129	15	144
योग		**139**	**1049**	**3066**	**288**	**2354**
14.	दुबौलिया बाजार	वर्ष 2003 में नवसृजित				

जनांकिकीय विवरण :-

बस्ती जनपद की जनसंख्या :-

1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 16.75 लाख है। जनसंख्या का घनत्व जनपद में 604 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है महिला पुरूष आनुपात 1000 रू० 916 है अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 352419 है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वि०क्षे० साऊंघाट में है तथा 2001 की अनुमानित जनसंख्या 20,68,922 है जिसमें 10,79,971 पुरूष एवं 9,88,951 महिलाएं हैं।

विकासखण्डवार 1991 की जनसंख्या तथा 2001 की अनुमानित जनसंख्या नीचे की सारणी में उल्लिखित है :-

सारणी- 1.2

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित, कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	परशुरामपुर	61281	57328	118609	75185	70335	145520
2.	गौर	74219	68154	142373	91564	83618	175182
3.	हर्रैया	62717	59790	122507	76947	73356	150303
4.	विक्रमजोत	61901	56360	118261	75946	69148	145094
5.	कप्तानगंज	63951	58647	122598	78461	71439	149900
6.	रामनगर	60544	54811	115355	74281	67348	141629
7.	सल्टौआ	69649	62639	132288	81845	77215	159060
8.	रूधौली	42061	37178	79239	54054	42261	96315
9.	सांऊघाट	73374	66957	140331	88511	83039	171550
10.	बस्ती सदर	79971	71030	151001	100553	91681	192234
11.	बनकटी	65703	58951	124654	79726	75149	154875
12.	बहादुरपुर	70892	64382	135274	80879	76225	157104
13.	कुदरहा	41273	37488	78761	53707	49958	103665
	योग ग्रामीण	827536	753715	1581251	1011659	930772	1942431
14.	नगर क्षेत्र	50682	43426	94108	68312	58179	126491
	महायोग	**878218**	**797441**	**1675359**	**1079971**	**988951**	**2068922**
15.	दुबौलिया बाजार	वर्ष 2003 में नवसृजित					

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार अनुसूचित जनसंख्या

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	परशुरामपुर	11601	10970	22571	14269	13493	27762
2.	गौर	14895	13496	28391	18320	16600	34920
3.	हर्रैया	14061	13427	27488	17295	16515	33810
4.	विक्रमजोत	11551	10743	22294	14207	13213	27420
5.	कप्तानगंज	14186	12947	27133	17448	15924	33372
6.	रामनगर	9937	8718	18655	12222	10723	22945
7.	सल्टौआ	13301	11695	24996	16360	14384	30744
8.	रूधौली	8162	7187	15349	10039	8840	18879
9.	सांऊघाट	17927	16186	34113	22050	19908	41958
10.	वस्ती सदर	17969	15974	33943	22101	16648	38749
11.	बनकटी	17269	15366	32635	21240	18900	40140
12.	बहादुरपुर	16998	15176	32174	20907	18666	39573
13.	कुदरहा	9610	8595	18205	11820	10571	22391
	योग ग्रामीण	**177467**	**160480**	**337947**	**218278**	**194385**	**412663**
14.	नगर क्षेत्र	7539	6933	14472	9272	8527	17800
	महायोग	**185006**	**167413**	**352419**	**227550**	**202912**	**430463**
15.	दुबौलिया बाजार	वर्ष 2003 में नवसृजित					

अध्याय -2

शैक्षिक परिदृश्य

वर्ष 1997 से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा था जो 30.06.2003 को समाप्त हो गया जिसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्यगत बच्चों का नामांकन कराना एवं विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित कराना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना रहा है। इसकी पूर्ति हेतु 256 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 96 जर्जर प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निमाण, 280 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 150 शौचालय तथा 65 हैण्डपम्प की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

साक्षरता दरः- जनपद की कुल साक्षरता 35.7 प्रतिशत जिसमे ग्रमीण क्षेत्र की 33.5 प्रतिशत तथा नगर क्षेत्र की 70.7 प्रतिशत है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की साक्षरता प्रतिशत निम्न सारणी मे दिया गया है।

साक्षरता सम्बन्धी विवरण

जनपद की साक्षरता विवरण (1991)	साक्षरता (प्रतिशत)
1. कुल साक्षरता	35.7
2. कुल महिला साक्षरता	18.2
3. कुल पुरुष साक्षरता	51.3
4. ग्रामीण साक्षरता	33.5
5. नगरीय साक्षरता	70.7
6. ग्रामीण पुरुष साक्षरता	49.5
7. ग्रामीण महिला साक्षरता	15.8
8. नगरीय पुरुष साक्षरता	80.2
9. नगरीय महिला साक्षरता	59.3

स्रोत : जिला सांख्यकी पत्रिका 1999

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता 54.28 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 68.16 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सफलता पूर्वक संचालन एवं क्रियान्वयन से विगत वर्षों में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विशेषकर महिला साक्षरता दर जो 1991 की जनगणना के अनुसार 18.2 थी जो बढ़कर 39 प्रतिशत हो गयी है। जनपद बस्ती मे विकास खण्डवार महिला एवं कुल साक्षरता की स्थिति निम्नवत है।

विकास खण्डवार साक्षरता की स्थिति

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता प्रतिशत (1991)		
		पुरूष साक्षरता	महिला साक्षरता	कुल साक्षरता
1.	बस्ती सदर	56.7	20.2	39.7
2.	साऊँघाट	53.2	16.5	35.8
3.	कप्तानगंज	51.3	17.0	35.0
4.	सल्टौआ	52.1	14.9	34.5
5.	हरैया	49.9	17.9	34.1
6.	विक्रमजोत	45.8	16.6	31.9
7.	परशुरामपुर	41.1	11.6	26.9
8.	रामनगर	44.8	16.6	31.9
9.	कुदरहा	46.5	13.6	30.9
10.	रुधौली	47.6	15.8	32.7
11.	गौर	48.5	14.5	32.3
12.	बनकटी	54.9	16.5	36.6
13.	बहादुरपुर	47.1	16.1	32.4
14.	नगरक्षेत्र	80.2	59.3	70.7

स्रोत :- जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1999

नोट :- वर्ष 2001 की जनगणनानुसार विकास क्षेत्रवार साक्षरता अभी प्रकाशित नहीं की गई है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नगर क्षेत्र के बाद बस्ती सदर विकास खण्ड की साक्षरताप्रतिशत सर्वाधिक 39.7 प्रतिशत है। जबकि दूसरे नम्बर पर बनकटी विकास खण्ड आता है। जनपद मे सबसे कम साक्षरता 28.9 परशुरामपुर विकास खण्ड की तथा दूसरे स्थान पर कुदरहा विकास खण्ड का 30.9 प्रतिशत है।

ग्रामीण महिला साक्षरता के दृष्टिकोण से मात्र बस्ती सदर विकास खण्ड की साक्षरता जनपद की औसत महिला साक्षरता से अधिक है। परशुरामपुर, कुदरहा, रुधौली विकास खण्ड की साक्षरता न्यूनतम है। इनमे बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक संस्थाएं :-

जनपदीय सांख्यिकी पात्रिका 1999 के अनुसार 1998-99 में प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता 62 थी जो वर्ष 2000-01 में बढ़कर 66.58 हो गयी। जनसंख्या एवं उपलब्ध विद्यालयों को देखते हुये जनपद में प्राथमिक विद्यालय की और आवश्यकता है। बस्ती जनपद आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़ा है एवं जनपद विश्व बैंक सहायित परियोजना (डी०पी०ई०पी०) से आच्छादित होने के बावजूद भी शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है तथा शिक्षा सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं के अभाव की पूर्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में स्वीकृत 50 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 103 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार के वर्तमान मानक के अनुसार समस्त असेवित बस्तियों को सेवित किया जा रहा है। शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति अधोलिखित सारणी से स्पष्ट है।

जिले की शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति

क्र. सं.	स्तरवार विद्यालय	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्राथमिक विद्यालय	1313	33	1346	368	48	413	1681	78	1759	51	9	60
2.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	217	7	224	195	29	224	412	36	448	-	-	-
4.	माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	02	02	04	83	13	96	85	15	100	-	-	-
5.	केन्द्रीय वि०	-	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-
6.	नवोदय वि०	01	-	01	-	-	-	01	-	01	-	-	-
7.	हाई स्कूल	02	-	02	39	7	46	41	7	48	-	-	-
8.	इण्टर मीडियट	-	02	02	44	6	50	44	8	52	-	-	-
9.	डिग्री का०	04	01	05	04	02	08	08	3.	11	-	-	-
10.	स्नातकोत्तर	-	-	-	-	02	02	-	-	02	-	-	-
11.	विश्व विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	तकनीकी संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	आई०टी. आई./ पालीटेक्निक	01	02	03	-	-	-	01	02	03	-	-	-
14.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली से संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	05	08
15.	आगन बाड़ी केन्द्रों की संख्या	1569	-	1569	-	-	-	1569	-	1569	-		-
16.	मक्तब/ मदरसे	-	-	-	50	7	57	50	7	57	47	4	51
17.	संस्कृत पाठशालाएं	-	-	-	16	3	19	16	3	19	-	-	-
18.	विकलांग संस्थाएं	-	-	-	3	1	4	3	1	4	-	-	-
19.	बाल श्रमिकोंकी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	डायट	-	-	-	-	-	-	01	-	01	-	-	-
21.	बीआरसी	-	-	-	-	-	-	13	-	13	-	-	-
22.	एन.पी. आर.सी.	-	-	-	-	-	-	139	-	139	-	-	-

स्रोत : जिला सांख्यिकी पत्रिका 1999 एवं विभागीय आकड़े 2003

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय) :

छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार जनपद में शिक्षकों की संख्या अत्यन्त कम है। वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार छात्र अध्यापक अनुपात 91:1 है। अध्यापकों की पूर्ति एक सीमा तक 1367 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है। फिर भी शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1490 पद रिक्त हैं।

प्रति वर्ष सेवानिवृत शिक्षकों की संख्या में बढ़ोत्तरी व उसके सापेक्ष शिक्षकों की व्यवस्था न होने तथा गत वर्षों में विद्यालयों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी के कारण शिक्षकों की कमी की यह स्थिति और विकराल होती जा रही है। जिस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

शिक्षकों की उपलब्धता

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षामित्रों की सं०
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	4002	2512	1490	1367
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	889	655	234	0

स्रोत : विभागीय आंकड़े अगस्त 2003

वर्तमान में जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का कुल सृजित पद 4002 है जिसमें मात्र 2512 ही कार्यरत हैं। ड्राप आउट बच्चों को निकालने के बाद बचे हुए छात्र संख्या के आधार पर भी 1:40 के अनुपात में अध्यापकों की यदि आवश्यकता देखी जाय तो जनपद में 2004 में 5718 अध्यापको की आवश्यकता होगी। कार्यरत अध्यापकों की संख्या घटायी जाय तो 3206 अध्यापकों की आवश्यकता है यदि इसमें शिक्षा मित्रों की संख्या घटायी जाय तो 1839 अध्यापकों की आवश्यकेता है। अध्यापकों की इस कमी के कारण कुछ विद्यालयों को एक अध्यापकीय आधार पर चलाया जा रहा है जो गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए बाधक है।

शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य, शालात्यागी बच्चों के शून्यीकरण के लक्ष्य एवं असेवित बस्तियों में विद्यालयों के लक्ष्य की पूर्ति करते हुए पूर्व में स्वीकृत संख्या के आधार पर जो अध्यापकों की आवश्यकता बन रही है, वह अध्याय 8 में दर्शाया गया है।

विद्यालय सुविधायें/बस्तियां :

1. असेवित क्षेत्र (प्राथमिक स्तर) :-

जनपद में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों से जहां अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं एवं चल रही हैं वहीं अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 1.5 किमी० के अन्दर कोई विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी असेवित क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक बाधाओं के कारण 1.5 किमी० के अन्दर विद्यालय होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जनपद में मानक के अनुसार असेवित क्षेत्रों की स्थिति निम्न सारणी से स्पष्ट है :- 139 आसेवित बस्तियो को सेवित करने के लिए 50 विद्यालय प्रतावित है जिसे वर्ष 2003-04 में स्वीकृत किया जा चुका है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	1 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी० से अधिक किन्तु 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	नवीन प्रस्तावित प्रा० वि० वर्ष 2003-04 में स्वीकृत
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक हैं	1663	539	139	50
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है	225	350	167	EGS 167

2. असेवित क्षेत्र (उच्च प्राथमिक स्तर) :-

जनपद के आकड़ों को देखा जाय तो 11-14 वय वर्ग के बच्चों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में विद्यालय बहुत कम है इसका परिणाम यह होता है कि इस वय वर्ग में नामांकन दर अपेक्षाकृत कम होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2003 तक शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य पूर्ति हेतु विद्यालय की पहुंच का विस्तार किया जाना है। इसके लिए प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायगी। हालांकि दो प्राथमिक के लिए जनपद में कहीं-कहीं मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, किन्तु उनका दृष्टिकोण व्यवसायिक होने, तथा शत-प्रतिशत नामांकन में कोई रूचि न लेने के कारण प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक परिषदीय/शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लक्ष्य पर ही शत-प्रतिशत नामांकन कराया जा सकेगा।

इस प्रकार जनपद में कुल प्राथमिक विद्यालय के आधार 2:1 के मानक तथा पूर्व से उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के आधार आवश्यकता निम्न सारणी से स्पष्ट है- जो वर्ष 2003-04 में स्वीकृत 103 उच्च प्राथमिक विद्यालयों से पूर्ण/संतृप्त हो जायेगी।

असेवित क्षेत्र (उच्च प्राथमिक स्तर) :-

विवरण	कुल ग्राम (800 से अधिक आबादी)	3 किमी से कम पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 किमी से अधिक पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	नवीन प्रस्तावित उ०प्रा०वि०
ऐसे बस्तियों की सख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक हैं	625	252	291	252
ऐसे बस्तियों की सख्या जिनकी आबादी 800 से कम हैं	1145	1044	100	AIE 000

स्रोत : सांख्यिकी प्रत्रिका 1999 एवं विभागीय आंकड़े।

विकास क्षेत्रवार सेवित तथा असेवित बस्तियाँ (प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक)

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	300 से अधिक बस्तियों की सं०	ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है				
			1 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 से 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 से 1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित नवीन प्रा०वि०/ [illegible]	प्रस्तावित नवीन उच्च प्रा०वि०
1.	परशुरामपुर	182	129	39	14	12	15
2.	गौर	208	162	28	18	11	22
3.	हरैया	206	165	27	14	12	19
4.	विक्रमजोत	201	156	33	12	10	16
5.	कप्तानगंज	205	148	41	16	12	22
6.	रामनगर	150	100	38	12	11	21
7.	साल्टौआ	190	130	43	17	12	18
8.	रूधौली	118	69	36	13	10	19
9.	सांऊघाट	198	139	46	13	10	23
10.	बस्ती सदर	190	124	51	15	10	18
11.	बनकटी	184	125	41	18	11	19
12.	बहादुरपुर	202	159	33	10	8	22
13.	कुदरहा	107	57	37	13	10	18
	योग	2341	1663	493	185	[illegible]	[illegible]

[illegible]

जनसंख्या की दृष्टि से परिषदीय/शासकीय विद्यालयों की उपलब्धता देखा जाय तो प्रति 1537 जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय एवं प्रति 9236 की जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता है। यदि कुल उपलब्ध विद्यालयों में मान्यता प्राप्त विद्यालय भी सम्मिलित कर लिए जांय तो प्रति 1176 जनसंख्या पर एक प्राथमिक तथा प्रति 3775 जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता है।

बच्चों की संख्या के दृष्टिकोण से यदि विद्यालय की उपलब्धता देखी जाये तो 242 बच्चों पर एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा यदि मान्यता प्राप्त को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो 198 बच्चों पर एक प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सम्पूर्ण बस्तियां या ग्राम सभाएं सेवित हो गयी हैं। कतिपय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है तो कतिपय में कम। राज्य सरकार के वर्तमान मानक के अनुसार अब भी 50 प्राथमिक विद्यालय खुलने योग्य बस्तियां शेष हैं, जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्वीकृत 50 प्राथमिक विद्यालय (2003-04) से सेवित किया जा रहा हैं।

नगरीय क्षेत्र में भूमि की अनुलब्धता के कारण मात्र ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकतानुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2:1 का अनुपात रखने के लिए 496 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी परन्तु समस्त असेवित बस्तियों की आवश्यकता पूरी करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में स्वीकृत 103 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय से जनपद के समस्त असेवित बस्तियों के राज्य सरकार के वर्तमान मानक के अनुसार सेवित किया जा रहा है।

नामांकन :-

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण / बाल गणना 2001

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	6-11 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	परशुरामपुर	11203	10480	21683	10820	9832	20652	383	648	1031
2.	गौर	13643	12459	26102	13213	11656	24869	430	803	1233
3.	हरैया	11465	10930	22395	10879	10138	21017	586	792	1378
4.	विक्रमजोत	11316	10303	21619	10503	9084	19587	813	1219	2032
5.	कप्तानगंज	11691	10644	22335	10870	9599	20469	821	1045	1866
6.	रामनगर	11067	10034	21101	9929	8509	18438	1138	1525	2663
7.	सल्टौआ	12194	11505	23699	11448	10513	21961	746	992	1738
8.	खथौली	10054	8297	18351	8937	6609	15546	1117	1688	2805
9.	सोऊखाट	11188	10373	21561	10626	9559	20185	562	814	1376
10.	बस्ती सदर	14982	13661	28643	14106	12740	26846	876	921	1797
11.	बनकटी	11879	11197	23076	11349	10411	21760	530	786	1316
12.	बहादुरपुर	12051	11357	23408	11163	10453	21616	888	904	1792
13.	कुदरहा	8002	7444	15446	7592	6742	14334	410	702	1112
	योग	150735	138684	289419	141435	125845	267280	9300	12839	22139
14.	नगर क्षेत्र	10178	8691	18869	9361	8009	17370	817	862	1499
	महायोग	**160913**	**147375**	**308288**	**150796**	**133854**	**284650**	**10117**	**13521**	**23638**

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण / बाल गणना 2001

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	11-14 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	परशुरामपुर	4736	4431	9167	3788	3544	7332	948	887	1835
2.	गौर	5768	5268	11036	4663	4214	8877	1105	1054	2159
3.	हरैया	4848	4621	9469	3975	3889	7864	873	732	1605
4.	विक्रमजोत	4785	4356	9141	3780	3484	7264	1005	872	1877
5.	कप्तानगंज	4943	4500	9443	3855	3510	7365	1088	990	2078
6.	रामनगर	4679	4243	8922	3649	3309	6958	1030	934	1964
7.	सल्टौआ	5156	4864	10020	4073	3793	7866	1083	1071	2154
8.	रूधौली	3405	2662	6067	2788	2188	4976	617	474	1091
9.	सांऊघाट	5576	5231	10807	4572	4389	8961	1004	842	1846
10.	बस्ती सदर	6334	5776	12110	5230	4836	10066	1104	940	2044
11.	बनकटी	5022	4735	9757	4067	3835	7902	955	900	1855
12.	बहादुरपुर	5095	4802	9897	4076	3937	8013	1019	865	1884
13.	कुदरहा	3383	3147	6530	2774	2580	5354	609	567	1176
	योग	**63730**	**58636**	**122366**	**51290**	**47508**	**98798**	**12440**	**11128**	**23568**
14.	नगर क्षेत्र	4303	3666	7969	3657	3116	6773	646	550	1196
	महायोग	**68033**	**62302**	**130335**	**54947**	**50624**	**105571**	**13086**	**11678**	**24764**

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन (6-11 वय वर्ग के बच्चे), 2001

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति के छात्र			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन का %
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	परशुरामपुर	7606	7136	14742	2177	1973	4150	71.40
2.	गौर	11224	9766	20990	3406	3006	6412	84.40
3.	हर्रैया	9601	9183	18784	3176	2918	6094	89.30
4.	विक्रमजोत	9348	8755	18103	2733	2606	5339	92.40
5.	कप्तानगंज	8996	9434	18430	3077	3098	6175	90.00
6.	रामनगर	7675	6071	13746	2191	1913	4104	74.50
7.	सल्टौआ	5189	7485	16674	2630	2284	4914	75.90
8.	रूधौली	9404	7342	16746	3142	2660	5802	90.00
9.	सांऊघाट	8866	8118	16984	3286	3098	6384	84.10
10.	बस्ती सदर	8713	8206	16919	3562	3391	6953	63.00
11.	बनकटी	8497	8331	16828	3810	3679	7489	77.33
12.	बहादुरपुर	10174	9890	20064	3973	3713	7686	92.80
13.	कुदरहा	6578	6023	12601	2753	2304	5057	87.90
	योग	**111871**	**105740**	**221611**	**39916**	**36643**	**76559**	**82.90**
14.	नगर क्षेत्र	2817	2482	5299	848	842	1690	30.50
	महायोग	114688	108222	226910	40764	37485	78249	79.72

सितम्बर 2002 में परिषदीय विद्यालयों में नामांकन की स्थिति

जनपद-बस्ती

क्र. सं.	कक्षा का विवरण	कुल नामांकन			पिछड़ी जाति			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कक्षा-1	39792	30408	70200	17199	13901	31100	13519	9105	22624	–	–	–	3928	3211	7139
2.	कक्षा-2	27739	22172	49911	12009	9461	21470	7989	6652	14641	–	–	–	2936	2152	5088
3.	कक्षा-3	20124	16495	36619	8553	7215	15768	5923	4591	10614	–	–	–	2126	1805	3931
4.	कक्षा-4	17393	14890	32283	7292	6163	13455	4981	4306	9287	–	–	–	2076	1735	3811
5.	कक्षा-5	13549	11136	24685	5729	4815	10544	3433	2891	6324	–	–	–	1706	1412	3118
योग		118597	95101	213698	50782	41555	92337	35845	27645	63490	–	–	–	12772	10315	23087
6.	कक्षा-6	6634	4483	2561	2561	1745	4306	1417	897	2314	–	–	–	731	442	1173
7.	कक्षा-7	5430	3862	2103	2103	1519	3622	996	732	1728	–	–	–	618	391	1009
8.	कक्षा-8	4765	332	1755	1755	1216	2971	811	645	1456	–	–	–	517	301	818
कुल योग		16829	11667	28496	6419	4480	10899	3224	2274	5498	–	–	–	1866	1134	3000

जुलाई- 2003

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन (6-11 वय वर्ग के बच्चे)

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति के छात्र		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	परशुरामपुर	8420	8190	16610	2674	2803	5477
2.	गौर	9779	9014	18893	3135	3010	6145
3.	हर्रैया	9173	12781	21954	3201	6229	9430
4.	विक्रमजोत	8872	8905	17777	2585	2396	4981
5.	कप्तानगंज	8926	10037	18963	3346	3280	6626
6.	रामनगर	9901	8848	18749	2557	2314	4871
7.	सल्टौआ	9357	8876	18233	2551	2506	5057
8.	रूधौली	6627	5608	12235	1767	1623	3390
9.	साऊघाट	9119	8744	17863	3278	3302	6580
10.	बस्ती सदर	8279	10148	18427	3328	4969	8297
11.	बनकटी	7969	8577	16546	3547	3640	7187
12.	बहादुरपुर	10590	10821	21411	4088	4120	8208
13.	कुदरहा	6094	5836	11930	2101	1932	4033
	योग	**113206**	**116385**	**229591**	**38158**	**42124**	**80282**
14.	नगर क्षेत्र	1581	1781	3362	649	590	1269
	महायोग	**114787**	**118166**	**232953**	**38837**	**42714**	**81551**

कक्षावार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन (11-14 वय वर्ग)

जुलाई- 2003

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	कक्षा-6					कक्षा-7					कक्षा-8				
		अनु०जाति सं०		अन्य वर्गों का नामांकन		योग	अनु०जाति सं०		अन्य वर्गों का नामांकन		योग	अनु०जाति सं०		अन्य वर्गों का नामांकन		योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका		बालक	बालिका	बालक	बालिका		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	परशुरामपुर	117	93	308	215	733	107	77	212	135	531	100	161	161	130	422
2.	गोर	132	121	243	161	657	112	89	229	109	539	111	81	193	104	489
3.	हरैया	141	127	420	333	1021	156	119	303	249	827	135	113	344	175	767
4.	विक्रमजोत	155	126	243	222	746	85	95	206	178	564	80	42	166	167	455
5.	कप्तानगंज	138	130	294	274	836	130	125	273	200	728	120	117	237	194	668
6.	रामनगर	118	87	345	147	697	101	79	228	128	536	60	43	209	136	438
7.	सल्टौआ	135	95	337	209	776	105	65	341	195	706	89	39	284	170	582
8.	रूधौली	115	65	245	76	501	75	27	164	62	328	63	19	172	58	312
9.	सांऊघाट	183	184	368	297	1032	161	126	293	225	805	132	69	260	171	632
10.	बस्ती सदर	144	136	214	280	774	132	121	190	211	654	112	97	152	199	560
11.	बनकटी	194	166	191	159	710	198	152	178	107	635	115	105	200	102	522
12.	बहादुरपुर	167	153	432	279	1031	134	137	340	203	814	112	97	298	201	708
13.	कुदरहा	100	56	193	162	511	127	54	260	149	590	84	43	190	147	464
	योग	**1834**	**1534**	**3833**	**2814**	**10025**	**1623**	**1266**	**3217**	**2151**	**8257**	**1313**	**406**	**2866**	**1934**	**7019**
14.	नगर क्षेत्र	67	34	73	60	234	50	47	82	68	247	45	29	67	62	203
	महायोग	**1906**	**1573**	**3906**	**2874**	**10254**	**1673**	**1313**	**3299**	**2219**	**8504**	**1358**	**935**	**2933**	**1996**	**7222**

विद्यालय में भौतिक सुविधाएं :

(क) प्राथमिक स्तर :-

जनपद के समस्त विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं जो सम्प्रति उपलब्ध है। उनका विवरण अधोलिखित सारणी में अंकित है। भौतिक सुविधाएं आवश्यकतानुरूप नहीं हैं, इनकी पूर्ति एवं इसके पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है :-

प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक (1.8.2003 की स्थिति) सुविधायें

क्र. सं.	विद्यालय भवन एवं कक्षा कक्ष	कुल विद्यालयों की सं० नगर क्षेत्र सहित	भवन युक्त	भवनहीन	जर्जर (पुनर्निर्माणयोग्य)
1.	प्राथमिक विद्यालय भवन	1346	1334	-	56
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की सं०	0			
3.	दो कक्षीय विद्यालयों की सं०	421			
4.	तीन कक्षीय विद्यालयों की सं०	626			
5.	चार कक्षीय विद्यालयों की सं०	159			
6.	पांच कक्षीय विद्यालयों की सं०	87			
7.	5 कक्ष से अधिक वाल विद्यालय	41			

नोट :- नगर क्षेत्र के कुछ विद्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं।

3.	शौचालय	शौचालययुक्त वि०	शौचालय विहीन वि०	शौचालयों की आवश्यकता
		936	407	407

4.	हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त	हैण्डपम्प विहीन	हैण्डपम्प की आवश्यकता
		1183	163	163

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधाएं सर्वथा अपर्याप्त हैं इस स्तर पर शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु धन का पर्याप्त प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। विद्यालयों के लिए स्वच्छ जल एवं शौचालय की आवश्यकता निम्नवत सारणी में प्रदर्शित है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक (1.8.2003 की स्थिति) सुविधायें

क्र. सं.	विद्यालय एवं भवन कक्षा कक्ष	कुल विद्यालयों की सं०	भवन युक्त	भवनहीन	जर्जर (पुनर्निर्माणयोग्य)
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	217	216	1	19
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की सं०	0			
	दो कक्षीय विद्यालयों की सं०	3			
	तीन कक्षीय विद्यालयों की सं०	28			
	चार कक्षीय विद्यालयों की सं०	137			
	पांच कक्षीय विद्यालयों की सं०	29			
	5 कक्ष से अधिक वाल विद्यालय	20			

3.	शौचालय	शौचालययुक्त वि०	शौचालय विहीन वि०	शौचालयों की आवश्यकता
		191	26	26

4.	हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त	हैण्डपम्प विहीन	हैण्डपम्प की आवश्यकता
		164	53	53

अतिरिक्त कक्षा-कक्ष :-

प्राथमिक स्तर:-

जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों को तीन कक्षीय बनाने हेतु वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में तीन से गुणा कर प्राप्त संख्या में वर्तमान कक्षा-कक्षों की संख्या घटाने पर कुल 421 कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर:-

जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसतन चार कक्ष मौजूद होने के कारण अतिरिक्त 34 कक्ष की आवश्यकता है।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी / आवश्यकता

क्र. सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक	
		कमी	डी.पी.ई.पी.	शुद्ध मांग	कमी	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	50	-	50	103	103
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	056	-	056	19	19
3.	पेयजल	163	-	163	53	53
4.	शौचालय	407	-	407	26	26
5.	अति.क.कक्ष	421	-	421	34	34

स्रोत- विभागीय आंकड़े अगस्त-2003

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

क्र. सं.	वर्ष	1997			2003		
	विवरण	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग
1.	परिषदीय प्रा०वि०	1073	35	1108	1313	33	1346
2.	परिषदीय उच्च प्रा०वि०	132	7	149	210	7	217
3.	मा.वि. से सम्बद्ध उ.प्रा.वि.	89	13	92	85	15	100
4.	कुल उच्च प्रा.वि. (2+3)	211	20	231	295	22	317
5.	प्रा.वि. तथा उच्च प्रा.वि. का अनुपात	5:1	1.7:1	3.38:1	3.3:1	1.5:1	3.2:1

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1997 से 2003 तक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुपात में परिवर्तन हुआ है।

जनपद बस्ती में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर तक ही विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जबकि सर्वेक्षण एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि कक्षा 5 से कक्षा 6 तक जाने वाले बच्चों की संख्या मे कमी रहती है। कक्षा 5 के उत्तीर्ण बच्चों के आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो राके हैं। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6-8 अनुभागों को सम्मलित करने पर भी ग्रामीण क्षेत्र में उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय का अनुपात 1:3 है जबकि इस योजना के माध्यम से इस अनुपात को 1:2 तक किए जाने का प्रयास किया जाना है एवं इसके लिए नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने प्रस्ताव भी किया गया है।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट मे किया **जायेगा।**

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूची

जनपद बस्ती

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	18280	17280	15740	51300	
1999-2000	18700	17420	17380	53500	4%
2000-2001	20050	19150	18250	55450	3.6%

स्रोत विभागीय आँकड़े

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावर नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि 1999-2000 एवं 2000-2001 में क्रमशः 4.00 प्रतिशत एंव 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1997 से 2000 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन बस्ती

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997-1998	51800	31300	83100	62.3	37.7	100
1998-1999	52600	32400	85000	61.9	38.1	100
1999-2000	53400	33745	87145	61.3	38.7	100
2000-2001	55000	35500	90500	60.8	39.2	100

स्रोत विभागीय आँकड़े

जनपद बस्ती वर्ष 1997 से डी.पी.ई.पी. परियोजना से आच्छादित रहा है। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में आभूतपूर्व वृद्धि हुई है उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के नामांकन में 1997 से 2001 के बीच 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं:

प्रारिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन दर
1998-1999	34125	18280	53.6
1999-2000	35132	18700	35.2
2000-2001	37324	20050	53.7

स्रोत विभागीय आँकड़े

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते है। अतः जनपद बस्ती का परिपदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर (अर्थात कक्षा 5 से कक्षा 6 में नामांकित होने वालें) उक्त सारणी में ज्ञात किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 1998 से 2001 के बीच ट्रांजिसन दर बढ़ा है। सारणी से यह भी स्पष्ट हैं कि प्राथमिक स्तर के लगभग 54 प्रतिशत बच्चे उक्त प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते हैं।

अध्याय-3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया अन्य योजनाओं के नियोजन प्रक्रिया से भिन्न है। इसके अभियान के तहत समुदाय के विभिन्न वर्गों की सहभागिता पर पूरी तरह से बल दिया गया है। इस नियोजन प्रक्रिया में ग्राम/बस्ती विशेष की आवश्यकताओं पर वहां के समुदाय से समस्याओं पर विचार-विमर्श कर स्थानीय कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं के आधार पर समस्याओं के निराकरण हेतु रणनीति बनाई गयी है। समस्त बस्तियों की योजनाओं को विकास खण्ड तथा अन्त में जिला स्तर पर समेकित करके जिला शैक्षिक योजना बनाने का लक्ष्य है। जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना तैयार करने हेतु बी.एस.ए. तथा डायट की सम्मिलित टीम बनाई गई। जिन्होंने उक्त अभियान के दर्शन तथा तकनीकों का प्रशिक्षण सीमेट में प्राप्त किया। जिला स्तर पर बैठक करके योजना बनाने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया। जिसमें क्षेत्रीय अधिकारियों के मध्य कार्य का बटवारा किया गया। ऐसे स्थानों पर जहां शिक्षा की प्रगति कम है और ऐसे समुदायों को जो शिक्षा की मुख्य धारा में पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाये हैं, के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा कराया गया जिससे उनकी समस्याएं उभरकर आ सकी। विकास खण्ड परशुरामपुर, रामनगर, सल्टौआ, विक्रमजोत में जहां महिला साक्षरता न्यूनतम हैं, उनमें एफ.जी.डी. किये गये।

स्कूल चलो अभियान :-

शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6-14 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर जिलाधिकारी बस्ती के संरक्षण में बेसिक शिक्षा विभाग, बस्ती द्वारा दिनांक-01 जुलाई 2001 से 15 जुलाई 2001 तक स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण चलाया गया। 16 जुलाई से 31 जुलाई 2001 तक अभियान के द्वितीय चरण के अन्तर्गत चिन्हित बच्चों का नामांकन किया गया।

प्रथम चरण :- (1 जुलाई, 2001 से 15 जुलाई, 2001)

इस चरण में मुख्य रूप से बच्चों के चिन्हांकन का कार्य किया गया। अभियान का शुभारम्भ मुख्यालय पर जिलाधिकारी बस्ती द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमन्त्रित किया गया तथा उनके बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। उसी समय विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक प्रमुख/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों, प्रधानों एवं सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान का शुभारम्भ किया गया।

जिलाधिकारी, अन्य वरिष्ट अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के नेतृत्व में जुलूस, जनजागरण यात्राएं, गोष्ठी, सेमीनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वृहद पैमाने पर अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित किया गया और उनसे अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को अधिक प्रेरित करने पर बल दिया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी न्याय पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये गये जिनकी देख-रेख में प्रत्येक प्रकार का चिन्हांकन किया गया।

द्वितीय चरण :- (16 जुलाई, 2001 से 31 जुलाई, 2001)

इस चरण में पूर्व में चिन्हित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन के प्रयास किये गये। स्कूल चलो अभियान के द्वारा स्कूल से बाहर चिन्हित बच्चों तथा उनके नामांकन की स्थिति निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट है-

सारणी- 3.1

बालक/ बालिका	बालगणना में कुल चिन्हित बच्चों की संख्या		नामांकन के लिए अवशेष बच्चे		अभियान के अन्तर्गत नामांकित बच्चे	
	6-11 वय वर्ग	11-14 वयवर्ग	6-11 वयवर्ग	11-14 वयवर्ग	6-11 वयवर्ग	11-14 वयवर्ग
बालक	28963	15127	19224	7856	8792	6123
बालिका	24641	14443	16063	9990	9525	5601
योग-	**53604**	**29570**	**35287**	**17846**	**18317**	**11724**

क्रमांक	ब्लाक का नाम	6-11 वय वर्ग	11-14 वय वर्ग	योग
1.	परशुरामपुर	1031	1835	2866
2.	गौर	1233	2159	3392
3.	हर्रैया	1378	1605	2983
4.	विक्रमजोत	2032	1877	3909
5.	कप्तानगंज	1866	2078	3944
6.	रामनगर	2663	1964	4627
7.	सल्टौआ	1738	2154	3892
8.	रूधौली	2805	1091	3896
9.	सांऊपाट	1376	1846	3222
10.	बस्ती सदर	1797	2044	3841
11.	बनकटी	1316	1855	3171
12.	बहादुरपुर	1792	1884	3676
13.	कुदरहा	1112	1176	2288
योग ग्रामीण		22139	23568	45707
14.	नगर क्षेत्र	1499	1196	2695
	महायोग	23638	24764	48402

स्कूल चलो अभियान प्रगति 2003

जनपद बस्ती अगस्त 2003

हाउस होल्ड सर्वे चिन्हित बच्चे 2003							
	5+से 6+		7+से 10+		11+से 14+		
बच्चों कि कुल संख्या	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
21820	4150	6166	3274	2909	2236	3065	21800

हाउस होल्ड सर्वे चिन्हित बच्चे का 31.08.03 तक नामांकन विवरण							
	5+से 6+		7+से 10+		11+से 14+		
बच्चों कि कुल संख्या	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
15988	3362	4433	2569	2240	1453	1931	15988

बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु और उनका संक्षिप्त विवरण

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक / विचार-विमर्श के बिन्दु / सुझाव	
03.10.2001	जिला पंचायत बैठक कक्ष-बस्ती।	जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय सांसद, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य एवं जनप्रतिनिधि संख्या-07	1.	प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षावार अध्यापकों की व्यवस्था जिससे गुणवत्ता परक शिक्षा दी जा सके।
			2.	खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु अनिवार्य वादन निर्धारित करना।
			3.	अभिभावक/मातृ सम्मेलन
			4.	जिन ग्रामों में एक से अधिक प्रा०वि० हैं और पू०मा०वि० नहीं है वहां अतिरिक्त प्रा०वि० को उच्चीकृत कर पूर्व माध्यमिक वि० बना दिया जाय।
05.10.2001	केन्द्रीय विद्यालय परशुरामपुर	ग्राम प्रधान/23 (महिला-5) (अनु०जा०-11)	1.	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जहां बरसात में दो तीन महीने सम्पर्क टूट जाता है ड्राप आउट क्षेत्र मे विशेष प्रयास अपेक्षित।
			2.	उसी गांव में शिक्षण की व्यवस्था करवा कर दलित मलिन क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर बच्चों एवं अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
			3.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सहभागिता एवं नये अभियान में सक्रिय करने हेतु विशेष प्रशिक्षण।
			4.	बालिकाओं को शिक्षा के लिये दूर जाने में कठिनाई।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के विन्दु/सुझाव	
07.10.2001	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-बस्ती	अध्यापक संघ-17	1.	विद्यालयवार अध्यापकों की आवश्यकता का निर्धारण और उसी के सापेक्ष पदस्थापन।
			2.	गांव में शिक्षा की रूचि लेने वाले शिक्षाविदों को ग्राम शिक्षा समिति का अनुपालित सदस्य बनाना।
			3.	शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता न होने पर ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष (ग्राम प्रधान) को बहुमत के आधार पर बदलने की व्यवस्था।
09.10.2001	ग्राम-औड़जंगल विकास क्षेत्र-सल्टौवा	दलित बस्ती के ग्रामीण सं०-109 (महिलाएं-33) (पुरूष-76)	1.	विद्यालय के अभाव में बच्चों को स्कूल भेजना सम्भव नहीं हो पाता है।
			2.	बच्चों के पास स्कूल जाने लायक बस्ता/बैग नहीं होता है।
			3.	अभिभावक के साथ कृषि/घरेलू कार्य में हाथ बँटाने के कारण दो-तीन सप्ताह विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर नाम काट दिया जाना।
10.10.2001	संकुल भवन न्याय पंचायत ओड़वारा, सांऊघाट	अधिकारी-3 अध्यापक-9 संकुल प्रभारी-3 समन्वयक-1 ग्राम प्रधान-1 सेवा निवृत्त अध्यापक-1	1.	विद्यालय में चहारदीवारी की व्यवस्था होने पर विद्यालय वातावरण स्वच्छ एवं आकर्षक होगा।
			2.	माह में 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर ही उस माह की छात्रवृत्ति प्रदान करना।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
			3.	निःशुल्क पुस्तक वितरण की व्यवस्था जून माह में सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक दशा में जुलाई महीने में ही छात्र/छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध कराना जिससे अधिक से अधिक नामांकन शिक्षा सत्र के प्रथम माह में सुनिश्चित किया जा सके।
			4.	विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने के लिए अधिक धन मुहैया कराना एवं विद्यालय के धन का सदुपयोग न करने वाले दोषी के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान।
10.10.2001	पूर्व मा०वि० पुर्सिया, सांऊघाट	अधिकारी-3 अध्यापक-11 संकुल प्रभारी-1 गणमान्य-2	1.	पूर्व मा०विद्यालयों में विषयवार अध्यापक हों।
			2.	एक ही प्रांगण में चलने वाले सभी विद्यालयों में समन्वय हों।
			3.	यदि एक प्रांगण में संचालित हो रहे हों तो सभी विद्यालयों को एकीकृत करते हुए एक ही प्रधानाध्यापक के अधीन संचालित किया जाना चाहिए जिसकी अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग अध्यापक उपलब्ध हो सकेंगे एवं अध्ययन/अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
			4.	अध्यापक समय से आयें एवं पूरे समय रहें।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
10.10.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र, रूधौली	अधिकारी-2 समन्वयक-1 सह समन्वयक-1 अध्यापक-8 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य-3	1.	ड्राप आउट बच्चों को सत्र के आरम्भ में ही चिन्हित कर विद्यालय वापस लाने का प्रयास किया जाये।
			2.	सामूहिक खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाये। जिसमें अभिभावकों को बुलाया जाये।
			3.	कमजोर/ धारण क्षमता में पिछड़े बच्चों को अलग से समय दिया जाये।
			4.	शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जाये।
11.10.2001	ग्राम पंचायत माझाकिता विकास क्षेत्र विक्रमजोत	अधिकारी-1 ग्राम प्रधान-1 ग्रा०शि०स०सदस्य-3 अध्यापक-2 गणमान्य नागरिक-4	1.	अध्यापकों की उपस्थिति ठीक नहीं है।
			2.	अध्यापकों को समय समय पर बुलाकर विचारों का आदान प्रदान किया जाये।
			3.	प्रार्थना अवश्य हो- तथा उसके बाद प्रार्थना स्थल पर ही नैतिकता के सम्बन्ध-में कहानियों के मांध्यम से बच्चों को संस्कार दिया जाये।
			4.	दुर्गम क्षेत्रों मे पदस्थापित शिक्षकों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन धन का प्रावधान किया जाये।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
11.10.2001	पंचायत घर अहरा विकासक्षेत्र बनकटी	अधिकारी-2 अध्यापक-12 गणमान्य नागरिक-10	1.	बच्चों में गणवेश की व्यवस्था हो।
			2.	प्रसाधन की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय पर सुनिश्चित की जानी चाहिये।
			3.	अध्यापक पढ़ाने में कम आपस में बातें करने में ज्यादा समय लगाते हैं।
			4.	विद्यालय की स्वच्छता का ध्यान रखा जाय। विद्यालय में आदर्श वाक्य लिखे जायं।
			5.	बच्चों में सामान्य ज्ञान वाद-विवाद आदि की प्रतियोगिता करायें।
			6.	कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को शिशु सभा में पुरस्कृत किया जाय।
11.10.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र- हरैया	अधिकारी-2 गणमान्य-6 जनप्रतिनिधि-4 समन्वयक-1 सभासद-2	1.	अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य से न जोड़ा जाय। इससे पढ़ाई में बाधा होती है।
			2.	अभिभावक सम्पर्क का एक निर्धारित कार्यक्रम हो तथा विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन आयोजित किया जाय।
			3.	रूचिपूर्ण शिक्षा दी जाय जिससे स्कूल छोड़कर भागने वाले बच्चों की संख्या में कमी आवे।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
12.10.2001	जिलाधिकारी सभा कक्ष बस्ती	जिलाधिकारी वी०एस०ए० सहा०लेखाधिकारी(डीपी ईपी) शिक्षा विभाग के एबीएसए/ एसडीआई-15	1.	शत-प्रतिशत साक्षरता हेतु विभागीय अधिकारी को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर बल।
			2.	प्रत्येक बालक/बालिकाओं का विद्यालय जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
			3.	छात्रवृत्ति एवं पुष्टाहार समय से उपलब्ध कराया जाय।
			4.	शिक्षण सामग्री विद्यालय में रखी जाए।
			5.	अध्यापकों की उपस्थिति समय पर हो इसके लिये शिक्षा अधिकारियों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्यालय का सतत् निरीक्षण।
13.10.2001	नदी के किनारे का ग्राम पंचायत देवारा, गंगवरार, कप्तानगंज	स्थानीय ग्रामीण-5 अध्यापक-3 गणमान्य नागरिक-15	1.	बस्ती/ग्राम के निकट विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलकर स्कूल जाने के लिये बच्चों को उत्साहित किया जाए।
			2.	बाढ़ के समय जहाँ ग्रामीणों ने शरण स्थली बनाया है वहाँ ही वैकल्पिक केन्द्र की व्यवस्था की जाए।
			3.	शिक्षा के साथ पुष्टाहार की व्यवस्था हो।
			4.	रोजगार परक शिक्षा हो।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
15.10.2001	सिकन्दरपुर, परशुरामपुर, बस्ती	अधिकारी-2, स्थानीय ग्रामीण-20 अध्यापक-5 गणमान्य नागरिक-2	1.	बच्चों को स्कूल लाने के लिए अभिभावकों में जनजागृति के द्वारा चेतना लाना।
			2.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक छात्रवृति तथा पोषाहार आकर्षक लाभप्रद योजनाओं के वारे में जानकारी दी जाय।
			3.	बच्चों के रूचि के अनुसार शिक्षा दी जाय।
			4.	अध्यापकों की कमी दूर की जाय।
16.10.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र- कुदरहा	अधिकारी-2, संकुल प्रभारी-8 समन्वयक-1, ग्रामीण-15 अध्यापक-5	1.	पाठ्य सहगामी क्रियाओं को वढ़ावा दिया जाय।
			2.	शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक बनाया जाय।
			3.	शिक्षा के द्वारा लिंग समानता पर भी वल दिया जाय।
			4.	प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी को दूर किया जाय।
			5.	महिलाओं में शिक्षा के प्रति जनजागरण द्वारा जागरूकता पैदा करना।
18.10.2001	विकास क्षेत्र- रामनगर, ब्लाक- मुख्यालय	खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान तथा गणमान्य नागरिक	1.	ब्लाक प्रमुख, रामनगर ने सुझाव दिया कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल एवं सार्थक वनाने के लिए उच्च स्तर से ग्राम स्तर पर सवका सहयोग प्राप्त किया जाय।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
			2.	खण्ड विकास अधिकारी ने सुझाव दिया कि वित्त विहीन विद्यालयों को अधिक से अधिक मान्यता प्रदान किया जाय।
			3.	ग्राम प्रधान, भानपुर ने अध्यापक की कमी को दूर करने का सुझाव दिया।
			4.	विकास क्षेत्र के असेवित बस्तियों में विद्यालय खोला जाय।
19.10.2001	ग्राम पंचायत-लेदवा, विकास क्षेत्र-रूधौली	जिला समन्वयक (प्रशि०), सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अध्यापक एवं ग्राम प्रधान	1.	अध्यापकों से शिक्षणेत्तर कार्य लिये जाने से शिक्षकों की गुणवत्ता में ह्रास अध्यापकों का समय से विद्यालय में न आना अध्यापकों की कमी को दूर करना।
			2.	शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जाय।
			3.	जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जाय।
			4.	6-14 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में नामांकन कराया जाय जिसमें अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रचार-प्रसार सामग्री का सहयोग लिया जाय।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
22.10.2001	बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बस्ती	सहायक शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, एस.डी. आई., जिला समन्वयक	1.	शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाय।
			2.	अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।
			3.	बालिकाओं के ठहराव एवं शिक्षा हेतु अधिक ध्यान दिया जाय।
23.10.2001	ग्राम पंचायत भरूकहवा विकास क्षेत्र कप्तानगंज	जिला समन्वयक समुदायिक सहभागिता अध्यापक-8, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सदस्यगण	1.	समुदाय तथा शिक्षकों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं उनके बीच समस्याओं का निराकरण किया जाय। रूढ़ि वादी परम्परा को समाप्त करने अभिभावकों का सहयोग लिया जाय।
			2.	ड्राप आउट को समाप्त किया जाय।
			3.	शिक्षकों की विद्यालय क्रिया नियमित उपस्थिति तथा शिक्षण कार्य गुणवत्ता परख हों।
			4.	कक्षा का वातावरण अनुशासित एवं शिक्षण कार्य रोचक हों।
24.10.2001	विकास क्षेत्र साऊँघाट मुख्यालय	मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहा०बे० शि०अ०, ब्लाक प्रमुख, बी.आर.सी. समन्वयक, स्वैच्छिक संस्थाएं, ग्राम प्रधान, अध्यापक एवं क्षेत्रीय जनता।		विकास क्षेत्र साऊँघाट शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है। इसलिए यहां भिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आयी, जैसे
			1.	गुणात्मक शिक्षा का अभाव शिक्षण की वैज्ञानिक विधियों का अभाव।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
			2.	रूचि पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाय।
			3.	अध्यापकों को समय-समय पर बी.आर.सी. तथा डायट पर प्रशिक्षण दिया जाय।
			4.	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया जाय।
			5.	स्वैक्षिक संस्थाओं से पर्याप्त सहयोग लिया जाय। स्वैच्छिक संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं के बीच की दूरी समाप्त की जाय।
27.10.2001	ग्राम पंचायत-हनुमान गंज, विकास क्षेत्र-रूधौली	सहा० बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं ग्रामीण जनता	1.	ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत हनुमान गंज में प्राईमरी विद्यालय पर । अध्यापक हैं। इस विद्यालय पर । अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था की जाय।
			2.	ड्राप आउट दर को कम करने के लिए अभिभावकों को उत्साहित एवं जन-जागरण रैलियां निकाली जायेंगी।
			3.	गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाय।
			4.	ग्राम शिक्षा समिति को सुदृढ़ किया जाय।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के विन्दु /सुझाव	
29.10.2001	न्याय पंचायत केन्द्र-भिरिया, विकास क्षेत्र-सल्टौआ	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, समन्वयक संकुल प्रभारी, अध्यापक, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य एवं गणमान्य नागरिक	1.	न्याय पंचायत में ग्राम पंचायत-लप्सी एवं ग्राम पंचायत-भिरिया में विद्यालय नहीं है। ग्राम प्रधान एवं नागरिकों के द्वारा विद्यालय खोलने की मांग की गयी।
			2.	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र को अधिक संसाधन युक्त बनाया जाय एवं न्याय पंचायत समन्वयक की जिम्मेदारी तय की जाय।
			3.	न्याय पंचायत केन्द्र पर अध्यापकों की मीटिंग के साथ-साथ ग्राम प्रधानों को भी बैठक में शामिल किया जाय।
			4.	बालिका शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाय एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कन्या जूनियर हाई स्कूल खोला जाय।
30.10.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र-रामनगर	सहा० बे०शि०अ०, ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक समन्वयक संकुल प्रभारी, अध्यापक एवं गणमान्य नागरिक	1.	ब्लाक संसाधन केन्द्र पर ब्लाक समन्वयक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय एवं उनकी जिम्मेदारी तय की जाय।
			2.	विकास क्षेत्र अतिपिछड़ा है। अस्तु इस क्षेत्र में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।
			3.	विद्यालय में अध्यापकों का ठहराव एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाया जाय।
			4.	शिक्षक राजनीति से दूर रहें, क्योंकि शिक्षक को गुरू की संज्ञा दी गयी है।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
31.10.2001	न्याय पंचायत-बाघडीह, विकास क्षेत्र-रुधौली	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहा० बेसिक शिक्षा अधिकारी, अध्यापक-20, ग्राम प्रधान-4, नागरिक-20	1.	अध्यापक अपनी सोच में परिवर्तन करें, अध्यापक समाज का केन्द्र बिन्दु है।
			2.	ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठक प्रत्येक माह की जाय एवं शिक्षा से सम्बन्धित प्रगति उच्चाधिकारियों को अवगत करायें।
			3.	निम्न एवं गरीब वर्ग के छात्रों पर अधिक ध्यान दिया जाय।
			4.	एक कन्या पू०मा०वि० की स्थापना की जाय ताकि लड़कियों के बढ़ने में ज्यादा दूरी न तय करना पड़े।
02.11.2001	जिला पंचायत भवन, बस्ती	जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहा०बे०शि०अ०, खण्ड विकास अधिकारी	1.	शिक्षा को गुणवत्तापरक एवं रोजगारपरक बनाने हेतु अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
			2.	शिक्षा विभाग के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप न किया।
			3.	मुख्यालय से दूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की विकास खण्डवार सूची बनाते हुए प्रत्येक अध्यापकों का (बारी-बारी से) एक निश्चित अवधि (तीन वर्षों) के लिए पदस्थापन सुनिश्चित करना।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
			4.	प्राकृतिक विपदा जैसे- बाढ़ एवं अधिक ठंड के कारण विद्यालय के बंद रहने की स्थिति को देखते हुए स्थानीय महत्वहीन अवकाश को निरस्त किया जाय ताकि एक वर्ष में न्यूनतम 220 दिन का अध्यापन कार्य सुनिश्चित कराया जा सके।
			5.	क्षेत्रीय / स्थानीय मेले एवं समारोह के कारण विद्यालय न बंद करते हुये शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाए।
03.11.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र- कप्तानगंज	जिला समन्वयक प्रशि०, सहा० बेसिक शिक्षा अधिकारी, एन. पी.आर.सी.-12, समन्वयक-1, सहसमन्वयक-1	1.	शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त कमियों को जन जागृति के द्वारा दूर किया जाय।
			2.	6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 8 तक शिक्षा 2010 तक अवश्य पूरी करने का संकल्प लिया गया।
			3.	माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, अध्यापकों को ड्यूटी न लगायी जाय।
			4.	बैंक एवं रेल विभाग की तरह शिक्षा विभाग की सेवा अनिवार्य सेवा घोषित किया जाय।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के विन्दु /सुझाव	
03.11.2001	ग्राम पंचायत-सुपेलवा, वि०क्षे०-बस्ती सदर	सहा०बे०शि०अ०, एस. डी.आई., ग्राम प्रधान-2, अभिभावक-10, अध्यापक-30	1.	अध्यापक की अधिक संख्या को अन्यत्र समायोजित किया जाय।
			2.	समय पालन, कर्तव्य पालन इस वाक्य को अध्यापक ध्यान में रखकर समाज एवं छात्रों के हित को देखते हुए शिक्षण कार्य करें।
			3.	अधिकारी अधिक समय निरीक्षक करने में दें जिससे शिक्षण कार्य में सुधार हो।
			4.	शिक्षक समाज का दर्पण होता है। इस वाक्य को चरितार्थ करने हेतु अध्यापक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करें।
			5.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रत्येक वर्ष अवलोकन कर उन्हें उचित मार्ग दर्शन दिया जाय।
05.11.2001	ग्राम पंचायत-जगदीशपुर, वि०क्षे०-बनकटी	जिला समन्वयक (सामु० सह०), स०बे०शि०अधि० अध्यापक, संकुल प्रभारी अभिभावक, ग्राम प्रधान	1.	मां-बेटी मेले का आयोजन बालिका शिक्षकों बढ़ावा देने के लिए किया जायेगा।
			2.	अभिभावक संघ की बैठक कर शिक्षा की मूलभूत समस्याओं पर विचार किया जायेगा।
			3.	अध्यापकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायें।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	वैठक/विचार-विमर्श के विन्दु /सुझाव	
			4.	डी०पी०ई०पी० योजना से अपेक्षित सुधार हुआ है परन्तु योजना का कियान्वयन सफल ढ़ंग से न होने कारण शिक्षा में गुणवत्ताओं की कमी आयी है।
06.11.2001	विकास खण्ड मुख्यालय-बस्ती सदर	जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती, समन्वयक, सहसमन्वयक, एन.पी. आर.सी., ब्लाक प्रमुख एवं गणमान्य नागरिक	1.	मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को जागृति के माध्यम से सुधारा जाय।
			2.	शिक्षा जगत में अपेक्षित सुधार के लिए अध्यापकों की तैनाती दूसरे जनपद में की जाय।
			3.	प्राथमिक शिक्षक संघ को समस्त किया जाय ताकि ये रणनीति से दूर रहें और अनावश्यक कार्य न कर सके।
			4.	निरीक्षण अधिकारी को और अधिक अधिकारी और सुविधा दिया जाय ताकि अपने कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सके।
07.11.2001	ग्राम पंचायत-हनुमानगंज, वि०क्षे०-रूधौली	सहा० वेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सम० वै०शि०सम०, सहसमन्वयक अ०, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण	1.	बालिका शिक्षा हेतु अत्यधिक प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन दिया जाय।
			2.	सह शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाय।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
			3.	जनजागरण द्वारा अभिभावकों में यह भावना उत्पन्न की जाय ताकि जब अपने बच्चों की अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजें।
			4.	स्वयं सेवी संस्थाओं को सक्रिय भागीदारी हेतु आंमत्रित किया जाय।
			5.	न्याय पंचायत केन्द्र को अधिक अधिकार एवं सुविधा प्रदान की जाय।
08.11.2001	न्याय पंचायत केन्द्र- बेलघाट	संकुल प्रभारी, समन्वयक, अध्यापक एवं गणमान्य नागरिक	1.	संकुल स्तर पर मासिक बैठकों में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचा० सदस्यों को भी शामिल किया जाय एवं उनके विचार को कार्य रूप में परिचित किया जाय।
			2.	एन.पी.आर.सी. समन्वयकों अपने अधिकार एंव कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए।
			3.	छात्रों के भविष्य को देखते हुये गुणवत्ता पर शिक्षा पर जोर दिया जाय।
08.11.2001	ग्राम पंचायत- रौनाकला	सह०बे०शि०अ०, समन्वयक, स०अ० सुरेन्द्र कुमार, ग्राम प्रधान, सदस्य एवं सम्भ्रान्त नागरिक	1.	जर्जर विद्यालय का पुनर्निर्माण किया जाय।
			2.	चहार दीवारी एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण अवश्य कराया जाय।
			3.	छात्रों की संख्या अधिक होने कारण शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जाय।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु /सुझाव	
			4.	विद्यालय को आकर्षक एवं सुन्दर बनाने हेतु वृक्षारोपण किया जाय।
			5.	विभाग की तरफ से नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समय-समय पर कराया जाय।

विभिन्न स्थलों पर प्रत्येक स्तर पर लगभग 3000 लोगों के साथ किए गये विचार विमर्श एवं उनसे उभरकर सभी समस्याओं एवं उसके समाधान के ऊपर जनपद स्तर पर विचार विमर्श किया गया एवं विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय विशेषताओं एवं समस्याओं पर ध्यान देते हुए स्वंय सेवी संगठनों विभिन्न विभागों के साथ परामर्श कर सर्व शिक्षा अभियान के सफलता हेतु रणनीति का निर्धारण किया गया।

अध्याय –4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

उद्देश्य :-

- 2003 तक सभी बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालय वापस विद्यालय चलो कैम्पों आदि में नामांकन।
- 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा सभी पूरी करें।
- 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा सभी पूरी करें।
- संतोषजनक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
- जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने हेतु 2007 तक सभी वर्ग के बालक/बलिकाओं को कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- शत् प्रतिशत धारण 2010 तक।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यः-

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यः-

- 2003 तक 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चे स्कूल/वैकल्पिक शाला/वापस स्कूल चलो शिविर में दाखिल हों।
- 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें।
- 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।
- जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा पर विशेष बल।
- 2010 तक बीच में शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर शून्य पर लाना।

जनपद स्तर पर निर्धारित लक्ष्य :-

- 6.14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक (आऊटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेन्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।
- ई०सी०सी०ई के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0-14 करना।
- आई०सी०टी०एस० के प्रयास को समर्थन देना तथा वर्तमान में संचालित 89 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अतिरिक्त 240 और केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

- ❖ मुख्य रूप से सभी पढ़ने वाले बच्चो को उनके पहुंच के अन्तर्गत शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना तथा सभी बच्चों के दाखिला के साथ ड्राप आउट का दर शून्य पर लाना।
- ❖ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण।

नामांकन :-

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजक्शन हेतु अपनायी गयी विधा :-

जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.2% है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिए 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिए 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/नगरीय, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध होने पर आँकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए राज्य शैक्षिक प्रवन्धक एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित विधि से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिए वर्ष 2007 तक शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नाम०कन निम्नवत् है।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

क्रमांक	वर्ष	6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	GER	बालिका + अनु. जाति बालक का (परिषदीय)
1.	2001-02	308288	284650	57740	226910	23638	92	152030
2.	2002-03	314454	301876	58895	242981	12578	96	162797
3.	2003-04	320743	320743	60073	260670	0	100	174649
4.	2004-05	327158	327158	61274	265884	0	100	178142
5.	2005-06	333701	333701	62500	271201	0	100	181705
6.	2006-07	340375	340375	63750	276625	0	100	185339
7.	2007-08	347182	347182	65025	282158	0	100	189046
8.	2008-09	354126	354126	66325	287801	0	100	192827
9.	2009-10	361209	361209	67652	293557	0	100	196683

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद-बस्ती

क्रमांक	वर्ष	11-14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	GER	बालिका + अनु. जाति बालक का (परिषदीय)
1.	2001-02	130335	105571	79009	26562	24764	81	17797
2.	2002-03	132942	114330	80589	33741	18612	86	22606
3.	2003-04	135601	122040	82201	39840	13560	90	26692
4.	2004-05	138313	130014	83845	46169	8299	94	30933
5.	2005-06	141079	138257	85522	52735	2822	98	35333
6.	2006-07	143900	143900	87232	56668	0	100	37968
7.	2007-08	146778	146778	88977	57801	0	100	38727
8.	2008-09	149714	149714	90757	58957	0	100	39501
9.	2009-10	152708	152708	92572	60137	0	100	40292

धारण :-

प्राथमिक स्तर :-

वर्ष 2000-01 में कराए गए आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार जनपद बस्ती का कुल ड्राप आउट 45 है जिससे बालकों का ड्राप आउट 41.5 तथा लड़कियों का ड्राप आउट प्रतिशत 48.5 है।

जनपद में 6-11 वय वर्ग के बच्चों को 2007 तक ड्राप आउट मुक्त तथा सभी बच्चों को नामांकित करा लेने के उद्देश्य का लक्ष्य रखा गया हैं। जनपद में उच्च प्राथमिक स्रत पर ड्राप आउट ज्ञात करने के लिए तीन ब्लाको गौर, हरैया तथा रामनगर के 5-5 विद्यालयों का ड्राप आउट सवेक्षण किया गया जिससे ड्राप आउट दर 23 प्रतिशत ज्ञात हुयी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट निम्न प्रकार से समाप्त किया जायेगा।

वर्ष	प्राथमिक ड्राप आउट रेट	उच्च प्राथमिक ड्राप आउट रेट
2000-01	45.0	23
2001-02	37.5	21
2002-03	30.0	17
2003-04	22.5	14
2004-05	15.0	11
2005-06	07.5	7
2006-07	0	4
2007-08	0	3
2008-09	0	1
2009-10	0	0

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तक तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत-प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है।

गुणवत्ता सम्बर्द्धन :-

6-14 वय वर्ग के सभी बच्चे विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान में 2003 तक पूर्ण नामांकन वर्ष 2007 तक 6-11 वय वर्ग के सभी शाला त्यागी बच्चों की संख्या शून्य करने तथा 2010 तक सभी 11-14 वय वर्ग के शाला त्यागी बच्चों की संख्या शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को इस अभियान में विशेष महत्व दिया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत बच्चों की संख्या के आधार पर 1:40 के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था करके अध्यापकों को बहुपयोगी एवं नयी विधा से रूचिपूर्ण शिक्षण का प्रशिक्षण कराके समय-समय पर सघन निरीक्षण एवं जनजागरण द्वारा गुणवत्ता सम्बर्द्धन की योजना है। गुणवत्ता सम्बर्द्धन में शिक्षकों की भूमिका निर्धारित की जाएगी। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेस लाइन सर्वेक्षण तथा मध्य सत्र सर्वेक्षण 2000 में दिया गया। इस सर्वेक्षण से बच्चों के सम्प्राप्ति मूल्यांकन की निम्नवत् स्थिति है।

भाषा में कक्षा 4 के छात्रों की उपलब्धि तथा आगामी वर्षों में उपलब्धि के लक्ष्य का प्रक्षेपण निम्नवत् है।

विवरण	बेस लाइन	मध्यावधि सर्वे	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
बालक मध्यमान प्रतिशत	38.66	44.80	47.90	51.70	56.20	62.00	60.71	75.00	80.00	85.00	91.00	93.00
बालिका मध्यमान प्रतिशत	37.70	45.54	47	51	56	62	71	75	80	86	92	93
अनु० बालक तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत	39.82	44.18	47	50	56	61	70	74	79	84	89	91
OBC	39.49	44.18	47	50	56	61	70	74	79	84	89	91
अन्य बालक तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत	38.54	45.89	47	50	56	61	70	74	79	84	89	91

अध्याय-5

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कसन एवं इसमें प्रतिभागियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं के दृष्टिकोण से जो मूल समस्यायें उभर कर आयीं उनमें गरीब वालिकाओं के शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता की कमी, शिक्षा के महत्व को न समझ पाना आदि सामान्य समस्यायें रहीं, लेकिन क्षेत्र विशेष की सामाजिक स्थिति, रहन-सहन एवं भौगोलिक स्थिति आदि के सन्दर्भ में कुछ प्रमुख समस्यायें जनपद के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में उभर कर सामने आयीं।

समस्या एवं उनके समाधान की रणनीति इस प्रकार हैं-

क्रमांक	समस्यायें	रणनीति
1.	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दो-तीन महीनों से आवागमन बाधित रहने से विद्यालय से दूर रहना।	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बरसात के महीनों में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था किया जायेगा। इसके लिये ग्राम शिक्षा समितियों का पर्याप्त सहयोग लिया जायेगा। बच्चों के पढ़ाई का क्रम टूटने न पाये इसके लिये शिविर लगाकर अध्ययन जारी रखा जायेगा। इसके लिये पूर्व में ही ऐसे सुरक्षित स्थान का चयन कर लिया जायेगा जहाँ जल-भराव नही होता रहा है, जहाँ बच्चों की पहुँच आसानी से हो सकें।
2.	घुमन्तू एवं श्रमजीवी बच्चों का स्कूल न जाना।	श्रमजीवी बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया जायेगा। ऐसे बच्चे जो विद्यालय में आ सकते हैं। उनको विद्यालय में प्रवेश कराया जायेगा, जो श्रमजीवी बच्चे जागरूकता के बाद भी परिस्थितिवश विद्यालय आने में असमर्थ है उनके लिये वैकल्पिक शिक्षा के तहत EGS एवं AIE केन्द्र खोले जायेंगे। घूमन्तु बच्चों के लिये शिविरों का आयोजन किया जायेगा। शिविरों के माध्यम से उनमें शिक्षा के प्रति रूचि एवं जागरूकता पैदा कर उन्हें विद्यालयों से जोड़ा जायेगा।

क्रमांक	समस्यायें	रणनीति
3.	सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बहुत कम है।	सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। इसमें स्वैच्छिक संस्थाओं, युवक मंगल दल, बाल विकास परियोजना के कार्यकत्रियों, ग्राम शिक्षा समितियों आदि का सहयोग लिया जायगा।
4.	पत्तल/कागज के लिफाफे बनाने वाले पाकेट के बच्चों का नामांकन नहीं होगा।	इस पाकेट्स के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय के माध्यम से की जायेगी। कार्यानुभव को इस क्षेत्र विशेष मे वरीयता प्रदान की जायेगी एवं इनके अभिभावकों को इसकी जानकारी देकर बच्चों को विद्यालय में लाया जायेगा।
5.	उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की दूरी अधिक होने तथा कमजोर वर्ग के बालिकाओं की असुरक्षा के कारण विद्यालय न जाना।	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संख्या में विस्तार किया जायेगा। प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय के सापेक्ष एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करायी जायेगी ताकि असुरक्षा के भय से विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को यह प्रेरित किया जा सके कि अब विद्यालय उनकी पहुँच के अन्दर है। साथ ही व्यवसाय परक शिक्षा एवं कार्यानुभव को बढ़ावा दिया जायेगा।
6.	बालिकाओं हेतु शौचालय का अभाव।	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम् के अर्न्तगत निर्मित विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी साथ ही साथ परियोजना के पूर्व में निर्मित 198 विद्यालयों में भी प्रसाधन उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद भी अधिकांश विद्यालय में शौचालय के न होने से बालिकाओं का नामांकन एवं उनका ठहराव प्रभावित होता है। अतः शौचालय विहीन विद्यालयों में प्रसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ निर्मित शौचालयों के रख-रखाव की व्यवस्था इस अभियान के अर्न्तगत सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमांक	समस्यायें	रणनीति
7.	अध्यापकों की कमी	अध्यापकों की कमी के कारण जो विद्यालय एकल है उनमें शिक्षा-मित्रों की व्यवस्था करके उन्हें सुदृढ़ किया जायेगा। साथ ही अध्यापकों का बहुकक्षीय शिक्षण की विधा में प्रशिक्षण कराया जायेगा एवं इस विधा से शिक्षण कार्य करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
8.	गुणवत्तापरक शिक्षा की कमी	गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के लिये अध्यापकों का विषय प्रशिक्षण, बहुकक्षीय शिक्षण-प्रशिक्षण कराया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं कक्षाओं में इसका प्रयोग कराया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक शिक्षक को रू० 500 की धनराशि शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालयों में खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घण्टा निर्धारित किया जाएगा।
9.	अध्यापक-अभिभावक में सामजस्य का अभाव	अध्यापकों का अभिभावकों के साथ संवादहीनता न रहे, इसके लिए हर दो मास पर अभिभावक सम्मेलन कराया जाएगा। जिनमें उनके विचारों एवं समस्याओं एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं अभिभावकों को उनके बच्चों के प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी।
10.	अभिभावकों में जागरूकता की कमी	अभिभावकों को जागरूक बनाने में ग्राम शिक्षा समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समिति द्वारा बैठक में पारित प्रस्ताव को अभिभावक-शिक्षक बैठक में सूचनार्थ रखा जायेगा साथ ही साथ अध्यापक संकुल प्रभारी एवं ब्लाक संसाधन समन्वयक द्वारा विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत अभिभावकों से सम्पर्क कर उनमें बेसिक शिक्षा के प्रति सामान्य सचेतता पैदा की जाएगी।

क्रमांक	समस्यायें	रणनीति
11.	जनसहभागिता की कमी	ग्राम, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिले स्तर पर गोष्ठी का आयोजन कर प्रत्येक बालक/बालिका का नामांकन सुनिश्चित करने में जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता ली जायेगी। "सर्व शिक्षा अभियान मूलतः एक जनान्दोलन है" इससे प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराया जाएगा।

उपर्युक्त समस्यायें जनपद की अपनी विशिष्ट समस्यायें हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य सामान्य समस्यायें यथा कई बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना, विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव, अध्यापकों की गरिमा में गिरावट, शिक्षा के बाद भी बेरोजगारी का होना आदि हैं। जिनके लिये भी उपर्युक्त रणनीतियों एवं प्रभावी-निरीक्षण, समुदाय के सहयोग आदि के माध्यम से निवारण किया जायेगा। क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित अन्य भी समस्यायें भविष्य में हो सकती हैं जिनके लिए रणनीति का निर्धारण सामुदायिक सहयोग से किया जाएगा।

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार- I

नवीन औपचारिक विद्यालय :-

सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्व भौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भौतिक सुविधाओं का विस्तार कर बच्चों की पहुँच में वृद्धि कराया जाना आवश्यक है। साथ ही विद्यालयों को सुविधा सम्पन्न एवं आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों में एक शौचालय, पेयजल एवं शिक्षकों की व्यवस्था तथा काष्टोपकरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस संदर्भ में आवश्यकताओं की स्थिति निम्नवत है-

(1) नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :-

राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन विद्यालयों की स्थापना ऐसे असेदित बस्तियों में प्रस्तावित है जिनकी आबादी 300 अथवा इससे अधिक है विद्यालय की उपलब्धता 1.5 किमी० या इससे अधिक दूरी पर है, जनपद में कुल प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों का विवरण वर्षवार निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्ष	स्थापित किए जाने वाले नवीन प्रा०वि० की संख्या
1.	2001-02	-
2.	2002-03	-
3.	2003-04	50
	योग-	50

नोटः- वर्ष 2003-04 में 50 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त है।

विद्यालयों का निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाएगा। जिसका जिला शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण सामुदायिक सहयोग से कराया जाएगा।

(i) शिक्षकों की व्यवस्था :-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के लिए दो पदों में से एक पद शिक्षा मित्र का होगा, अध्यापकों की आवश्यकता का विवरण वर्षवार निम्नलिखित सारिणी में है-

क्रमांक	वर्ष	प्रधानाध्यापक	शिक्षा मित्र
1.	2001-02	-	-
2.	2002-03	-	-
3.	2003-04	50	50
	योग-	50	50

(ii) काष्टोपकरण :- उपस्कर :-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय के प्रथम बार काष्टोपकरण उपस्कर हेतु रू० 10,000 अनावर्तक अनुदान दिया जाएगा।

वर्ष	नवीन प्रा०वि० की संख्या	दर	धनराशि
2001-02	-	-	-
2002-03	-	-	-
2003-04	50	10,000/-	50,000/-
योग-	50	10,000/-	50,000/-

(2) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :-

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणना:- जिसकी स्वीकृति वर्ष 2003-04 में प्राप्त हो चुकी है।

कुल प्राथमिक विद्यालय की सं० नगर क्षेत्र साक्षेत		सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित नये प्राथमिक विद्यालय	योग	2:1 के मानक के अनुसार आवश्यक पूर्व मा० विद्यालय	पूर्व से उपलब्ध परिषदीय/ शासकीय पूर्व मा०विद्यालय	मान्यता प्राप्त तथा मा०वि० से सम्बद्ध उच्च० प्रा०वि०	2:1 के मानक पर वास्तविक विद्यालय	जनपद की आवश्यकता अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय
1346		50	1396	698	217	324	197	103
प० 1346	मा० 413	50	1889	905	228	320	357	103

शिक्षकों के चयन में 50% महिला शिक्षकाओं की नियुक्ति का प्रावधान है।

नवीन भवन निर्माण में मितव्ययता

सर्व शिक्षा अभियान में प्रति दो प्रा० विद्यालय स्तर पर एक उ०प्र० वि० खोलने का प्राविधान हैं ऐसी दशा में नया भूमि न लेकर प्रा० वि० परिसर में ही नवीन विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिससे हैण्डपम्प शौचालय चाहरदीवारी बागवानी इत्यादि के व्यय से बचा जा सकता हैं। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हेतु यह धनराशि क्रमशः 259 एवं 451 हजार रूपये बजट प्राविधानित है।

नवीन भवन एवं शैक्षिक सुविधाओं के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण

नवीन भवन के निर्माण की कहा-कहा आवश्यकता हैं इसके निर्धारण हेतु सेवित बस्तियों का सर्वे करा कर रिपोर्ट संकलित कर ली जायेगी जिससे अगामी वार्षिक योजना में विद्यालय भवन का निर्धारण किया जायेगा।

तकनीकी पर्यवेक्षणः-

योजना द्वारा निर्धारित मानको की गुणवत्ता को जांचने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर एक अवर अभियन्ता तथा जनपद स्तर पर एक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति की जायेगी।

(i) भवन की व्यवस्था :- (स्वीकृति प्राप्त)

क्रमांक	वर्ष	स्थापित किए जाने वाले उच्च प्रा०वि० की संख्या
1.	2002-03	23
2.	2003-04	103
3.	2004-05	-
4.	2005-06	-
	योग :-	126

(ii) नवीन उच्च प्रा०विद्यालयों (स्वीकृति) हेतु शिक्षकों की व्यवस्था :-

वर्ष	प्र०अ०	स०अ०	योग
2002-03	23	46	69
2003-04	103	206	309
2004-05	0	0	0
2005-06	0	0	0
योग :-	126	252	378

(iii) काष्ठोपकरण :- उपस्कर :-

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रथम बार काष्ठोपकरण उपस्कर हेतु रू० 50,000 अनावर्तक अनुदान दिया जाएगा।

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	दर	धनराशि
2002-03	23	50000/-	1150000/-
2003-04	103	50000/-	5150000/-
2004-05	-	-	-
2005-06	-	-	-
योग-	126	@ 50000/-	6300000/-

नवीन प्रा० विद्यालय साज सज्जा:

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जावेग इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा मेज, कुर्सी, बाल्टी, घंण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, संगीत उपकरण (ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोव, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौनें, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलो में विज्ञाने किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नही हो पाते हैं, इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उ०प्र० विद्यालय साज सज्जा-

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा-मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, संगीत सामग्री (ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि) क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प ,क्लास रूम टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोव, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि-आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी)

अध्याय-7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार- II

(ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)

भारतीय संविधान में शिक्षा के सार्वजनीकरण को लक्ष्य बनाकर अंगीकृत संकल्प के अनुसार 6 से 14 वय वर्ग के हर बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करना हमारा नैतिक दायित्व है। इस दिशा में विगत 50 वर्षों में किये गये व्यापक प्रयासों के बावजूद अभी भी हम अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं। इस वास्तविकता को दृष्टिगत रख "सर्व शिक्षा अभियान" में ऐसे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जो किन्हीं कारणों से अभी विद्यालय से बाहर हैं।

7:1 तथ्यात्मक पृष्ठभूमि :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्ययोजना में- विद्यालय विहीन बस्तियों में रहने वाले बच्चों, प्राथमिक स्तर की पढ़ाई बीच मे अधूरी छोड़ देने वाले बच्चों, (ड्रॉप-आउटस) पैतृक व्यवसाय मे सहयोग देने वाले कामकाजी बच्चों, अर्थोपार्जन से सीधे जुड़े बाल-श्रमिकों एवं घरेलू कामों/शिशुओं की देखभाल के कारण स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं हेतु प्राथमिक विद्यालयों के विकल्प के रुप में अनौपचारिक शिक्षा योजना वर्ष 1980-81 से संचालित की गयी।

अपने दो दशक के अब तक की कार्य- अवधि में एक ओर जहाँ अनौपचारिक शिक्षा ने प्राथमिक शिक्षा की सुविधा से अपवंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करने की कम खर्चीली एवं लचीली व्यवस्था होने के कारण अपनी पहचान बनाई वहीं उसके योजनागत प्रबन्धन एवं खामियों ने भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। फलतः प्रचलित कार्यक्रम को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

सर्व शिक्षा अभियान मे इस समय संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना को पुनरीक्षित कर इसे शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) एवं वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा योजना (AIE) के नाम से संचालित किये जाने की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित अवरोधक तत्व प्रमुख हैं जो योजना द्वारा इंगित किये गये हैं-

अनौपचारिक शिक्षा योजना मे स्थानीय समुदाय- विशेषकर ग्राम शिक्षा समिति की भागीदारी वहुत कम होना।

1. औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा मे आपसी समन्वय न होना।
2. लोगों की दृष्टि मे अनौपचारिक शिक्षा को दूसरे दर्जे की शिक्षा समझा जाना।
3. प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण न होना।
4. विभिन्न आयु वर्ग के वच्चों की दृष्टि से लचीलेपन का अभाव होना।
5. महिलाओं एवं वालिकाओं की भागीदारी कम होना।
6. स्वंय सेवी संगठनों एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय की स्थिति दयनीय होना।
7. स्कूल से वाहर के वच्चों का 10 प्रतिशत ही योजना से आच्छादित होना।
8. सभी स्तरों पर वित्तीय स्वीकृतियों में अत्यधिक विलम्ब होना।
9. मुख्य धारा में प्रवेश का प्रतिशत कम होना।

7:2 कार्ययोजना का निर्धारण :-

सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना वनाते समय जनपद वस्ती में सिद्धान्तः दो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं-

(क) स्कूल से वाहर के हर वच्चे को जिसकी आयु एवं परिस्थतियां विद्यालय जाने की है प्रत्येक दशा में निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में दाखिल कराना।

(ख) प्राथमिक शिक्षा से वंचित हर ऐसे वच्चे को जिसका किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्कूल जा पाना सम्भव नहीं है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराना। इन दोनों सिद्धान्तों पर अमल करते समय कहने की आवश्यकता नहीं कि उन अवरोधकों से भी वचने का पूरा प्रयास किया जाएगा जिनका उल्लेख 7:1 में किया गया है।

7:3 रणनीति :-

जनपद बस्ती में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप पर परिवार सर्वेक्षण समस्त ग्रामों का माह मई-जून 2003 में परिषदीय अध्यापकों द्वारा जिला समन्वयकों की देख-रेख में कराये गये जिसमें विभिन्न कारणों से विद्यालयों में नहीं जाने वाले 5-14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 21800 पायी गयी।

जनपद बस्ती में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल न जाने वाले कारण सहित आँकडो का विवरण निम्नाकित तलिका का दर्शाया गया हैं।

Detail Of Not Going Children For Reason

Age	5+ to 6+		7+ to 10+		11+to 14+		Total		Grand Total
Reason	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	
Domestic Work	0	125	212	321	436	638	648	1084	1732
Sibbling Care	25	2065	413	828	126	1022	564	3915	4479
In accesibility of School	200	466	0	0	0	0	200	466	666
Labour	0	0	184	126	525	216	709	342	1051
Other reason	3925	3510	2465	1634	1149	1189	7539	6333	13872
Total	4150	6166	3274	2909	2236	3065	9660	12140	21800

(विभागीय आंकड़ा जून, 2003)

पुनः माह जुलाई, 2003 में प्रत्येक विकास खण्ड में परिषदीय विद्यालयों में सम्बन्धित बच्चों का एक अभियान चलाकर नामांकन कराया गया जिसके उपरान्त प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त विकास खण्ड में कुल 16697 बच्चे स्कूल नहीं जाते पाये गये इस सम्बन्ध में प्रत्येक विकास खण्ड स्कूल न जाने बच्चे का नाम भी सूची बद्ध किया गया। विद्यालय न जाने वाले बच्चों की ब्लाकवार सख्यांत्मक विवरण जुलाई 2003 में निम्नवत् है-

EGS/AIE योजना

स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्थिति (6 से 14 वर्ष की स्थिति) :-

क्रमांक	ब्लाक का नाम	2001	जुलाई 2003
1.	परशुरामपुर	2866	661
2.	गौर	3392	1121
3.	हर्रैया	2983	3401
4.	विक्रमजोत	3909	1338
5.	कप्तानगंज	3944	390
6.	रामनगर	4627	1280
7.	सल्टौआ	3892	1150
8.	रूधौली	3896	1503
9.	सांऊघाट	3222	1117
10.	बस्ती सदर	3841	1322
11.	बनकटी	3117	1106
12.	बहादुरपुर	3676	1480
13.	कुदरहा	2288	828
	योग ग्रामीण	45707	16697
14.	नगर क्षेत्र	2695	शून्य
	महायोग	48402	16697

(विभागीय आंकड़ा 2003)

अगस्त 2003 तक स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण जून 2003 से प्राप्त विद्यालय न जाने वाले 21800 बच्चों में से कुल 15988 का नामांकन अगस्त 2003 तक करा लिया गया है। जो तालिका से स्पष्ट है।

स्कूल चलो अभियान प्रगति 2003

जनपद बस्ती अगस्त 2003

हाउस होल्ड सर्वे चिन्हित बच्चे 2003							
	5+ से 6+		7+से 10+		11+से 14+		
बच्चों कि कुल संख्या	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
21820	4150	6166	3274	2909	2236	3065	21800

हाउस होल्ड सर्वे चिन्हित बच्चे का 31.08.03 तक नामांकन विवरण							
	5+से 6+		7+से 10+		11+से 14+		
बच्चों कि कुल संख्या	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
15988	3362	4433	2569	2240	1453	1931	15988

(विभागीय आंकड़े अगस्त, 2003)

शेष 5812 बच्चों के नामांकन हेतु AIE EGS, ब्रिज कोर्स, समरकैम्प, विद्यालय वापस चलो शिविर तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण इत्यादि प्रस्तावित है जिसमें इन बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाना है। उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रमों से एक ओर जहां सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य (शत-प्रतिशत नामांकन) की पूर्ति की जा रही है वहीं दूसरी ओर इन प्रस्तावित कार्यक्रमों से ड्राप आउट की समस्या का समाधान भी करते हुये बच्चों का पुर्ननामांकन तथा इनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाना एवं सम्बन्धित कक्षा में नामांकन कराते हुए शत-प्रतिशत ठहराव का भी प्रयास किया जाना है।

7:3:1 शिक्षा गारण्टी योजना (EGS)

शिक्षा गारण्टी योजना में संचालित केन्द्रों का लाभार्थी समूह 6-8 वय वर्ग का है। इन्हें कक्षा 1 एवं 2 की शिक्षा दी जाएगी।

ऐसे केन्द्रों की संकल्पना उन बस्तियों को ध्यान में रखकर की गयी है जहां मानक के अनुसार (300 से कम आबादी होने के कारण) प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। इसी के साथ निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालय 1 किमी० से दूर होने के कारण छोटी आयु के बच्चे खासकर बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं। अपेक्षा यही की गयी है कि कक्षा 1 व 2 EGS केन्द्र पर पढ़ने के बाद थोड़े बड़े हो जाने पर बच्चे 1.5 किमी० परिधि में स्थित प्राथमिक विद्यालय की तीसरी कक्षा में प्रवेश करा दिया जाएगा।

जनपद बस्ती में 14 विकास क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के दौरान 6-8 वय वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2236 बालक, 3065 बालिका, कुल 5301 पायी गयी है। इनके लिए आगामी तीन वर्षों में जो EGS केन्द्र संचालित किये जाने की योजना है। वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	वर्ष	पूर्व से संचालित	नवीन केन्द्र	योग
1.	2002-03	117	-	117
2.	2003-04	117	-	117
3.	2004-05	117	50	167

7:3:2 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (AIE) प्राथमिक स्तर :-

पूर्व संचालित NFE योजना, वैकल्पिक शिक्षा में जिन मुख्य विन्दुओं में पुनरीक्षित हुयी है वे हैं-

- केन्द्रों का संचालन समय 2 के स्थान पर 4 घण्टे।
- मानदेय रूपये 1000 प्रतिमाह।
- 6-11 (प्रा० स्तर) के स्थान पर 11-14 वय वर्ग हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों का संचालन।
- 10 दिन के स्थान पर केन्द्र संचालन पूर्व 40 दिन का पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण।
- प्रथम बार नगर क्षेत्र में भी AIE केन्द्रों की स्थापना।

जिसके सापेक्ष जनपद में 2002 से 2004-05 के दौरान चरणबद्ध रूप में 101 प्राथमिक स्तर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	वर्ष	पूर्व से संचालित	नवीन केन्द्र	योग
1.	2002-03	51	-	51
2.	2003-04	51	-	51
3.	2004-05	51	50	101

7:3 नवाचार शिक्षा क्रार्यक्रम :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व में संचालित NFE कार्यक्रम में सुधार कर इसमें नवाचार को भी प्रमुखता दी गयी है। नवाचार का अर्थ है लीक से हटकर कुछ प्रयोगात्मक कार्य करना।

जनपद वस्ती में नवाचार शिक्षा कार्यक्रम निम्न वर्गों को प्रमुखता प्रदान करते हुये संचालित किया जायगा।

7:3:1 बालिका शिक्षा :-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत तुलना में अत्यंत दयनीय है। जनपद के 6 कम साक्षरता वाले विकास क्षेत्रों को प्रथम चरण में बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रोत्साहित करने हेतु चुना गया है। ये विकास क्षेत्र निम्नवत् हैं-

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	महिला साक्षरता प्रतिशत	शिक्षा से वंचित बालिकायें	
			6-8 वय वर्ग	9-14 वय वर्ग
1.	परशुरामपुर	11.6	1185	205
2.	कुदरहा	13.6	2418	2209
3.	गौर	14.5	1425	292
4.	बनकटी	16.5	610	852
5.	विक्रमजोत	16.6	1256	1539
6.	सांऊघाट	16.5	1903	1369

कम महिला साक्षरता वाले इन विकास क्षेत्रों मे सर्वेक्षण के दौरान कुछ तो सामान्य कारण सामने आये जिनकी वजह से प्रायः महिला साक्षरता दर कम पायी जाती है। जैसे-

- लिंग भेद ग्रसित मानसिकता के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओ को कम महत्व देना।
- नवजात बच्चों की देख-भाल एवं घर के काम-काज में सक्रिय एवं प्रमुख भागीदारी।
- सह शिक्षा हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर अभिभावकों का तैयार न होना।
- चिट्ठी-पत्री पढ़ लिख लेने की दक्षता को ही बालिकाओं के लिए पढ़ी लिखी होने की दृष्टि से पर्याप्त मानना आदि।
- सांऊघाट, रूधौली विकास खण्डों में ईंट भट्ठों का बाहुल्य है, जिसमे महिला श्रमिक की मांग अधिक रहती है।
- विक्रमजोत, बनकटी, सांऊघाट व रूधौली बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां बाढ़ के समय एवं बाद में भी महीनों तक सम्पर्क मार्ग पर पानी रहने से अनेक ग्रामों का सम्पर्क भंग रहता है।

गौर एवं सल्टौआ में जंगल क्षेत्र आज भी है। जंगलों के होने से बालिका शिक्षा पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है।

1. आवागमन की दृष्टि से असुरक्षा।
2. पत्तों की बहुलता के कारण पत्तल व्यवसाय में भागीदारी।

उक्त सभी कारणों के चलते बालिकाओं की शिक्षा में निम्न समस्यायें लक्षित होती हैं-

1. अभिभावकों में जागरूकता एवं उत्साह की कमी के कारण न्यून नामांकन प्रतिशत।
2. प्राथमिक स्तर पर 45.52 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 40-60 प्रतिशत ड्राप आउट होना है।
3. प्रौढ़ महिला निरक्षरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, जो आगे चलकर बालिका शिक्षा को प्रभावी करती है।
4. शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में बालिकाओं को बालकों से कम महत्व।

इसके अतिरिक्त बालिकाओं में नामांकन, ठहराव एवं साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण यह भी है कि आवागमन की सुविधा को देखते हुये लगभग 90 प्रतिशत महिला शिक्षिकायें नगर क्षेत्र के निकटवर्ती सीमा पर स्थित विद्यालयों में या ग्रामीण क्षेत्रों में रोड साइड के स्कूलों में तैनाती करा लेती हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित अधिकांश विद्यालयों में महिला शिक्षक नहीं हैं। इस कारण भी बालिकाओं का नामांकन कम होता है। जनपद बस्ती में 5-10 वय वर्ग की लगभग 9075 एवं 11-14 वय वर्ग की लगभग 3065 बालिकायें सम्प्रति स्कूल नहीं जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में प्रचलित ड्रापआउट दर 45 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान में नामांकित 113731 बालिकाओं में से भी लगभग 18,000 बालिकाओं के ड्राप आउट होने की सम्भावना है जिसकी रोकथाम की जानी आवश्यक है। इसके लिए निम्नवत् रणनीति अपनायी जायेगी-

➢ सघन एवं सतत जागरूकता शिविर :-

जब हम महिला साक्षरता एवं सशक्तीकरण की बात करते हैं तो प्रायः हमारा अभिप्राय शिक्षा से वंचित फोकस ग्रुप को जागरूक बनाने से होता है।

- ❖ किन्तु हमारी रणनीति इस परिपाटी से भिन्न है।
- ❖ हमारा मानना है कि बालिकाओं की साक्षरता के अवरोध के प्रसंग में बालिकाओं की जागरूकता से कहीं अधिक आवश्यक उनके अभिभावकों की जागरूकता है। क्योंकि यदि बालिकाओं की दिनचर्या एवं परिवेश को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता एवं दृष्टि कोण में बदलाव नहीं आएगा। हम केवल बालिकाओं मे जागरूकता लाने का प्रयास करके सफलता नहीं पा सकेंगे।

❖ इस प्रकार एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादिता या गलत मानसिकता को मात्र 1-2 कैम्प लगाकर नहीं दूर किया जा सकता। इस कार्य में सफलता हेतु हमें इस आन्दोलन की गतिविधियों में निरन्तरता बनाये रखनी होगी, एक निश्चित अन्तर पर बार-बार शिविरों का आयोजन करना होगा तथा सम्प्राप्तियों की समीक्षा करनी होगी।

➢ साक्षरता मेलों का आयोजन एवं फिल्म प्रदर्शन :-

ग्रामीण परिवेश में आज भी पारम्परिक रीति-रिवाजों का जीवन की गतिविधियों पर गहरा असर है। प्रायः देखा जाता है कि भइया दूज, गंगा दशहरा, शिवरात्रि आदि पर्वों पर महिलाओं/बालिकाओं के किसी निश्चित स्थानों पर एकत्र होने की परम्परा होती है। ऐसे स्थलों को चिन्हित कर वहां मेले प्रदर्शनी, कठपुतली प्रदर्शन आदि के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा।

टी.वी. के प्रचार एवं फिल्मों के प्रति ग्रामीण समुदाय के आकर्षण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से रात्रिकालीन सचल फिल्म प्रदर्शन यूनिट के द्वारा भी न्याय पंचायत स्तर पर पूर्व सूचना देकर सी.आर.सी. पर "मीना" एवं अन्य प्रेरक फिल्मों का प्रदर्शन कर वातावरण सृजन किया जाएगा।

लक्ष्य :-

1. प्रथम चरण में जनपद के सभी 14 विकास खण्डों ग्रीष्म कालीन में जागरूकता एवं वातावरण सृजन अभियान चलाकर जुलाई, 2001 के सत्र में बालिका नामांकन 20-30 प्रतिशत वृद्धि।
2. बालिकाओं की ड्राप आउट दर में 10-15 प्रतिशत की कमी लाना।
3. न्यून महिला साक्षरता वाले 6 विकास खण्डों में 6-8 वय वर्ष की शिक्षा से वंचित बालिकाओं में से 40 प्रतिशत का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराना।
4. कम महिला साक्षरता 6 विकास खण्डों में ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना कर वंचित बालिकाओं में 60-80 प्रतिशत को प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना।

   ई.जी.ए. / ए.आई.ई. केन्द्रों पर उपलब्ध होने पर केवल महिला अनुदेशिकाओं को कार्य योजित किया जाएगा।

   विकास क्षेत्र विक्रमजोत एवं रूधौली में एक 30/15 दिन के कैम्प का आयोजन के NGO के माध्यम से कराकर कैम्प में शामिल बालिकाओं का परिषदीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन करना।

विकास खण्ड स्तर पर समारोह आयोजित कर कक्षा 5 एवं कक्षा 8 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को पुरस्कृति करना।

विकास क्षेत्र मे सर्वाधिक बालिका नामांकन वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक / शिक्षकों को सम्मानित किया जाना।

विकास क्षेत्र सांऊघाट में कृषि एवं मजदूरी में लगी बालिकाओं हेतु।

(i) 3 दिवसीय कैम्प लगाकर उनमें जागरूकता उत्पन्न कर पढ़ने की इच्छुक बालिकाओं की पहचान करना।

(ii) 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर चिन्हित बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन करना।

10. गौर एवं कुदरहा विकास क्षेत्र (एवं बाढ़ प्रभावित अन्य विकास क्षेत्रों में भी) 30 के मानक को शिथिल करते हुये 10-15 बालिका की उपलब्धता पर भी EGS/AIE केन्द्रों की स्थापना निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि- जिस प्रकार बालिका शिक्षा- सम्पूर्ण साक्षरता का मूल आधार है, उसी प्रकार

(i) प्रभावी जागरूकता अभियान एवं

(ii) निरापद पहुंच के भीतर पढ़ने की सुविधा ये दो कारण ऐसे हैं जिन्हें मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करने पर ही सर्व शिक्षा अभियान सफल हो सकता है।

7:4 पर्यवेक्षण :-

व्यापक जनहित से जुड़े कार्यक्रम की सफलता जिन बातों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है उनमें प्रमुख हैं-

- न्यूनतम इकाई से उच्च तक इकाई के मध्य तादात्मय।
- अनुभवी एवं दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धन।
- कर्मठ एवं समर्पित व्यक्तियों द्वारा संचालन।
- नियमित पर्यवेक्षण।
- व्यवस्थित अनुश्रवण।
- सूचनाओं का आधुनिक संग्रहण एवं संप्रेषण।

सर्व शिक्षा अभियान की जो सबसे बड़ी विशेषता एवं नवीनता यह है कि योजना का निर्माण एवं प्रबन्ध नींव से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर ऊपर की ओर बढ़ना। इसी सिद्धान्त का पालन करते हुये जनपद बस्ती में प्रबन्धन का ढ़ांचा ग्राम स्तर से प्रारम्भ कर क्रमशः न्यायपंचायत/संकुल विकास खण्ड स्तर से होते हुये जनपद स्तर तक विकसित किया गया है।

7:4:1 ग्राम स्तर :-

ग्राम स्तर पर ई०जी०एस० एंव ए०आई०ई० योजना के संचालन एवं प्रबन्धन का स्तर दायित्व ग्राम शिक्षा समिति (VEC) को सौंपा गया हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि EGS एवं AIE की सफलता एवं असफलता का दारोमदार बहुत कुछ VEC पर है।

यह इस दृष्टि से भी विचारणीय है कि दक्षिण भारत की तुलना में (जिन्हें साक्षरता कार्यक्रमों के सन्दर्भ में आदर्श माना जाता है) अभी उ०प्र० में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका अपेक्षानुरूप नही रही है। यह बात योजना आयोग NFE की समीक्षा रिर्पोट में भी कही गयी है। इस वास्तविकता के सापेक्ष जनपद बस्ती में VEC को भारत सरकार की EGC/AIE के सन्दर्भ में प्रेषित गाइड लाइन्स के अनुसार दायित्व तो सौंपे हैं किन्तु साथ ही उनकी सफलता से निश्चित करने हेतु सुझाव भी दिये गये हैं।

ग्राम शिक्षा समिति- EGS एवं AIE के सन्दर्भ में निम्नवत् कार्य करेगीं :-

- वातायरण सृजन एवं माइक्रोप्लानिंग में सहयोग।
- ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रमाणित करना एवं केन्द्र खोलने हेतु आग्रह करना।
- लाभार्थियों की पहुंच सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से EGS/AIE केन्द्रों की स्थल का चयन करना।
- ग्राम स्तर पर EGS/AIE केन्द्रों के संचालन की दक्षता रखने वाले व्यक्तियों (प्राथमिकता के आधार पर महिला) को पैनल (अनिवार्यतः 3 सर्वाधिक उपयुक्त नाम) खण्ड शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराना।
- केन्द्र संचालनार्थ स्थानीय उपलब्ध संसाधनों को अधिकाधिक सुलभ कराना।
- केन्द्र का नियमित प्रशिक्षण कराना।
- अनुदेशक के कार्य का मासिक सत्यापन कराना।
- दिये गये बजट के अनुसार केन्द्रों पर शिक्षण सामग्री की आपूर्ति कराना।
- अनुदेशक के मानदेय का चेक द्वारा भुगतान।

7:4:2 विकास खण्ड स्तर :-

सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी संचालन, नियमित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं सम्यक नियोजन की दृष्टि से जिला परियोजना कार्यालय में एक उप जिला परियोजना अधिकारी (EGS/AIE) का पद रखा जायगा जो जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा जनपद में EGS और AIE केन्द्रों का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे। उनके सहयोग में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यों का निर्वाहन करेंगे।

- संसाधनों के सम्यक उपयोग एवं सुरक्षा की दृष्टि से NFE योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर एवं उसके लिए प्रस्तावित/नियुक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर वर्तमान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रहेंगे। इन पर EGS, AIE सम्बन्धी सभी आधारभूत आंकड़े एवं अद्यावधि सूचनायें रखी जायेंगी।
- उप जिला परियोजना अधिकारी (EGS, AIE) पद पर तैनात अधिकारी के पास बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित कोई भी प्रभार या कार्य नहीं रहेगा इस पद पर कार्यरत अधिकारी पूर्णकालिक EGS, AIE का प्रबन्धन दायित्व सभालेंगे। इन पर जिला बेसिक अधिकारी का नियन्त्रण रहेगा।
- EGS-AIE योजना हेतु जनपद स्तर पर नियुक्त वरिष्ठ लिपिक के पद पर NFE योजनान्तर्गत जनपद पर कार्यरत वरिष्ठ लिपिक समायोजित किये जाने के प्रस्ताव हैं।
- परामर्शी एवं कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर प्रति नियुक्ति/ संविदा के आधार पर रखे जाने का प्रस्ताव है।

EGS/AIE योजना

स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्थिति (6 से 14 वर्ष की स्थिति) :-

क्रमांक	ब्लाक का नाम	2001	जुलाई 2003
1.	परशुरामपुर	2866	661
2.	गौर	3392	1121
3.	हर्रैया	2983	3401
4.	विक्रमजोत	3909	1338
5.	कप्तानगंज	3944	390
6.	रामनगर	4627	1280
7.	सल्टौआ	3892	1150
8.	रूधौली	3896	1503
9.	सांऊघाट	3222	1117
10.	बस्ती सदर	3841	1322
11.	बनकटी	3117	1106
12.	बहादुरपुर	3676	1480
13.	कुदरहा	2288	828
	योग ग्रामीण	45707	16697
14.	नगर क्षेत्र	2695	शून्य
	महायोग	48402	16697

7:5 केन्द्रों का निर्धारण

EGS केन्द्रों की स्थापना :

जनपद में कुल आबाद ग्राम 3066 है जबकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1346 है इस प्रकार 1720 ग्राम ऐसे हैं जहां प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है इसी के सापेक्ष जनपद में 6 से 8 वय वर्ग के Out of School बच्चों की संख्या, विभागीय आंकड़ो के अनुसार 5301 है किन्तु EGS केन्द्रों की स्थापना में हमारा लक्ष्य संख्यात्मक उपलब्धि के स्थान पर गुणात्मक उपलब्धि प्राप्त करना है, जिससे बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों के समकक्ष शिक्षा मिल सके। इसलिए EGS केन्द्रों की स्थापना चरणबद्ध रूप में की जायेगी।

हमारा मुख्य प्रयास रहेगा कि Out of School बच्चों में से जिनकी आयु/सामर्थ्य प्रा०वि० में जाने की है वे प्रत्येक दशा में स्कूल जाये।

AIE केन्द्रों की स्थापना :

जो बच्चे विद्यालय से बाहर होने के साथ ही अधिक आयु के (Over Age) हो गये है या तमाम प्रयासों के बावजूद जो अपनी परिस्थितियों से विद्यालय जाने मे असमर्थ है उनके लिये AIE केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

जनपद में उपनलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार 9-14 वय वर्ग के Out of School हेतु आगामी 3 वर्षों में 50 विद्या केन्द्र, प्राथमिक स्तर के 50 AIE चरणबद्ध रूप में खोले जायेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के AIE केन्द्र ऐसे ग्रामों में खोले जायेंगे जहां प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी कर उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंच के भीतर न होने कारण बच्चे, विशेष कर बालिकायें शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही है। इनके अतिरिक्त 250 बच्चों को ब्रिज कोर्स कैम्प के माध्यम से मुख्य धारा में सम्मिलित कराया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2002-03 में एक, 2003-04 में दो तथा 2004-05 में दो ब्रिज कोर्स आयोजित किये जायेंगे।

EGS/AIE केन्द्रों की स्थापना का वर्ष वार लक्ष्य

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या							
		EGS				AIE प्रा० स्तर			
		पूर्व संचालित	नये केन्द्र	योग	आच्छादित छात्र	पूर्व संचालित	नये केन्द्र	योग	आच्छादित छात्र
1.	2002-03	117	-	117	2925	51	-	51	1275
2.	2003-04	117	-	117	2925	51	-	51	1275
3.	2004-05	117	50	167	4175	51	50	101	2525
4.	2005-06	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2006-07	-	-	-	-	-	-	-	-

लक्ष्य यह है कि जैसे-जैसे प्राथमिक विद्यालय खुलते जायेंगे अथवा बच्चों का नामांकन निकटतम विद्यालयों में कराते हुये वैसे-वैसे ई०जी०एस०/ए०आई०ई० केन्द्रों को बन्द कर दिया जायगा।

केन्द्रों को प्रारम्भ में कम संख्या में खोलना प्रभावी नियंत्रण एवं संचालन की दृष्टि से भी उपयुक्त है। इसके लिए जनपद के 14 विकास खण्डों एवं 1 नगर क्षेत्र को 3 चरणों में बांटा जायगा। प्रथम चरण में कम महिला साक्षरता एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति बाहुल्य वाले विकास क्षेत्रों में केन्द्र खोल जायेंगे। इसी के साथ वे विकास क्षेत्र भी लिए जायेंगे जिनमें बाढ़ प्रभावित होने के कारण आवागमन की समस्या रहती है।

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प)

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हैं। यह शिविर प्राथमिक एवं उ० प्राथमिक दोनों के लिए चलाये जाते हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा। इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके हैं और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े गये हैं शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी इन शिविर में ऐसे बच्चो को ही प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहें है और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहें हैं इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आंमत्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा। इन शिविरों का वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
शिविरों की सं०	-	-	25	13	-	-	-	-	-

ब्रिज कोर्स

जनपद के ऐसे बच्चे जो शालात्याग कर चुके हैं तथा विशिष्टि कारणों से विद्यालय नहीं जा रहें हैं उनकों विद्यालय वापस लाने के लिए ब्रिज कोर्स चलाये जायेंगे। यह 6 माह का होगा तथा आवासीय होगा। जनपद में इन कठिन समूह के बच्चो को चयनित करके ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा इन कोर्स को चलाने के लिए सभी तैयारियाँ की जायेगी इनका वर्षवार लक्ष्य निम्न है।

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
संख्या	-	-	3	3	-	-	-	-	-

राज्य स्तरीय उच्चधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वंय सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई०जी०एस०/ए०आई०ई० योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद मे चयनित स्वंय सेवी संगठन द्वारा गारन्टी स्कीम वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों की क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार को स्वंय सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशको की प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखतें है। उनका भी सहयोग ई०जी०एस० एजुकेशन गारन्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लियां जायेगा इन स्वयं सेवी संगठन/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

1. शिशु शिक्षा केन्द्र (ECCE) केन्द्रों की सुदृढ़ीकरण :-

छोटे भाई -बहनों की देख-रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएं विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पातीं जिससे विद्यालय में उनका ठहराव (Retention) नहीं हो पाता कुछ बालिकाएं इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित ICDS के माध्यम से संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केन्द्रों में 3-6 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रों के अतिरिक्त मानदेय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में ICDS विभाग द्वारा नगर क्षेत्र सहित कुल 14 विकास खण्डों में 1569 आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। विकास क्षेत्र परशुरामपुर, विक्रमजोत, गौर, रूधौली जहां आंगन बाड़ी, ई०सी०सी०ई केन्द्रों का संचालन

किया जा रहा है। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत संचालित 85 केन्द्रों को भी अभियान की अवधि तक आगे संचालित रखा जाएगा। ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के संचालन हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शाला-त्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। ECCE केन्द्रों हेतु कार्यकर्त्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा। केन्द्रों के वर्षवार संचालन का विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	योग	आच्छादित छात्र संख्या
2001-02	85	-	85	850
2002-03	85	-	85	850
2003-04	85	-	85	850

2. ग्रीष्म कालीन शिविरः-

विकास खण्ड परशुरामपुर, कप्तानगंज, रुधौली, विक्रमजोत, बनकटी जहां कमजोर वर्ग की आबादी अधिक है एवं मजदूरी के कारण शाला त्यागी बच्चों की संख्या अधिक है जिसमें बालिकाओं की अधिकांश संख्या या तो विद्यालय नही जाती है या बीच में ही शालात्याग कर जाती है। शालात्याग कम करने तथा बालिका नामांकन में वृद्धि हेतु ऐसे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की योजना है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या	आच्छादित छात्र संख्या
2002-03	-	-
2003-04	25	1000
2004-05	13	520
2005-06	-	-
2006-07	-	-

परिवार सर्वेक्षण आँकड़ो का वार्षिक अद्यावधिकरण

जनपद में माइक्रो प्लानिंग के अर्न्तगत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर आउट आफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाता हैं। अण्डर ऐज व ओवर ऐज बच्चो को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चो का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को

संशोधित किया जायेगा ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सकें। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आँकड़ो को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 5000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो प्लानिंग के अर्न्तगत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चो की संख्या के विवरण की व्यावस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में आँकड़ो के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्राप आउट किया गया है। यह सूचना एकत्र करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम :-

विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में वृद्धि करने हेतु विद्यालयों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

1- वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता/कमी :-

जनपद स्तर से ग्रामीण स्तर तक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं की स्थिति अधोलिखित सारणी में उल्लिखित है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता के लिए अध्याय 2 में दर्शायी गयी सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि जनपद में 421 प्रा० विद्यालय दो कक्षीय हैं वहीं 5 उच्च प्रा० विद्यालय दो कक्षीय हैं यदि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम तीन कक्ष का मानक रखा जाय तथा चौथा कक्ष उस विद्यालय के लिए आवश्यकता मानी जाय जहां छात्र संख्या अधिक है तो जनपद में 12121 अतिरिक्त कक्ष जिसमें प्राथमिक स्तर पर 1935 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 186, देना होगा। इसके अतिरिक्त नामांकन में वृद्धि के कारण कक्षा-कक्ष की आवश्यकता में प्रतिवर्ष वृद्धि होगी जो निम्न सारणी से स्पष्ट है :-

वर्तमान एवं आगामी वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता वर्षवार

क्र० सं०	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा कक्ष
1-	2003-04	260670	6517	6075	100	6175	342
2-	2004-05	265884	6647	6517	0	6595	52
3-	2005-06	271201	6780	6647	0	6647	133
4-	2006-07	276625	6916	6780	0	6780	136
5-	2007-08	282158	7054	6916	0	6916	138
6-	2008-09	287801	7195	7054	0	7054	141
7-	2009-10	293557	7339	7195	0	7195	144

प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षा का विवरण निम्न हैं:-

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्राथमिक	0	39	142	175	65
उच्च प्राथमिक	12	13	9	0	0

वर्तमान एवं आगामी वर्षों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता वर्षवार

क्र० सं०	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
1-	2002-03	194	23	868	776	92
2-	2003-04	217	103	1280	868	412
3-	2004-05	320	0	1280	1280	0
4-	2005-06	320	0	1280	1280	0
5-	2006-07	320	0	1280	1280	0
6-	2007-08	320	0	1280	1280	0
7-	2008-09	320	0	1280	1280	0
8-	2009-10	320	0	1280	1280	0

परन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त शिक्षको का कोई प्रस्ताव नहीं हैं

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का वर्षवार प्रस्ताव-

आईटम का नाम	विद्यालय पुनर्निर्माण		पेय जल सुविधा		शौचालय		बालर दिवारी		अतिरिक्त कक्ष	
वर्ष	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.
2002-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
2003-04	20	5	-	43	130	39	-	-	39	13
2004-05	10	5	163	-	130	-	-	-	142	09
2005-06	10	5	-	-	130	-	-	-	175	00
2006-07	16	4	-	-	17	-	-	-	65	
2007-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2008-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग :-	56	19	163	53	407	39	-	-	421	34

2- अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता :

वर्षवार शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है-

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र. सं.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग (4+5)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	शिक्षक	शिक्षा मित्र
1.	2003-04	260670	4002	1367	5369	6524	1155	578	577
2.	2004-05	265884	4579	1945	6524	6647	123	61	62
3.	2005-06	271201	4640	2007	6647	6780	133	67	66
4.	2006-07	276625	4707	2073	6780	6915	135	68	67

शिक्षको तथा शिक्षामित्रो में 50% महिलाओं की नियुक्ति की जायेगी।

नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र.सं.	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा०वि० के शिक्षक प्र.अ.+ शि.मित्र	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षामित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षामित्र
1.	2003-04	1155	100	528	527	528	527
2.	2004-05	123	-	61	62	589	589
3.	2005-06	133	-	67	66	656	655
4.	2006-07	135	-	68	67	724	722

इस के प्रस्ताव निम्न हैं-

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
अति० शिक्षक	528	61	67	68
अति शिक्षमित्र		639	66	67

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता सारिणी 8.5 से स्पष्ट है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र.सं.	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1.	2003-04	217	103	1085	958	127
2.	2004-05	320	0	1600	1267	333
3.	2005-06	320	0	1600	1267	0
4.	2006-07	320	0	1600	1267	0

इस के लिए सर्व शिक्षा अभियान मे कोई प्रस्ताव नहीं है।

3- विद्यालयों का रखरखाव :-

हमारा अपना विद्यालय की परिकल्पना के स्वप्न को साकार करने के लिए एवं प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण में समुदाय आधारित शिक्षा समग्र परिकल्पना को सामूहिक विद्यालयों को डी०पी०ई०पी० की तरह सर्वशिक्षा अभियान में भी प्रति विद्यालय 2000 रूपये तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय 2000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय विकास के लिए किये जाने वाले निम्नलिखित कार्यों पर प्राथमिक के आधार पर की जायेगी।

- स्कूल उपयोगार्थ मेज-कुर्सी, टाटपट्टी, अलमारी आदि आवश्यक सामग्री क्रय करना।
- स्कूल भवन में ब्लैक बोर्ड व अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य।
- स्कूल परिसर का सौन्दर्यीकरण, फूल पत्ती, गमला से साज-सज्जा।

प्रत्येक विद्यालयों के भवन के रखरखाव पर भी प्रति वर्ष रू० 5000 के दर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिनका उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव के आधार पर आवश्यकता अनुसार व्यय किया जायगा। यदि किसी विद्यालय को मरम्मत हेतु प्राप्त धन से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी वह यदि चाहे तो दो या तीन वर्षों की धनराशि सम्मिलित कर मरम्मत कार्य करा सकेंगे। उक्त मदों मे वर्षवार प्रस्ताव निम्नवत् है-

रखरखाव अनुदान तालिकाः-

विद्यालय स्तर	विद्यालय संख्या			
	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
परिषदीय प्रा० विद्यालय	1346	1396	1396	1396
परिषदीय उच्च प्रा० विद्यालय	217	320	320	320

विद्यालय विकास अनुदानः-

प्राथमिक विद्यालय स्तर	विद्यालय संख्या			
	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
परिषदीय प्रा० विद्यालय	1346	1396	1396	1396
सहायता प्राप्त प्रा० विद्यालय	-	-	-	-
योग :-	1346	1396	1396	1396

विद्यालय विकास अनुदानः-

उच्च प्राथमिक स्तर	विद्यालय संख्या			
	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
परिषदीय उच्च प्रा० विद्यालय	217	320	320	320
सहायता प्राप्त उच्च प्रा० विद्यालय	24	24	24	24
मा० वि० से सम्बद्ध सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्तर	69	69	69	69
राजकीय वि० से सम्बन्धित उ०प्रा०	4	4	4	4
योग :-	314	417	417	417

4- टीचिंग लर्निंग मेटेरियल :-

सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से अध्यापकों को रू० 500 की दर से अनुदान उपलब्ध कराने का वर्षवार आगणन निम्नवत है-

4.1 शिक्षक अनुदान प्राथमिक स्तर

वर्ष	वर्तमान शिक्षक	शिक्षा मित्र	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षा मित्र	योग
2003-04	4002	1367	578	577	6524
2004-05	4002	1367	589	589	6547
2005-06	4002	1367	656	655	6680
2006-07	4002	1367	724	722	6815

4.2 शिक्षक अनुदान उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	परिषदीय वर्तमान शिक्षक	सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक	सहायता प्राप्त एवं राजकीय मा०वि० से सम्बन्ध उ०प्रा० 73x3	योग
2003-04	1268	168	219	1654
2004-05	1268	168	219	1654
2005-06	1268	168	219	1654
2006-07	1268	168	219	1654

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्युटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्युटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्युटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्युटर शिक्षा से जहा एक ओर लक्ष्यों को सीखने मे मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षको को विषय सामग्री को बच्चो के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षको तथा बच्चों दोनो को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेगें कम्प्युटर शिक्षा की उपयोग एंव रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदो में कुछ चयनित स्कूलो मे कम्प्युटर कार्यक्रमो के अर्न्तगत प्रथमतः प्रतिवर्ष 5-5 विद्यालयों को चयनित किया जायगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्युटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुक्त 60,000/- रू० व्यय किये जायेगे।

वर्षवार	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
कम्प्युटर हेतु उ०प्रा० वि० की संख्या	-	-	5	5	5	5			

5- बालिका-शिक्षा कार्यक्रम

पृष्ठभमि :-

बालिकाओं की शिक्षा एवं साक्षरता दर को देखा जाय तो जनपद बस्ती को स्थिति संतोषजनक नहीं है प्रदेश की महिला साक्षरता दर 42.98 को तुलना में जनपद की साक्षरता दर 24.49 है जिसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी मात्र 39 प्रतिशत है अनुसूचित जाति की महिलाएं जो जनपद के कुल महिला आबादी के 22.3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं, का साक्षरता दर विशेषतः अनुसूचित जाति के महिलाओं की स्थिति निःसंदेह विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की निम्न स्तरीय भागीदारी एवं निम्न सामाजिक स्तर को इंगित करता है। बालिकायें जो बच्चों की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, का शैक्षणिक स्तर निम्न होना उनकी शिक्षा के लिए विशेष सचेतता की आवश्यकता दर्शाता है।

जनपद बस्ती विगत वर्षों में विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित एवं आच्छादित रहा। परियोजनावधि मे बालिकाओं के नामांकन, ठहराव (Retention) एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के क्रम में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गये। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बालक /बालिका को सुलभ कराने विशेषतः बालिकाओं के शिक्षा के सम्बन्ध मे अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध मे अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में चेतना पैदा करने, नामांकन को एक अभियान के रुप में संचालित करने के उददेश्य से निम्नलिखित कार्य संपादित किये गये।

1. स्कूल चलो अभियान के कारण बालगणना द्वारा 6-14 वय वर्ग के बालक/ बालिकाओं का चिन्हीकरण किया गया जो विद्यालय नही जाते हैं।
2. चिन्हित बालक/बालिकाओं को विद्यालय मे नामांकन करने के उददेश्य से
   - **(i)** ग्राम **NPRC, BRC** स्तर पर शैक्षणिक गोष्ठियों का आयोजन जिसमे बालिका शिक्षा पर सामयिक चर्चा करयी गयी।
   - **(ii)** जिला स्तर पर गोष्ठी का आयोजन एवं नामांकन अभियान को प्रत्येक गांव/मुहल्ले तक पहुचने के उददेश्य से ग्राम न्याय पंचायत ब्लाक एवं जिले स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।
     इन कार्यक्रमो के माध्यम से चिन्हित बालक / बालिका के सापेक्ष बालक /बालिका का नामांकन कराया गया।
   - **(iii)** बालिकाओं का गुणवत्तापरक शिक्षा देने एवं विद्यालय मे उनका ठहराव सुनिश्चित करने के उददेश्य से पाठय पुस्तकों का निः शुल्क वितरण सुनिश्चित किया गया।

(iv) विद्यालय के प्रति बालिकाओं मे रुचि पैदा करने जीवनोपयोगी क्रिया-कलापों के माध्यम से विद्यालय ठहराव सुनिश्चित करने के उददेश्य से कार्यानुभव कार्यक्रम भी पायलेट प्रोजेक्ट के रुप मे संचालित किया गया।

(v) बालिकाओं के अधिक शालात्याग दर को ध्यान मे रखते हुए ग्रीष्मकालीन शिवरों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति जन सामान्य मे निःसंदेह उत्साहवर्धक जागरुकता आयी। जिसके परिणाम स्वरुप नामांकन मे आशातीत वृद्धि हुई है।

समस्यायें एंव विश्लेषण:-

उपर्युक्त कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव मे वृद्धि हुई लेकिन अपेक्षित सफलता नही मिल पाई। जनपद के अधिकांश विकास-खण्डो में अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति की संख्या अधिक है। कृषि प्रधान जनपद होने के कारण अधिकांश अभिभावक अपने बालिकाओं को घरेलू कार्य (कृषि पशुपालनआदि) में लगाते हैं। बालिकाओं की उपस्थिति परिवारिक कार्यों मे लगे रहने के कारण औसतनकम होती है। अभिभावक शिक्षा के प्रति कम जागरुक होने के कारण उन्हे विद्यालय हेतु उन्हें पर्याप्त समय नही देते। कुछ बालिकायें कक्षा 5 के बाद असुरक्षा के कारण विद्यालय छोड़ देती हैं। औसत 3 कि० मी० दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित होने के कारण अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय भेजने में हिचकते हैं।

प्रस्तावित रणनीति :-

जनपद बस्ती मे सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वित होने से बालिका शिक्षा को एक सर्वव्यापी स्वरुप देने मे यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। इसे अभियान में प्रत्येक बालिका को शिक्षा सुलभ कराने के उददेश्य से भौगोलिक सामाजिक एवं स्थानीय आवश्यकता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है।

1. बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ विद्यालयों मे अपनी बालिकाओं को भेजने से कतराते हैं।

   परिणामस्वरुप कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अधिकांश बालिकायें विद्यालय छोड़ देती हैं। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए सर्वशिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा के लिए प्रति दो प्राथमिक विद्यालयो के सापेक्ष एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थापना के प्रस्ताव रखा गया है। पर्याप्त संख्या में उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हो जाने से विद्यालय मे छात्राओं की पहुंच आसान हो जायेगी तथा अभिभावक भी बालिकाओं को विद्यालय

भेजने में रुचि रखेंगे जिससे उनमे शाला त्याग के दर में पर्याप्त कमी आ सकती है। साथ ही साथ 1.5 कि० मी० की परिधि से अधिक ऐसे ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा जहो की आबादी 300 से अधिक है।

2. प्रत्येक विद्यालय में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था के साथ-साथ चहारदीवारी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जिससे विद्यालय सुरक्षित एवं आकर्षक हो सकें।
3. माता शिक्षक संघ एवं महिला प्रेरक समूहों का गठन कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जायेगा।
4. बालिकाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने एवं ठहराव में वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा।
5. विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में बालिका शिक्षा समिति के सदस्य, अध्यापक एवं अभिभावक बालिकाओं के शिक्षा हेतु विशेष प्रयास कर सकें।

कार्यक्रम :-

1. शिशु शिक्षा केन्द्र (ECCE) केन्द्रों की सुदृढ़ीकरण :-

छोटे भाई -बहनों की देख-रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएं विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पातीं जिससे विद्यालय में उनका ठहराव (Retention) नहीं हो पाता कुछ बालिकाएं इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित ICDS के माध्यम से संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केन्द्रों में 3-6 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रों के अतिरिक्त मानदेय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में ICDS विभाग द्वारा नगर क्षेत्र सहित कुल 14 विकास खण्डों में 1569 आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। विकास क्षेत्र परशुरामपुर, विक्रमजोत, गौर, रूधौली जहां आंगन वाड़ी, ई०सी०सी०ई केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत संचालित 85 केन्द्रों को भी अभियान की अवधि तक आगे संचालित रखा जाएगा। ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के संचालन हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शाला-त्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। ECCE केन्द्रों हेतु कार्यकर्त्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा। केन्द्रों के वर्षवार संचालन का विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	योग
2001-02	85	-	85
2002-03	85	-	85
2003-04	85	-	85

2- उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :

शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक, पारम्परिक एवं गैर-पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिभावक बालिकाओं के नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेंगे। सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान बनाने की कला के साथ वि० खण्ड रूधौली, कप्तानगंज, विक्रमजोत, गौर प्रशिक्षण को शिक्षा के साथ जोड़ा जायेगा, क्योंकि वहां स्थानीय रूप से उक्त कारोबार विकसित है और कच्चे माल की उपलब्धता भी रहती है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जायेगा।

इस वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक उच्च प्रा०वि० में सिलाई का कार्यानुभव योजना प्रस्तावित है। आने वाले वर्षों में इसका विस्तार किया जायेगा।

3. ग्रीष्म कालीन शिविरः-

विकास खण्ड परशुरामपुर, कप्तानगंज, रुधौली, विक्रमजोत, बनकटी जहां कमजोर वर्ग की आबादी अधिक है एवं मजदूरी के कारण शाला त्यागी बच्चों की संख्या अधिक है जिसमें बालिकाओं की अधिकांश संख्या या तो विद्यालय नहीं जाती है या बीच में ही शालात्याग कर जाती है। शालात्याग कम करने तथा बालिका नामांकन में वृद्धि हेतु ऐसे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की योजना है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या
2002-03	-
2003-04	25
2004-05	13
2005-06	-
2006-07	-

4. आदर्श न्याय पंचायत एप्रोच :-

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जाने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुभवों के आधार पर कुछ न्याय पंचायतों को आदर्श न्याय पंचायत के रूप में चुनकर उनमें शिक्षा के सर्वांगीण विकास के प्रयास किये जाएंगे। वर्ष वार लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया गया है।

वर्ष	आदर्श न्याय पंचायतों की संख्या
2001-02	-
2002-03	-
2003-04	-
2004-05	3
2005-06	3
2006-07	-

5. अन्य :-

बालिका क्षेत्र के बढ़ावा हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं में जागरुकता पैदा करना मातृ सम्मेलन कराना मां-बेटी मेलों काआयोजन प्रभात फेरी द्वारा जागरुकता पैदा करना आदि।

5. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :-

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु बालिकाओं मे निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण कराया जाना है। इसके लिये बालिकाओं मे पाठय पुस्तकों मे वितरण कराया जाना है। इनमे बालिकायें अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जाति के बालकों की जितनी संख्या है। सभी को भी निःशुल्क पाठय पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

6-14 वर्ष वर्ग कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक का वितरण हेतु वर्ष वार अनुसूचित जाति बालक तथा कुल बालिकाओं की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक स्तर परिषदीय (कुल बालिका+ अनु० बालक)	उ०प्रा०स्तर परि० एवं समस्त सहायता प्राप्त एवं राजकीय/मा०वि०से सम्बन्धित उ०प्रा०वि० (कुल बालिका+अनु० बालक)	योग
1.	2004-05	178142	30933	209075
2.	2005-06	181705	35333	217038
3.	2006-07	185339	37968	223307

समेकित एंव सम्मिलित शिक्षा :-

समाज मे ऐसे बच्चे जो किसी न किसी प्रकार के विकलांगता के शिकार हैं। उनकी शिक्षा के लिये अब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरुप आज भी बहुत से ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रणाली की अति संवेदनशीलता के कारण या तो नामांकन करा लेने के कुछ समय बाद विद्यालय छोड़ने को विवश हो जाते हैं या नामांकन कराते ही नहीं। ऐसा देखा गया है कि गम्भीर मानसिक एवं शारीरिक रुप से विकलांग बच्चे विद्यालय से बाहर तो रहते ही हैं आंशिक रुप से विकलांग बच्चे भी हीन भावना के कारण शिक्षा के समान अवसर से वंचित हो जाते हैं।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद मे कुल विकलांग बच्चे चिन्हित किये गये हैं इसमे से 6-11 आयु वर्ग के तथा 11-14 आयु वर्ग के बच्चे चिन्हित हैं।

जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी मे दर्शाया गया है:-

विकलांगता वार चिन्हित बच्चों का विवरण

ब्लाक का नाम	विकलांगता का प्रकार					
	दृष्टि	श्रवण	शारीरिक	मानसिक	अधिगम	कुल
	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11	
साऊँधाट	30	23	122	14	03	192
कुदरहा	44	41	51	32	17	185
सल्टौआ	33	23	92	12	-	160
बनकटी	31	21	90	10	-	152
रुधौली	12	05	07	12	-	36
बस्ती सदर	36	23	54	44	13	170
रामनगर	08	14	51	10	07	90
परशुरामपुर	19	12	92	10	02	135
कप्तानगंज	69	85	86	40	01	281
गौर	51	57	50	54	41	253
विक्रमजोत	21	47	115	22	03	208
हरैया	18	34	45	14	03	114
बहादुरपुर	53	41	147	21	10	272
योग :-	425	426	1002	295	80	2228

समेकित शिक्षा :-

समेकित शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बच्चों के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। अल्प एवं संगत विकलांगता वाले बच्चों को प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा की दिशा में एक व्यापक कार्य योजना का निर्माण किया जायगा। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में विकलांग बच्चों के अभिभावकों में से एक को नामित करने का प्रस्ताव है। इस कार्य योजना के क्रियान्वयन में स्वास्थ विशेषज्ञों, बाल मनोवैज्ञानिकों, विशिष्ट शिक्षकों, समाजिक कार्यकर्ताओं, मूघवधिर विद्यालय व अन्ध विद्यालय के विशिष्ट शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जायगा।

अधिलाभ विकलांगता की पहचान के लिए उपरोक्त विशेषज्ञों का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायगी। इससे न केवल विकलांगता की प्रवृत्ति को पहचानने की अन्तदृष्टि प्राप्त होगी अपितु समेकित शिक्षा के लिए जनपद सन्दर्भदाता को पहचानने में भी सहायता मिलेगी। अधिगम विकलांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला भी विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर प्रस्तावित है। इसमें एक माध्यूल का विकास किया जायगा, जिससे विकलांगता की पहचान और सलाह के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षित किया जायगा। ताकि वे जान सके कि विकलांग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा सके। ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के सन्दर्भ में ब्लाक के अध्यापकों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और विकलांग बच्चों की आवश्यकता के सन्दर्भ में संवेदनशील बनाने हेतु जनजागरण के कार्यक्रम आयोजित करेगा। शारीरिक अक्षमता के कारण विकलांग बच्चों को चिकित्सीय सलाह से उपकरण/संयंत्रों की व्यवस्था समाजिक संस्थाओं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब के माध्यम से करायी जायगी।

सम्मिलित शिक्षा :-

समाज में बहुत से ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण विद्यालय जाने में कठिनाई अनुभव करते हैं या विद्यालय नहीं जा पाते हैं ये बच्चें समेकित शिक्षा वाले बच्चों से अधिक समस्याग्रस्त होते हैं। इनमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खड़े नहीं हो पाते, कुछ के बैठने में कठिनाई होती है, कुछ चल नहीं सकते है इस प्रकार के बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। इनके लिए सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जायगा।

उपकरण एवं संयत्र :-

विकलांगता के क्षेत्र में उनके सहयोग के लिए जनपद बस्ती में पहले से ही कई संस्थायें क्रियाशील है। किन्तु विशेषकर बच्चों पर इन संस्थाओं द्वारा कम ध्यान दिया जाता है। इन बच्चों पर दया नहीं बल्कि सहानुभूति का भाव रखते हुए सामान्य बच्चों की भांति शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से समाज के प्रशिक्षित एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों, संगठनों जैसे- लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, जेसीज क्लब आदि से मिलकर गोष्ठियों एवं आयोजनों के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए उपकरण/संयंत्र उपलब्ध कराया जायगा।

कार्य योजना का क्रियान्वयन :-

विकलांग बच्चों के शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु जनपद में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जायगा। इसके अतिरिक्त जनपद में एक समेकित एवं बाल विकास समन्वयक के पद पर पदस्थापन किया जायगा जो इससे सम्बन्धित समस्त कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगा। जनपद में चलाये जाने वाले सभी परीक्षाओं में विकलांग बच्चों से सन्दर्भित विषय जोड़े जायेंगे। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से समय-समय पर समेकित शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाया जायगा। विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी जनजागरण द्वारा जागरूक किया जायगा तथा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बच्चों के स्कूल भेजने के लिए उत्साहित किया जायगा। इसकी समीक्षा जिला समन्वयक करते जायेंगे।

सम्मिलित शिक्षा के अन्तर्गत कुछ नवाचार कार्यक्रम द्वारा विकलांग बच्चों की उनकी क्षमताओं के विकास करने का प्रयास किया जायेगा। जिसमें स्टेन्सिल काटना, आलू या लकड़ी के ठप्पे बना कर उनका प्रयोग करना तथा उससे कला-कृतियां बनाना मोम या प्लास्टर आफ पेरिस से सांचा तैयार कर कला कृतियां तैयार करना संगीत एवं कला के माध्यम से उनकी इन्द्रियों का विकास करना सम्मिलित है। इसके लिए आवश्यकतानुसार विशिष्ट अध्यापकों को समन्वयक पर उनके घर जा कर शिक्षा देने का प्रयास किया जायेगा।

शिक्षकों का संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

विकलांग बच्चों की मानसिक स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होती है। उनमें हीनभावना की प्रवृत्ति अधिकांश होती है ऐसे बच्चों को उत्साहित करने की आवश्यकता है इसके लिए शिक्षकों में उनके प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा हेतु विशेष आवश्यकता वाले

बच्चों की पहचान कर इनके लिए विशेष प्रशिक्षण माड्यूल तैयार कर उसमें अध्यापकों का आठ दिवसीय संवेदनशील शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ताकि कक्षाओं में बच्चों की पहचान कर उनकी आवश्यकताओं एव भावनाओं का सामजंस्य करते हुए शिक्षा दिया जा सके।

7- छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :-

स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए रोस्टर बना कर विद्यालयों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। विद्यालयों में एक रजिस्टर रखी जायेगी जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उसका पूरा विवरण अंकित किया जायेगा। रोगी बच्चों की चिकित्सा का व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी। सम्प्रति 4 विकास खण्डों में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य चल रहा है।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :-

प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विकलांग कल्यांण विभाग, पंचायत राज्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं समुदायों के साथ विचार-विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा आंकड़ों का संकलन, वातावरण सृजन किया गया, साथ ही योजना के संचालन क्रियान्वयन में भी इनके सदुपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आंकड़ों का संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से जनांकिकी सम्बन्धी मूलभूत आंकड़ों का संकलन किया गया, जबकि विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से समेकित शिक्षा हेतु 6-11 एवं 11-14 वय वर्ग के विकलांग बच्चों की सूची प्राप्त की गयी। पंचायत राज्य विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची प्राप्त की गयी। डूडा के सहयोग से मलिन बस्ती की सूची प्राप्त की गयी।

6-14 आयु वर्ग बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक है। नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बस्तियों की संख्या गांव एवं नगर दोनों में अधिक है। गांव में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर में वार्डवार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अधिकतर शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

वातावरण सृजन :-

नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद की विभिन्न वस्तियों एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ विचार विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :-

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों की सक्रिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नवनिर्वाचित शिक्षा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्षण, पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं 5 वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्षण एवं उन्हें भी प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

जर्जर प्राथमिक विद्यालयों का संख्यात्मक विवरणः-

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	जर्जर प्रा०वि० की संख्या	स्थापना वर्ष	जर्जर उ०प्रा०वि० की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	परशुरामपुर	3		1	
2.	गौर	4		1	
3.	हरैया	4		1	
4.	विक्रमजोत	5		2	
5.	कप्तानगंज	6		3	
6.	रामनगर	5		2	
7.	सल्टौआ	5		1	
8.	रूधौली	4		1	
9.	सांऊघाट	4		2	
10.	बस्ती सदर	3		2	
11.	बनकटी	5		1	
12.	बहादुरपुर	4		1	
13.	कुदरहा	4		1	
	योग :-	56		19	

अध्याय-9

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य

समान, अवसर, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता के मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण तथा आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति की प्राप्ति के लिए शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता के पश्चात शिक्षा के सार्वभौमीकरण शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा समाज के हर वर्ग की सहभागिता को सुनिश्चित करने के अनेक प्रयास किए गये। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए बिना किसी धर्म जाति अथवा लिंग भेद के प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के बल दिया गया है। इसी नीति के अर्न्गत सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक समाज शिक्षा की संकल्पना की गयी।

1. जिसमें सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के अवसर उपलब्ध हों।
2. शिक्षा का एक समान ढ़ांचा हो।
3. दस केन्द्रिक बिन्दुओं पर आधारित एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम हो।
4. उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम स्तरों (दक्षताओं) का समावेश हो।
5. कार्यक्रम को गति तथा सबल प्रदान करने के उद्देश्य से अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को एक सम्पूरक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया हो।

इसी तारतम्य के जनपद बस्ती में भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1996 में की गयी जो बस्ती रोडवेज से जो गोरखपुर रोड पर लगभग पांच किलोमीटर दूर प्लास्टिक काम्पलेक्स प्रांगण में स्थापित है जो शैक्षिक समस्याओं के निराकरण में सतत् प्रयत्नशील है।

डायट के उद्देश्य :-

(i) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग प्रदान करना।

(ii) शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तरों उन्नयन करना।

(iii) शिक्षक-शिक्षा के स्तर को समुन्नत करना।

(iv) जनपद के स्थानीय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं की पहचान करने और उनके पहचान करने और उनके समाधान हेतु क्रियात्मक शोध अध्ययन करना तथा अन्य इकाईयों को मार्ग दर्शन करना।

(v) राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की शिक्षण संस्थाओं के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करना।

कार्य क्षेत्र

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इनके प्रमुख कार्य संक्षेप में निम्न प्रकार से निर्धारित किये गये।

1. सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. प्रसार/परामर्श/शिक्षण एवं शिक्षणोपकरण का निर्माण।
3. क्रियात्मक शोध, सर्वेक्षण, कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

1. संस्थान के विभाग :-

इस विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य है।

(अ) प्राथमिक विद्यालय हेतु अध्यापकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण का आयोजन।

(ब) अधिगमकर्ता केन्द्रित शिक्षा का उत्थान, प्रशिक्षण विस्तार तथा उपयुक्त शिक्षण-सामग्रियों के विकास के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना।

(स) शिक्षण विधियों का सामान्य एवं विशिष्ट उपयोग।

2. कार्यानुभव विभाग :-

इस विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रमों का समावेश है।

(अ) स्थानीय सार्थक कार्यानुभव क्षेत्रों का चयन तथा शिक्षण अधिगमन सामग्री का विकास।

(ब) स्व निर्मित सामग्री का विकास तथा मुल्यांकन उपकरणों का विकास।

(स) सुनियोजित कार्यानुभव आधारित क्रिया कलापों को विद्यालय में प्रारम्भ कराना तथा शैक्षिक अधिकारियों की सहायता करना।

(द) सामुदायिक सेवा तथा कलात्मक मुल्यों के आधार पर संस्थान को जीवन प्रदान करना।

3.जिला संदर्भ इकाई विभाग (डी०आर०यू०) :-

निम्नांकित क्रिया-कलापों को समाहित करते हुये इस विभाग का कार्य विवरण निश्चित किया गया।

(अ) प्रौढ़-शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन एवं सम्बंध जिला अधिकारियों की सहायता करना तथा संस्थान से बाहर आयोजित कार्यक्रमों के नियोजन एवं समन्वय में जिला अधिकारियों की सहायता करना तथा संस्थान से बाहर आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग देना।

(ब) पर्यवेक्षकों हेतु प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा की व्यवस्था करना।

(स) संदर्भ व्यक्तियों हेतु पुनर्बोधात्मक कार्यक्रमों का आयोजन।

4. सेवारत प्रशिक्षण विभाग :-

इस विभाग में निम्नांकित कार्यक्रम अपनायें जाने की निश्चितता है।

(अ) प्राथमिक शिक्षकों के लिये सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन एवं समन्वयन में शिक्षाधिकारियों की सहायता करना।

(ब) अध्यापकों प्रधानाध्यापकों के सेवारत शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(स) संदर्भ व्यक्तियों हेतु पूनर्बोधात्मक प्रशिक्षण द्वारा संस्थान के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों पर सेवारत प्रशिक्षण आयोजित कराने में सहयोग देना।

(द) सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा उपादेयता का मूल्यांकन एवं सतत् प्रगति का अनुश्रवण करना।

5. पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग :-

(अ) प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रचलित तथा नव विकसित विधाओं का समावेश करना।

(ब) पाठ्यक्रम इकाइयां तथा शिक्षण अधिगम इकाइयों का विकास तथा जनपद के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों हेतु कक्षा 1, 2 के स्तर से जनजाति भाषा में प्राइमर का निर्माण करना।

(स) सतत मूल्यांकन हेतु तकनीक तथा दिशा निर्देश का विकास करना।

(द) परीक्षण/प्रश्न बैंक/रैटिंग स्केल तथा निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक कार्यक्रमों हेतु दिशा निर्देशों का कार्यशालाओं द्वारा निर्धारण।

(य) प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा हेतु डी०आर०यू० की सहायता करना।

6. शैक्षिक तकनीकी विभाग :-

(अ) संस्थान से सम्बन्धित स्टाफ तथा संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से सरल प्रभावी तथा अल्प कीमत के शिक्षण सामग्री, चार्ट, माडल, फोटोग्राफ, स्लाइड, आडियो टेप, नाटक आलेख का निर्माण करना।

(ब) जिला संदर्भ इकाई में अल्प कीमतों के शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायता करना।

(स) निम्नांकित सामग्री का अनुश्रवण करना।

(द) समस्त श्रव्य दृश्य सामग्री का रखरखाव।

(य) कम्प्यूटर लैब।

(र) संस्थान व संस्थान से बाहर उत्तम तथा अल्प कीमत आधाति शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन।

(ल) दृश्य-श्रव्य-कैसेट से लाइब्रेरी।

7. नियोजन एवं प्रबन्ध विभाग :-

(अ) जनपदीय विविध शैक्षिक सूचना आकड़ों का रखरखाव तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की सम्प्राति हेतु नियोजन तथा क्रियान्वयन के अनुश्रवण में सहायक सिद्ध होना।

(ब) नीति विषयक परामर्श हेतु अध्ययन के आधार हेतु शैक्षिक नियोजकों प्रशासकों तथा जिला परिषदों को जनपद स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सहायता प्रदान करना।

जनपद बस्ती में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में परिवर्तन के लिए वर्ष 1997 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) प्रारम्भ की गयी। परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा साधनों का सृजन करने के अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये। जिला स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण शिक्षकों को कार्य स्थली पर सहयोग/समर्थन के लिए योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस काम मे जिले में पद स्थापित ब्लाक समन्वयकों न्याय पंचायत प्रभारियों को उनके कार्य एंव दायित्तव से सम्बन्धित तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया।

समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण में आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण तथा विद्यालयों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों का उनके भौतिक/अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर महीने की बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, टी०एल०एम० मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम चलाया गया। यह अनुभव किया गया कि जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना से ओत-प्रोत प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की गयी किन्तु कुछ अनाच्छादित रहे। जिनको समुचित सहयोग एवं पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया गया।

जैसे-

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूर्ण रुप से ध्यान नहीं दिया गया।
2. मान्यता प्राप्त अशासकीय/राजकीय विद्यालयों से सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय तथा शिक्षकों के अकादमिक आवश्यकता पर डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम में ध्यान नहीं दिया जा सका।
3. अशासकीय/हाईस्कूल/इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6 से 8 के बच्चों की शैक्षिक और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
4. मकतब/मदरसों में अध्ययनरत बच्चों/शिक्षकों को, जनपद मे संचालित परियोजना कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

जनपद बस्ती :-

1.	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	- 1346
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या-155 बालक 31 बालिका योग	- 217
3.	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या-	- 100
4.	ई० सी० सी० ई० केन्द्रों की संख्या	- 85

- उपरोक्त आधार पर प्राथमिक एवं उ०प्रा०वि० में सामन्जस्य बढाने की आवश्कता महसूस की जा रही है। जिसे इस कार्यक्रम के साथ कियान्वित किया जायेगा।
- अध्यापकों और बच्चों की अलग-अलग कार्यशालाएं कराकर संप्राप्ति एंव गुणवत्ता का मूल्यांकन कराया जायेगा।
- संदर्भ दाताओं की खोज कर विशिष्ट क्षेत्रों मे सहयोग लिया जायेगा।

1. ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की संख्या :

स्कूल पूर्व शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्तवपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है। जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो में 85 केन्द्रों का चयन किया गया है। इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया। इन केन्द्रों पर कार्य कत्रियों तथा सहायिकाओं की 15 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया गया है। इनके पर्यवेक्षण हेतु सम्बंधित संकुल प्रभारी समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। इन केन्द्रों को इनके समीप के प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध करके संचालित किया जा रहा है। केन्द्र का समय दो घण्टा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई, बहनों की देखभाल से मुक्त विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया जाएगा।

प्रभाव :-

डी०पी०ई०पी० की तरफ से केन्द्रों की कार्य कत्रियों एवं सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण/केन्द्रों के लिए खेल सामग्री उपकरण शिक्षण सामग्री हेतु रूपये 5000-00 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रूपये 1500-00 भी प्रदान किया गया है। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यावरण के लिए ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया है। इस सुविधा से काफी प्रभाव पड़ा है।

1- बच्चों का नामांकन विद्यालय में बढ़ा है।

2- बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।

3- बच्चों के ठहराव में विकास हुआ है।

4- शिक्षा के प्रति बच्चों में रूचि बढ़ी है।

5- जो बच्चे, खासतौर से बालिकाएं छोटे बहन-भाइयों के देख -रेख के कारण विद्यालय नहीं आती थीं, आने लगी हैं।

6- अधिकतम बच्चों को सरल ढ़ंग से सिखाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है।

ग्राम शिक्षा समिति :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टि कोण से डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा शिक्षोन्नयन को स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभिभावकों को जोड़ा गया है। समिति का सचिव सदस्य परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का प्रधानाध्यापक होता है। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण विद्यालय के अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है। शिक्षा मित्रों के चयन का कार्य भी करती है। डी०पी०ई०पी० जनपद बस्ती में डायट के नेतृत्व में V.E.C. को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान द्वारा 124 B.R.G. को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षकों ने ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह डी०आर०जी० का गठन किया गया। बलाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्दों को स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वंय सेवी, संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मलित हैं। डी०आर०जी० के सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया। तथा इस क्रम में डी०आर०जी० के सदस्यों की क्षमता के पुनः उपयोग की आवश्यकता है।

* B.R.C. स्तर पर प्रतिमाह ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों की एक बैठक कराकर उनकी सहभागिता की समीक्षा की जाएगी।

* विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए उनकी आवश्यकताएं चिन्हित की जाएंगी।
* बी०आर०सी० स्तर पर अध्यापकों, बच्चों, और समुदाय के लोगों को विद्यालय के प्रति अधिक जागरूक किया जाएगा।

ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्री करण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ये प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर आयोजित किये गये जो निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित हैं:-

1- प्रतिभागिता परक विषलेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2- कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3- समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतीकरण।
4- प्रतिभागिता उपागम, रोल, केश स्टडी, सम्प्रेषण अभ्यास। जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक, क्रियाशील बनाने एवं विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु। विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा प्लानिंग अभ्यास भी किए गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनाएं तैयार की गयी। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर सुरक्षित की गयी है। तथा उसका क्रियान्वयन किया गया है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारण की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन एंव विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। वर्तमान में शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान तमाम शिक्षा समिति संकल्प एवं प्रयास नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है। जिनमे सूक्ष्म नियोजन एंव विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारुप संकलित है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण एंव विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों से समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। स्कूल के क्रिया कलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण मे सुविधा हुई है। तथा स्कूल न आने वाले बच्चों (खासकर लड़कियों के नामांकन मे लक्ष्य के अनुरुप वृद्धि हुई है।

मध्य स्तरीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि लगभग 55% विद्यालयों मे ही ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठको का आयोजन होता है।

सर्व शिक्षा अभियान मे निर्धारित लक्ष्या की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढ़ीकृत एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियाजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एव एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु

समुदाय की भागीदारी वढाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लोगो को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावको को आमन्त्रित किया जा सकता हैं। शिक्षण के समय तथा प्राशिक्षण के समय भी समुदाय के लोगों को कक्षा मे शिक्षण देखने के लिये आमन्त्रित किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर बच्चों की शिक्षा मे परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों के जागरुक होने पर बच्चों का विद्यालय मे मूल्यांकन नियमित उपस्थिति सुनिस्चित होने मे सहयोग मिलता है। यदि माता पिता शिक्षित है। या परिवार के अन्य सदस्य भाई बहन शिक्षित हैं तो उनसे भी गृह कार्य करने मे मदद मिलती है। छोटे कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभिभावकों मे अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों मे अधिकांश अभिभावक कम पढ़े-लिखे या निरक्षर हैं और कृषि कार्य मे लगें होते हैं। ऐसी स्थिति में ही बच्चों की शिक्षा मे सहयोग नही दे पाते हैं। और न ही उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दे पाते हैं। शहरी क्षेत्रों मे परिषदीय विद्यालयों मे अधिकांश बच्चे गरीव परिवारों से आते हैं। उनके माता पिता व अभिभावक अधिकांशतः मजदूर का कार्य करते हैं तथा स्वंय भी शिक्षित भी नही होते हैं। इसी लिये इनके बच्चों को भी शिक्षा मे कोई सहयोग नही मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे परिषदीय विद्यालयों मे केवल अध्यापक का एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों को अनुसमर्थन की व्यवस्थाः-

शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर मे वृद्वि करने, गुणवत्ता विकास करने कक्षा के प्रक्रिया मे वदलाव लाने की महत्तवपूर्ण भूमिका अध्यापक की है। डायट वस्ती के नेतृत्व मे शिक्षक की क्षमता बढ़ाने उनके विषय वस्तु ज्ञान मे अभिवृद्वि एंव शिक्षण कौशलों मे वदलाव लाने के लिए वहुआयामी रणनीतियां अपनाई गई हैं। डी० पी० ई० पी० के पूर्व S.O.P.T. कार्यक्रम मे जो कठिनाइयां अनुभव की गई.वे निम्न प्रकार हैः-

1. शिक्षक के अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी विषय वस्तु जुड़ी हुई न होकर समान थी जिससे कक्षा की वास्तविक प्रक्रियाओं से जुड़ने मे कठिनाई का अनुभव हुआ।

2. प्रशिक्षण मे प्रतिवर्ष लगभग सभी शिक्षकों को सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने मे कुछ कठिनाई हुई।
3. पुराने अध्यापको मे यह धारणा है कि इस विधि से शिक्षण कार्य करने मे कठिनाई होती है।
4. अध्यापको की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु B.R.C. को बल प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। इन अनुभव के आधार पर परिषदीय विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों, नव नियुक्त अध्यापको को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष सेवा रत प्रशिक्षण आयोजित किये गये। विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण बेसिक शिक्षा अधिकारी. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी डायट के प्रवक्ता मेन्टर एंव प्राचार्य द्वारा किया गया।

शिक्षकों की शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी० आर० सी० समन्वयको, न्याय पंचायत स्तर पर संकुल प्रभारियों की व्यवस्था है। प्रति माह विद्यालयों का श्रेणीकरण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण संकुल प्रभारियों द्वारा किया जाता है। प्रति माह बी० आर० सी० समन्यकों एंव डायट के मेन्टरों जो ब्लाक प्रभारी हैं, के द्वारा तथा प्राचार्य डायट द्वारा भी विद्यालयों का श्रेणीकरण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण किया जाता है। एंव शैक्षिक तथा विद्यालय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं। ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयको के लिए भी आवश्यक निर्देश व समाधान सुलझाये जाते हैं। अकादमिक पर्यवेक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था है परन्तु इसको और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु शैक्षिक अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट स्तर पर डायट के सदस्यों, बी०आर०सी० समन्यवकों, संकुल प्रभारियों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी, विद्यालयों को श्रेणीबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जनपद में स्कूलों की श्रेणी करण के अनुसार स्थिति निम्न है।

जनपद बस्ती में विद्यालयों की श्रेणीकरण की तालिका

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	प्रा० विद्यालयों की संख्या	श्रेणी				पर्वेक्षक/ डायटमेन्टर
			A	B	C	D	
1-	बस्ती सदर	108	22	48	20	18	
2-	कप्तानगंज	110	26	51	19	14	
3-	हर्रैया	111	25	50	20	16	
4-	विक्रमजोत	105	45	33	21	6	
5-	परशुरामपुर	100	30	30	21	19	
6-	बहादुरपुर	117	44	43	13	17	
7-	कुदरहा	79	20	28	12	19	
8-	गौर	110	15	20	35	40	
9-	सल्टौआ	100	22	25	35	18	
10-	रूधौली	56	10	12	30	4	
11-	बनकटी	107	22	28	35	22	
12-	रामनगर	83	20	28	11	24	
13-	सांऊघाट	107	21	23	40	23	

स्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बस्ती।

उपरोक्त श्रेणीकरण व्यवस्था अधिकांशतया भौतिक वातावरण पर आधारित है इसमें शैक्षिक वातावरण को भी समाहित करने की आवश्यकता है जिससे सीखने-सिखाने में और अधिक प्रगति हो। विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण के दौरान जो कठिनाई सामने आती है उसका समाधान मासिक बैठकों/कार्यशालाओं में कराया जाता है। कुछ अन्य नवाचार कराने की आवश्यकता है जिससे सहयोग एवं समर्थन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन सके।

जनपद स्तर पर संचालित कार्यक्रमों का विवरण:-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विवरण :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत कुल 5 प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है अभी तक शिक्षकों को तीन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा द्वितीय और तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किया गया। जिनकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गयी है।

प्रथम चक्र के प्रशिक्षण के प्रशिक्षकों का चयन प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रक्रिया के द्वारा चयनित किया गया। प्रथम वर्ष में टी०ओ०टी० का प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा जनपद से बाहर राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया है। प्रथम चक्र प्रशिक्षण 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण था जो शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् थे-

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहने हेतु अभिप्रेरित करना।
2. सीखने सम्बन्धी बच्चों की कठिनाईयों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
3. शिक्षकों में बच्चों के प्रति समझ विकसित करना।
4. कक्षा का वतारण जिज्ञासापूर्ण बनाना।
5. सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण कार्य में रोचकता लाना।

द्वितीय चक्र प्रशिक्षण एवं तृतीय चक्र प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का चयन प्रतियोगिता के द्वारा किया गया तथा उनका टी०ओ०टी० प्रशिक्षण डायट बांसी जनपद सिद्धार्थ नगर में दिया गया। द्वितीय चक्र प्रशिक्षण सबल प्राथमिक स्तर पर वर्ष 1999-2000 में सम्पन्न कराया गया जो 8 दिवसीय गैर आवासीय था यह प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर प्रदान किया गया। जिसकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गयी। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न थे-

1. विषय वस्तु आधारित शिक्षण।
2. दक्षता आधारित शिक्षण पर बल।
3. सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की जानकारी।
4. विषयों/पाठों के लिए गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनके द्वारा शिक्षण करना।
5. अवधाराणात्मक दक्षता वृद्धि करना।

मई 2001 से तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक समन्वयकों द्वारा अपने-अपने विकास क्षेत्रों में कराया गया। यह प्रशिक्षण साधन नाम के माड्यूल द्वारा सम्पन्न कराया गया। यह प्रशिक्षण बी०आर०सी० भवन तैयार न होने के कारण प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में सम्पन्न कराया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न थे-

1. नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण।
2. कक्षा शिक्षण, गतिविधि आधारित प्रशिक्षण।
3. बहु कक्षा शिक्षण एवं समय प्रबन्धन।
4. सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की जानकारी तथा कक्षा शिक्षण में प्रयोग करना।
5. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रविधियां।

उच्च प्राथमिक स्तर

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इन शिक्षकों के लिए विशेष कर प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनपद में कार्यरत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरण:-

क्र०	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	2916	518
2.	हाई स्कूल से कम योग्यता वाले शिक्षकों की संख्या	156	00
3.	केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या	210	28
4.	केवल इण्टर मीडियट उत्तीर्ण शिक्षकों की सं० अप्रशिक्षित	251	90
5.	केवल इण्टर मीडियट उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या प्रशिक्षित	1000	135
6.	स्नातक (अप्रशिक्षित)	107	65
7.	स्नातक (प्रशिक्षित)	663	115
8.	स्नातकोत्तर (अप्रशिक्षित)	57	15
9.	स्नातकोत्तर (प्रशिक्षित)	472	70

स्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बस्ती।

सारणी से स्पष्ट होता है कि 156 शिक्षक हाई स्कूल से कम हैं जिन्हें विभिन्न विधियों वस्तु का ज्ञान देना नितान्त आवश्यक है शिक्षकों में 415 शिक्षक अप्रशिक्षित हैं जिन्हें बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षण विधियों की जानकारी तथा अन्य तकनीकी जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है।

सारणी जनपद-बस्ती

क्र०सं०	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च पा० स्तर
1.	5 वर्ष से कम	594	84
2.	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	619	64
3.	10 से 15 वर्ष तक	495	67
4.	15 से 20 वर्ष तक	407	78
5.	20 से 25 वर्ष तक	245	74
6.	25 से 30 वर्ष तक	356	95
7.	30 वर्ष से अधिक	200	56
योग :-		**2916**	**518**

सारणी से स्पष्ट होता है कि बस्ती जनपद में 594 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव वाले है जिन्हें छोटे बच्चो के लिए नई शिक्षण विधाओं, बहुकक्षा शिक्षण, विद्यालय समय सारणी, समय प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी देने की आवश्यकता है। सारिणी के अनुसार जनपद में 727 शिक्षक 25 वर्ष या इससे अधिक सेवा अवधि वाले हैं इनके ज्ञान की नवीन विषय वस्तु के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करने की जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

उच्च प्रा०वि० में भी सारिणी देखने पर पता चलता है कि 28 शिक्षक हाईस्कूल की योग्यता वाले हैं। इन्हे भी पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषयों की नवीन जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है। जनपद- बस्ती में 170 अध्यापक अप्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण की अवश्यकता है।

5 वर्ष या इससे कम शिक्षण अनुभव वाले 594 अध्यापक हैं तथा 356 शिक्षक 25 वर्ष से अधिक सेवा वाले हैं इस सभी शिक्षकों की कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया बच्चों के व्यवहार बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता है। योग्य अध्यापकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है विद्यालय भवन विद्यालय परिसर एवं आसपास का वातावरण स्वच्छ एवं सुन्दर बनानें के लिए शिक्षकों छात्रों तथा अभिभावकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए कक्षा की दीवारों पर वर्णमाला, अंक ज्ञान, चार्ट, कहानी चित्रण आदि बनावाने/प्रशिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है या नहीं जो उद्देश्य लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ठीक था।

प्रशिक्षण के संचालन की व्यवस्था एवं अनुश्रवण :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर वी०आर०सी० एवं सहसमन्यवक तथा N.P.R.C. स्तर पर एक संकुल प्रभारी का चयन/पदस्थापन किया गया है जो मूलतः शिक्षक ही है इनको निम्न बिन्दुओं पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया है।

1- समर्थन माडयूल पर आधरित वी०आर०सी०के० कार्य एवं दायित्व।

2- अकादमिक पर्वेक्षण सहयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

B.R.C. समन्यवको सह समन्यवकों तथा N.P.R.C. समन्वयकों के द्वारा विद्यालयों का भ्रमण आदर्श पाठ का प्रसतुतीकरण तथा विद्यालयों का श्रेणी करण N.P.R.C स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन तथा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान शिक्षण सामग्री मेलों आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है।

समन्वयकों की भूमिका :-

बी०आर०सी० द्वारा वर्तमान में किये जाने वाले कार्यों का विवरण :-

1- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठक का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन व विद्यालयों का श्रेणीकरण करते हैं तथा आदर्श पाट का प्रस्तुतीकरण करते हैं। साथ ही सूचनाओं का संकलन कर जिला स्तर पर डायट एवं जिला प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित करते है।

2- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिशु शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण एवं सहयोग।

3- ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का संकलन करना/तथा विद्यालय अनुश्रवण करते हैं।

4- N.P.R.C. का श्रेणीकरण करना तथा उसके क्रिया कलापों का पर्यवेक्षण।

5- वार्षिक कार्य योजना तथा बजट बनाना।

6- विभागीय कार्यों को कराना एवं सहयोग प्रदान करना।

7- विद्यालय सम्बन्धी समस्याओं तथा अध्यापकों की समस्याओं का निराकरण उच्च स्तर से कराना।

8- निर्माणधीन भवन की देखभाल करना व आवश्यक सुझाव देना।

9- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन नियोजन और संचालन।

10- विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लानिंग) विकास कार्यक्रम, केसरडी, मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यो का आयोजन करते हैं।

N.P.R.C. समन्वयकों की भूमिका :-

न्याय पंचायत स्तर पर सकुलभवन का निर्माण कराया गया है। जिसका प्रभारी N.P.R.C. समन्वयक बनाया गया है। N.P.R.C. समन्वयक विद्यालयों का भ्रमण कर उन्हे श्रेणी ब्रद्ध करते हैं तथा कक्षा में आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण करते हैं। साथ ही साथ जनसमुदाय को प्रेरित करना शिक्षकों का सहयोग प्रदान करना, शिशु शिक्षा केन्द्र, ई०सी०सी०ई० का अनुश्रवण एवं सहयोग प्रदान करना, प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य है।

1- स्कूल चलो अभियान में ग्राम वार 6 से 11 वर्ष के बच्चों को चिन्हित कराना एवं शत् प्रतिशत् नामांकन कराना।

2- ग्राम शिक्षा समिति की बैठक सुनिश्चित कराना तथा माइक्रोप्लानिंग तैयार कराना।

3- विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।

4- शिशु शिक्षा केन्द्रों एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण एवं सहयोग प्रदान करना।

5- बाल गणना रजिस्टर प्रत्येक विद्यालयों पर तैयार करवाना।

6- बी०आर०सी० पर मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं बी०आर०सी० को सहयोग प्रदान करना।

7- मासिक बैठकों कार्यक्रमों, कार्यशालाओं की समीक्षा करके रिपोर्ट बी०आर०सी० को तथा डायट को प्रेषित करना।

प्रोत्साहन योजनाएं :-

जनपद में 6 से 11 वर्ष तक के समस्त बच्चों को डी०पी०ई०पी० द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति के बालकों एवं समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गयी। इनके अतिरिक्त अन्य वर्ग के सभी छात्रों को पाठ्यपुस्तक वितरित की गयी विद्यालय में छात्रों के ठहराव एवं शत-प्रतिशत नामांकन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। जिससे ग्रामीण अंचल के निर्धन अभिभावकों को भी सहयोग मिला है। विद्यालयों में पोषाहार छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण से नामांकन में वृद्धि हुई है तथा बच्चों का ठहराव भी विद्यालय में बढ़ रहा है। छात्र वृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों, अल्पसंख्यक के समस्त छात्रों एवं पिछड़ी जाति के कक्षा 3,4 व 5 के एक-एक मेधावी बच्चों को दिया जाता है पोषाहार का लाभ विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को प्रतिमाह मिलता है।

बेस लाइन सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन :-

टी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन वेस लाइन सर्वेक्षण तथा मध्य सत्र सर्वेक्षण 2000 में किया गया। इस सर्वेक्षण से बच्चों के सम्प्राप्ति मूल्यांकन की निम्नवत् स्थिति है।

गणित में कक्षा 1 के छात्रों की उपलब्धि

	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	योग	
					सं०	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	20	6.12	20	7.9	40	6.8
न्यूनतम अधिगम स्तर	35	10.70	38	14.62	73	12.44
न्यूनतम अधिकतम स्तर से अधिक	202	61.77	130	50	332	56.56

गणित में कक्षा 4 के छात्रों की उपलब्धि

	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	योग	
					सं०	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	252	65.3	185	61.5	437	63.6
न्यूनतम अधिगम स्तर	102	26.4	83	27.6	185	26.9
न्यूनतम अधिकतम स्तर से अधिक	7	1.8	7	2.37	14	2.0

भाषा में कक्षा 4 के छात्रों की उपलब्धि

	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	योग	
					सं०	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	128	33.2	91	30.2	219	31.9
न्यूनतम अधिगम स्तर	224	58	187	62.1	411	59.9
न्यूनतम अधिकतम स्तर से अधिक	0	0	0	0	0	0

कक्षा एक- गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षक	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित बालक तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत	अन्य की बालक तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	67.51	67.90	61.86	65.91	78.17
मध्यावधि सर्वे	81.54	76.94	74.28	81.25	84.30
उपलब्धि मे वृद्धि	14.03	9.04	12.42	15.34	6.13

भाषा में कक्षा 4 के छात्रों की उपलब्धि

बेस लाइन सर्वे	38.66	37.70	39.82	39.49	38.54
मध्यावधि सर्वे	44.80	45.59	44.18	45.53	45.89
उपलब्धि मे वृद्धि	6.14	7.89	4.36	6.04	7.35

गणित में कक्षा 4 के छात्रों की उपलब्धि

बेस लाइन सर्वे	36.70	31.22	33.21	29.11	32.42
मध्यावधि सर्वे	37.99	39.54	39.78	37.64	38.77
उपलब्धि मे वृद्धि	11.29	8.32	6.57	8.53	6.35

भाषा में कक्षा 1 के छात्रों की उपलब्धि

	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	योग	
					सं०	प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	38	11.7	34	13.1	72	12.0
मध्यावधि सर्वे	43	12.7	42	16.2	85	14.5
उपलब्धि मे वृद्धि	75	22.8	68	26.2	143	24.4

इस मध्य सत्र मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चला है कि 6.12 प्रतिशत बालक 7.9 प्रतिशत बालिकायें कुल 6.81 प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके। कक्षा एक मे गणित के 10.70 प्रतिशत बालक 14.06 को प्रतिशत बालिका 12.44 प्रतिशत बच्चे ही न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कर सके है।

कक्षा चार के भाषा मे 33.02 प्रतिशत बालक 30.02 प्रतिशत बालिकाये कुल 31.09 प्रतिशत न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके।

कक्षा चार गणित मे 65.03 प्रतिशत बालक 61.05 प्रतिशत बालिका कुल 63.06 प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके।

इस प्रकार जो बच्चे विशेषकर भाषा व गणित मे न्यूनतम अधिगम नही प्राप्त कर सके उनके लिये काफी प्रयास करने की आवश्यकता है।

विशेष बच्चो के बारे मे :-

6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा प्रथम लक्ष्य है। समाज मे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खेतिहर मजदूर बाल श्रमिक. विकलांग बच्चे मलीन बस्तियों के बच्चे जो अपनी कठिनाइयों के कारण विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनके माता पिता तथा अभिभावकों से सम्पर्क करके उनसे बात चीत करके उनकी सोंच मे बदलाव लाना होगा। जिससे सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। यदि ऐसा नही होता है तो हमारा उददेश्य पूरा नहीं होगा। इन बच्चों मे आत्म विश्वास जगाने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को डायट स्तर/ब्लाक स्तर/संकुल स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिकों तथा मलीन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय समय से जोड़ना कठिन है उनके लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इनके पास समय कम होता है इस लिये हम उनको समय सारणी के अनुसार विद्यालय मे नही रख सकते हैं। परिवेश के समय ऐसे बच्चे 6 वर्ष की आयु पार कर चुके होते है। अतः उनका नामांकन कक्षा 1 के बजाय उनकी जानकारी के अनुसार अन्य कक्षा मे किये जाने की आवश्यकता है। तथा औपचारिक पाठ्यक्रम 8 वर्ष मे पूर्ण किये जाने के बजाय कम समय मे पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।

स्कूलों के कक्षाओं की स्थिति

परिषदीय विद्यालय	एकल विद्यालय	दो अध्यापकीय विद्यालय	तीन अध्यापकीय विद्या०	चार अध्यापकीय या उससे अधिक विद्या०
प्राथमिक स्तर	273	632	291	133
उच्च प्रा० स्तर	32	43	58	32

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के नियुक्ति के उपरान्त एकल की स्थिति समाप्त हो गयी है।

शिक्षको की संख्या सारणी को देखने पर पता चलता है कि जनपद बस्ती मे 20.55 प्रतिशत विद्यालय एकल है 47.56 प्रतिशत शिक्षक वाले विद्यालय 21.89 प्रतिशत तीन शिक्षक वाले विद्यालय 10 प्रतिशत विद्यालय चार शिक्षक या उससे अधिक वाले हैं।

इस स्थिति में एकल अध्यापक विद्यालय में इस सिथति में एकल अध्यापक विद्यालय में एक अध्यापक को एक साथ कई विषयों को पढ़ाना पड़ता है। इसके लिए शिक्षकों को बहु कक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण तृतीय चक्र प्रशिक्षण में दिया गया है एक अध्यापक वाले विद्यालयों पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जा रही है। तथा चयनित लोगों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर चलाया जा रहा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है किसी-किसी विद्यालय में एक ही अध्यापक कार्यरत है। जिससे वहु कक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है इनको अंग्रेजी, भाषा, गणित, विज्ञान विषयों से सम्वन्धित विशेष अनुस्थापन शिविर (S.O.P.T.) प्रशिक्षण डायट पर कराया जा रहा है। उच्च प्राथकमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोन्नति करके भेजा जाता है। जिससे वंछित स्तर के योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं एक सामान्य अध्यापक को विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य करना पड़ता है ऐसी स्थिति में उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है जिससे शिक्षक गणित, विज्ञान आदि विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकते हैं।

सहायक सामग्री के उपयोग से प्रभावी शिक्षण संभव है। परन्तु यह देखा जाता है कि विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग देखने में आ रहा है किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय में इसका प्रयोग कम हो रहा है। विषय वस्तु को मौखिक या श्यामपट् पर बच्चों को समझाया जाता है उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता है विकास खण्ड स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय को संकुल भवन वनाकर उसमें प्रयोगशाला की सामग्री दी जाएगी या यहीं से ब्लाक के अन्य विद्यालयों की प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जाएगी।

स्कूल भ्रमण के समय शिक्षकों से वातचीत करने के दौरान अध्यापकों की निम्न कठिनाइयों को महसूस किया जा रहा है।

1- एक समय में एक साथ एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है क्योंकि विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम है।

2- अध्यापकों को अन्य विभागीय कार्यों में लगा दिया जाता है जिससे शिक्षण कार्य करने के दिनों का समय कम मिलता है।

3- अभिभावकों का सहयोग प्राप्त न होने के कारण छात्र गृह कार्य नहीं कर पाते हैं। वच्चो को अक्सर घरेलू कार्यों में लगा दिया जाता है।

4- बच्चों को नियमित विद्यालय अभिभावकों द्वारा नहीं भेजा जाता है।

5- अध्यापकों को सम्वन्धित विषयों में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने का ढ़ंग ज्ञात नहीं है। इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

6- अंग्रेजी, गणित व विज्ञान के कठिन स्तरों का प्रस्तुतीकरण अध्यापक ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है।

7- उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को समझाने में अधिक समय लगता है। क्योंकि बच्चे पूरी तरह तैयार होकर नहीं आते है।

8- कुछ विषयों पर विशेष कर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के अध्यापक न होन के कारण सामान्य अध्यापक को हर विषय पढ़ाना पड़ता है। सामान्य अध्यापक को इन विषयों की जानकारी कम होती है।

9- प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सपोर्ट हेतु बी०आर०सी० समन्वयक, संकुल प्रभारी की व्यवस्था है। परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। यह व्यस्था समन्वयकों एवं संकुल प्रभारियों द्वारा दी जा सकती है।

विभिन्न ग्रामों में बैटक करने पर पता चला कि समुदाय शिक्षकों से अनेक अपेक्षाएं रखता है। डायट द्वारा लैब एरिया के 20 विद्यालयों में सर्वेक्षण किया गया जिससे प्रतीत हुआ कि प्राथमिक विद्यालयों से/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से अभिभावक क्या चाहता है। इस दौरान निम्न विन्दु उभर कर आये-

1- अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय मे पढ़ाना चाहते हैं। परन्तु अध्यापक समय से विद्यालय आयें तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की जाय।

2- शिक्षकों को अन्य कार्यों में न लगाया जाय जिससे शिक्षक कार्य प्रभावित न हो।

3- विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा, अच्छे आचरण व व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाय।

4- विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों के अभिभावक निरक्षर हैं तथा अपने कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। जिससे बच्चों के शिक्षण कार्य में कोई सहयोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की जाय तथा विद्यालय में ही ऐसी व्यवस्था की जाय कि बच्चों को सीखने का अधिक अवसर मिल सके।

एस०एस०ए० के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद संत कबीर नगर मे सार्वभौमीकरण अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है वर्ष 2010 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की जीवनोपयोगी शिक्षा देने का लक्ष्य है। जिससे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करके शिक्षा में गुणात्मक सुधार प्राप्त किया जा सकेगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लक्ष्य :-

1. सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके वर्ष 2007 तक यह लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।
2. सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य 2010 तक पूरा किया जायेगा।
3. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय वैकल्पिक केन्द्र। 74 तथा शिशु शिक्षा घर में शिक्षा से जोड़े जायेगा।
4. सभी बच्चों, समुदायों और समूहों के बीच का अंतर वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
5. 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन व ठहराव वर्ष 2010 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
6. गुणवत्तापरक जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देकर लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। ऐसे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तम शिक्षण प्रणाली तथा शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र 'संकुल तथा विद्यालय के अध्यापकों की सहभागिता होगी, इसके लिए डायट स्तर पर, डायट के सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के सदस्यों, ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों, संकुल समन्वयकों, सहसमन्वयकों की चार दिवसीय 'विजनिंग' कार्य शाला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें शिक्षकों, विद्यालयों, बच्चों की स्थिति में बदलाव लक्ष्यों, कक्षा-कक्षों की वर्तमान स्थिति, उनमें बदलाव के लक्ष्यों, कक्षा-कक्षों की वर्तमान स्थिति, उनमे बदलाव के लक्ष्यों, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों आदि के बारे में विजनिंग कार्यशाला के माध्यम से निष्कर्ष एवं सहमति ली जायेगी। शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशाला का आयोजन संकुल स्तर पर, संसाधन केन्द्र स्तर पर,। संसाधन केन्द्र स्तर पर करके सहमति एवं निर्णय लिया जायेगा। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि S.S.A. के अन्तर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार व समान अवधारणायें बन सकें।

वर्ष में एक बार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें उनके दक्षता एवं शिक्षा कौशल मे वृद्धि हो एवं विषय ज्ञान को बढ़ानें के लिए प्रशिक्षण माडयूल बनाया जायेगा। यह प्रशिक्षण उपलब्ध स्तर पर 6 या 8 दिवसीय कराया जायेगा जिसकी व्यवस्था बी०आर०सी० द्वारा की जायेगी। प्रशिक्षण कार्यशाला संकुल स्तर पर भी आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण का जो भी माडयूल बनेगा वह अध्यापकों के अभिमुखीकरण में सहायक होगा।

S.S.A. में यह प्रशिक्षण, वर्तमान की आवश्यकताओं, बहुकक्षा शिक्षण व शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, शिक्षण समय को बढ़ाना, उच्चतम कक्षाओं के लिए नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित पाठ्य वस्तुओं को प्रभावी ढ़ंग से प्रस्तुत करने हेतु, जो बच्चों को ग्राह्य एवं रोचक हो, के लिए आयोजित किया जायगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणः-

प्रथम वर्ष में प्र०अ०, स०अ०, शिक्षा मित्रों को 8 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो पाठ्य पुस्तकों पर केन्द्रित होगा।

इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के बाद कम समय की सुधारात्मक कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

कार्यशाला एवं प्रशिक्षण विवरण :

1.	संकुल स्तर पर मैटेरियल मेला-	वर्ष में एक दिन
2.	संकुल स्तर पर विजनिंग कार्यशाला-	वर्ष में पांच दिन
3.	संकुल स्तर पर एक-एक दिवसीय कार्यशाला सहायक सामग्री निर्माण हेतु जो पाठ्य पुस्तक आधारित होगा-	(माह में एक तथा वर्ष में 10 दिन)
4.	बी०आर०सी० स्तर पर प्रशिक्षण के फालोअप एवं N.P.R.C. की मासिक बैठक में प्रशिक्षण, कार्यशाला जिसमें आदर्श पाठ अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।	

प्रशिक्षण का कार्य एवं एजेन्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा तथा वर्ष के 5 (पांच) महीनों मे आयोजित किया जायेगा। संकुल स्तर पर कार्यशाला/प्रशिक्षण का अभिलेखी करण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित सेवारत प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी प्रति दिन रूपया 70.00 की दर से अनुमानित व्यय रू० प्रस्तावित है।

दूसरे वर्ष में इसी प्रकार गणित तथा भाषा विषयों को विषय वस्तु आधारित तथा बहु कक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित है जो शिक्षण आयोजित किया जाएगा। जो 7 दिवसीय होगा। प्रशिक्षण के बाद इसी प्रशिक्षण के बाद इसी तारतम्य में लघु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

प्रथम वर्ष 2002-03 के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों पर सहायक सामग्री निर्माण, समय प्राविधान, बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण आदि बिन्दुओं पर ब्लाक संसाधन के प्रस्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

डायट द्वारा तेयार किये गये एजेण्डा की उपयोग में लाते हुये संकुल स्तर पर 7 दिनों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमे ब्लाक संसाधन केन्द्र के स्तर पर हुये कार्यों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप को ध्यान में रखा जायेगा।

संकुल स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षण अवधि को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीति, सामग्री प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष 2003-04 में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी रू० 70 प्रति दिन की दर से 54 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष 2004-05 में विज्ञान, सा० विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे। साथ ही साथ उपलब्ध एक संकुल स्तर पर अन्य प्रकार के भी प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे जो 8 दिवसीय होंगे विवरण निम्न प्रकार से हैं-

विज्ञान शिक्षण को रूचिकर वनाने हेतु, सामग्री निर्माण तथा पाठ के प्रस्तुतीकरण हेतु ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो दो दिवसीय होगा।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु बी०आर.सी. स्तर पर प्रशिक्षण/कार्यशाल आयोजित किया जायेगा जो तीन दिवसीय होगा।

डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डा के आधार पर N.P.R.C. स्तर पर प्रशिक्षण के फालोअप हेतु मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी जो सत्र के प्रारम्भ में 5 माह में सम्पन्न करा ली जायेंगी। चतुर्थ वर्ष में सामग्री निर्माण उपयोग तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केन्द्रित प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

साथ ही साथ B.R.C. एक संकुल स्तर पर अन्य प्रकार के भी प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो 5 दिवसीय होंगे। जिसका विवरण निम्नप्रकार से हैं-

गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण तथा सामग्री निर्माण हेतु संकुल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो तीन दिवसीय होगा।

अुनपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु संकुल स्तर पर सभी अध्यापकों के लिये कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो दो दिवसीय होगा।

कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों के उपयोग हेतु संकुल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो दो दिवसीय होगा।

डायट द्वारा तैयार किए गये एजेन्डा के आधार पर संकुल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। जिसका मुख्य विन्दु प्रशिक्षण का फालोअप होगा। यह मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें सात महीनो में आयोजित की जायेंगी।

इन प्रशिक्षणों में प्रतिभागी, कार्यशालायें रू० 70 प्रतिदिन की दर से रूपये 54 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष 2005-06 में शिक्षकों के लिए पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। जिसमें अभिप्रेरण मुख्य बिन्दु होगा। इसके उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की रूप रेखा तथा विषय वस्तु का निर्धारण आदि की चर्चा करके सहमति ली जायेगी। जो ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर किया जायेगा। प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रूपया 70.00 की दर से अनुमानित व्यय रू० 54 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

अंग्रेजी एवं संस्कृत विषयों पर सामग्री निर्माण एवं शिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय के एक-एक अध्यापक को प्रशिक्षित किया जायेगा जो ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर पांच दिवसीय होगा।

जिन विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन अध्यापकों के लिए विषय वस्तु से आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो पांच दिवसीय होगा।

जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडियट तथा उससे कम है इन अध्यापकों के लिए विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा जो पांच दिवसीय होगा। जिन अध्यापकों का शिक्षण अनुभव 15 से 20 वर्षों से अधिक है। उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा जो छः दिवसीय होगा।

डायट स्तर पर नव नियुक्त अध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं जो नियुक्त होते रहेंगे उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो दस दिवसीय होंगे।

प्रथमिक विधालयों मे पदोन्नति प्राप्त कर प्रधान अध्यापक पद पर कार्य करने वाले तथा अन्य प्रधानाध्यापकों का विधालय अभिलेख के रख रखाव नेतृत्व, समय प्रावधान स्कूल पर्यवेक्षण आदि से समबन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो पांच दिवसीय होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के क्रियाओं का प्रशिक्षण :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की कार्य व्यवस्था नहीं है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों जो हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज में छः से आठ माह तक की कक्षाएं पढ़ाते हैं। उन अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्य-वस्तु का अधिक महत्व है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में वृद्धि की आवश्यकता है इस आधार पर उच्च प्रा०वि० स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आयोजित किए जायेंगे निम्न प्रकार से हैं-

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय से सम्बन्धित शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण, विषय वस्तु, आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा जो विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ का प्रस्तुतीकरण, पाठयोजना से सम्बन्धित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तीन दिवसीय होगा।

संकुल स्तर पर प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो वर्ष के छः माह में होगा। एक दिवसीय मटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें अध्याकपकों द्वारा निर्मित सहायक सामग्री प्रदर्शित की जायगी। जो संकुल स्तर पर होगा साथ ही साथ ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर भी एक दिवसीय मटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षका प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी 70 रू० प्रतिदिन की दर से रूपये 54 लाख अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय से सम्बन्धित, विषय, वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग हेतु प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा जो ब्लाक स्तर पर 7 दिन का होगा। इसी क्रम में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों का प्रस्तुतीकरण पाठ योजना तथा सम्वन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जायगा तो 3 दिवसीय होगा।

डायट द्वारा तैयार किए गये एजेन्डा के आधार पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम हेतु संकुल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिनका आयोजन वर्ष के 6 माहों में सुनिश्चित किया जायगा। संकुल स्तर पर एक दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायगा जिसमें शिक्षकों द्वारा तैयार की गयी सामग्री का प्रदर्शन किया जायेगा। इसी क्रम में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर गणित मेला का आयोजन किया जायगा। जो एक दिवसीय होगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित प्रशिक्षण प्रतिभागी रू० 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानित व्यय रू० 12 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण विधियों तथा विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण किया जायगा जो 6 दिवसीय होगा। इसी क्रम में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ का प्रस्तुतीकरण पाठयोजना तथा संवन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 'ब्लाक संसाधन केन्द्र' स्तर पर किया जायगा।

डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डा के आधार पर प्रशिक्षण के फालोअप हेतु संकुल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायगा। जिसका आयोजन वर्ष के 6 वें माह में सुनिश्चित किया जायगा। इसी क्रम में भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्र / संकुल स्तर पर 2 दिवसीय व 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रू० 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानित व्यय रूपया 24 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा, जो 8 दिवसीय होगा। इसी क्रम में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो 2 दिवसीय होगा। भाषा शिक्षण हेतु आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुतिकरण भी की जायेगी। साथ ही साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण / कार्यशाला का आयोजन संकुल स्तर पर किया जायगा। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संकुल स्तर पर किया जायेगा। जिसका पर्यवेक्षण डायट स्तर के एवं बी०आर०सी० स्तर के संकाय सदस्य करेंगे। मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रणाली सम्बन्धी टेस्ट आइटम हेतु बी०आर०सी० एवं संकुल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जो 2 दिवसीय या । दिवसीय होगा। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में प्रति प्रतिभागी रूपया 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानित व्यय रूपया 36 लाख प्रस्तावित है।

पांचवे वर्ष में शिक्षको को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जायगा जो 6 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षण की रूप रेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभव तथा फीड बैक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और उसी के अनरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिक उपयोग किया जाएगा। पांचवें वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षक प्रति प्रतिभागी रूपया 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानित व्यय से 48 लाख प्रस्तावित है।

उपरोक्त सभी प्रशिक्षण डायट के निर्देशन एवं देख-रेख में बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त उक्त प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिऐ कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किए जायेंगे जो निम्नवत् हैं-

1. जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

कक्षाओं बालिकाओं के प्रति व्यवहार में अध्यापकों को परिवर्तन लाने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जिसमें सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

2. नेतृत्व संबन्धी प्रशिक्षण :-

उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों को नेतृत्व संबन्धी, समय प्रबन्ध एवं विद्यालय प्रबन्धन सम्बंधी डायट/बी०आर०सी रतर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिसका मॉड्यूल सीमैट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा तैयार किया जाएगा।

3. कम्प्यूटर सम्बंधी प्रशिक्षण :-

भावी समय की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं को देखते हुये यह जरूरी है कि बच्चों की कम्प्यूटर की भी शिक्षा दी जाय। इसके लिए प्रथम वर्ष में डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड में कुल सात उच्च विद्यालयों को चिन्हित कर कम्प्यूटर शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर के सदस्यों को एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अध्यापकों को भी डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर पर एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉड्यूल का विकास राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद तथा डायट के सहयोग से किया जाएगा। इस प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक विद्यालयों पर छात्रों को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान करेंगे। और इसका पर्यवेक्षण डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर के प्रशिक्षित सदस्य करेंगे। कार्यक्रम सफलता के आधार पर इसका विकास अगले वर्ष में और किया जाएगा।

अन्य प्रशिक्षण :-

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाएंगें। जो निम्न प्रकार से हैं-

(अ) शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण :-

डायट स्तर पर 276 शिक्षा मित्र और 33 आचार्य जी का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है और वर्तमान में प्रशिक्षण चल भी रहा है। ज्यों-ज्यों शिक्षा मित्र/आचार्य जी चयनित होते रहेंगे उनका प्रशिक्षण डायट स्तर पर होता रहेगा। साथ ही साथ आगे भी प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी का चलाया जाएगा।

(ब) वैकल्पिक शिक्षा :-

प्रतिवर्ष डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का 15 दिन का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल डायट व राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद के सहयोग से जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण बी०आर०सी० समन्वयकों/संकुल प्रभारियों द्वारा किया जाएगा। पर्यवेक्षण हेतु क्षमता बढ़ाने के लिए प्रति दो वर्ष के बाद बी०आर०सी० समन्वयक/संकुल प्रभारी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

(स) ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के कार्यकत्रियों व सहायिका का प्रशिक्षण :-

ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के कार्यकत्रियों व सहायिका को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टिकोण से 15 दिन का प्रशिक्षण डायट/बी०आर०सी० में आयोजित किया जाएगा। जिसमें केन्द्रों की कार्यकत्रियां सहायिका एवं संकुल प्रभारी प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण का मॉड्यूल सीमैट इलाहाबाद द्वारा विकसित उपयोग में लाया जाएगा। केन्द्रों के कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण का मॉड्यूल 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा विकसित किया गया था। परन्तु वर्तमान में आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से आधार शिला भाग 1 व 2 प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न होंगे-

बच्चों की देख-भाल को प्रोत्साहन करने समुदाय का संवेदीकरण व सहयोग प्राप्त करने, स्कूल रेडीनेस, 3 से 6 वर्ष के बच्चों में शारीरिक व भाषायी विकास करने की क्षमता, बच्चों में संज्ञानात्मक, संवेदात्मक, सृजनात्मक, अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। इस प्रशिक्षण का 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शिक्षण सामग्री के विकास में लगाया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि 8 दिन का होगा जिसमें 5 केन्द्रो का भ्रमण भी कराया जाएगा। इस मॉड्यूल का प्रयोग आगामी 4-5 वर्ष तक किया जाएगा तथा इसकी समीक्षा भी की जाएगी।

ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों एव संकुल प्रभारियों का प्रशिक्षणः-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषदीय प्रा० वि० को ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों संकुल प्रभारी द्वारा सहयोग एंव पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्रा०वि०मा० प्राप्त उ०प्रा०वि० हाई स्कूल व इण्टर कालेज के 6 से 8 तक के कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षको को अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इसके लिय ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों संकुल प्रभारी के क्षमता की विकास करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से बी०आर०सी० समन्वयक संकुल प्रभारी का उनके कार्य के प्रति दायित्व अकादमिक पर्यवेक्षण क्षमता बढाने के संदर्भ मे 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

इस मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है परन्तु जनपद की आवश्यकता के अनुसार इसमे संशोधन कर उपयोग किया जायेगा। सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण बी०आर०सी० समन्वयक एंव संकुल प्रभारी भी प्राप्त करेगे साथ ही साथ शिक्षा मित्र आचार्य जी वैकल्पिक शिक्षा अनुदेशक व ई०सी०सी०ई० कार्य कत्रियों, शिक्षा गारन्टी योजना के अर्न्तत अनुदेशकों के पर्यवेक्षण हेतु विकास किये गये मॉड्यूल के आधार पर भी इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे ब्लाक संसाधन केन्द्र, समन्यवक एवं संकुल प्रभारी बेहतर अनुभव कर सकें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक प्रशिक्षणः-

जनपद में विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, नियोजन, क्रियान्यवन में महतवपूर्ण भूमिका है। इस हेतु इनके भी प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल का विकास सीमैट द्वारा किया गया है। इनके लिए बोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमैट के सहयोग से डायट स्तर पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से होंगे।

प्रशासनिक नियंत्रण, कार्यक्रमो का अनुश्रवण विद्यालयों ब्लाक संसाधन केन्द्रों, संकुल प्रभारियों, वैकलपिक केन्द्रों, शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्रों, आदि के अकादमिक पर्यवेक्षणों हेतु आयोजित प्रशिक्षण माइक्रोप्लानिंग, ई०एम०आई०एस० आंकड़ों तथा सामुदाकि कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षण के प्रति काम करेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण :-

विद्यालयों के गतिविधयों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, शत-प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन कराने सभी बच्चों की उपस्थिति बनाये रखने, ग्राम शिक्षा योजना को बनाकर उनका क्रियान्यवन करने के दृष्टि कोण से तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समितियों का आयोजित किया जाएगा। क्योंकि पूर्व प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों में संशोधन हो गया है। इसमें जागरूक अभिभावकों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में इसका शुरूआत किया जाएगा। प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर से डी०पी०ई०पी० के अर्न्गत किया गया है परन्तु आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान में संशोधित / परिवर्तित करके प्रयोग किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण मे निम्न लोग प्रतिभाग करेंगे-

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं महिला सदस्य।

युवक मंगल दल के सदस्य।

मॉड्यूल कलस्टर चयनित क्षेत्रों के समुदायिक सहभागिता में और अधिक बढ़ावा देने हेतु महिला अभिप्रेरक समूह, माता संघ एवं पिता संघ तथा अभिभावक, अध्यापक संघ को प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कोरटीम के सदस्य भी प्रतिभाग करेंगे।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप सूक्ष्म नियोजन स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। और विद्यालय सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित

करके उन्हे स्कूल ले जाने का प्रयास किया जाता है तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से विद्यालयों मे अध्यापकों का उत्तर दायित्व का पालन सुनिश्चित होता है। जिससे बच्चों मे शैक्षिक सम्प्राप्ति बढ़ती है।

सर्व शिक्षा अभियान परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षणः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सीमैट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के सम्बन्ध मे जनपदीय टीम को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण समय को बढ़ानाः-

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं व बी०आर०सी० समन्वयको, संकुल प्रभारियो द्वारा भ्रमण किए जाने पर यह अध्ययन किया गया कि प्रथमिक विद्यालयों मे समय सारिणी का प्रयोग अधिकांशतः नही किया जाता है। वर्ष में बस्ती जनपद मे कुल 220 दिन कार्य दिवस के लिए विद्यालय खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। जिसमे 183 दिन शिक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालय मे तथा 180 दिन उच्च प्राथमिक विद्याालय में शिक्षण के लिए उपलब्ध रहा।

जनपद बस्ती :-

कुल दिवस	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
शिक्षण दिवस	183	180
परीक्षा	9	10
अन्य कार्य	10	12
नष्ट हो जाने वाले दिन	8	8
समुदाय से समपर्क	10	10
योग	220	220

सारिणी

विषय	प्राथमिक स्तर बादन/समय	उच्च प्राथमिक स्तर बादन/समय
भाषा 1- हिन्दी	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 8	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 8
भाषा 2- अंग्रेजी	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 4	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 6
भाषा 3- संस्कृत	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 3	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 5
विज्ञान	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 4	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 6
गणित	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 8	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 10
समाजिक विज्ञान	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 4	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 6
समाजोपयोगी कार्य	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 5	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 4
कला शिक्षण	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 4	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 3
अन्य प्रा०शि०शारीरिक शिक्षा	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 6	
कृषि शिक्षा पर्यावरणीय अध्ययन	प्रति घ० 40 मि० = 40 x 2	

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करने हेतु 183 दिन ही उपलब्ध हो पाये हैं। जबिक विभाग द्वारा 220 दिन कार्य करने का निर्देश है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 220 दिन कार्य दिवस सुनिश्चित किया जायेगा। परिक्षा, समुदाय के साथ सम्पर्क तथा अन्य कार्यों मे जो समय लगता है उन्हे बचाने का प्रयास करके शिक्षण दिवस 220 दिन कार्य करने का समय उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्य सामग्री. डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत नवीन पाठ्यपुस्तकों को विद्यालयो मे जुलाई, 2000 से लागू किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2005 तक इन पाठ्यपुस्तकों को जारी रखा जायेगा। इसके बाद राज्य शैक्षिक एंव प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्य पुस्तको मे यथा स्थान संशोधन करने पर पुनः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मे वितरित की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण से लगभग 1566290 लाख बालिकाएं, तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 2259.45 लाख रूपया व्यय होगा। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक संदर्शिकाएं जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित की गयी थी। उन्हें सभी परिषदीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एक-एक सेट दिया जा चुका है। इससे अनुमानित व्यय लगभग रूपया 650 हजार धनराशि पुस्तिका है। प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 तक संशोधित पाठ्य क्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर

सभी प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किये जा चुके है। यह पाठ्य पुस्तक राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों शिक्षकों वाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से विकसित की जा रही है। इन पाठ्य पुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001-2002 में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाएं विकसित करके वितरित की गयी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति व जन-जाति के बच्चों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाएगी। जिससे लगभग 15000 बच्चे लाभान्वित होंगे। अनुमानित धनराशि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में 225 लाख रूपये व्यय होगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्रीः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्य करने में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जाएगी। जिससे किशोरी बालिकाओं की जीवन में उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार हो सके इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी।

गुणवत्त विकास में डायट की भूमिकाः-

1- अकादमिक नेतृत्व प्रदान करनाः-

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। गुणवत्ता विकास हेतु जनपद स्तर पर वार्षिक कार्य योजना विकसित की जाएगी। डायट स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र संकुल स्तर पर अभिकर्मियों के लिए नियोजन क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु कार्य श्रेणियों का संचालन मूल्यांकन् अनुश्रवण सामाजिक विकास ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि का डायट स्तर पर प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा निर्वाह किया जाएगा इन सभी कार्यकलापों का लक्ष्य होगा कि डायट शिक्षकों का कार्य स्थल पर सहयोग समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता सम्वर्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी।

क्षमता विकास करनाः-

डायट की महत्व पूर्ण भूमिका जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना है प्राथमिक तथा उ०प्रा० के शिक्षकों की विषय वस्तु पर शिक्षण विधि आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं संकुल प्रभारी के अनुश्रवण पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना वैकल्पिक शिक्षा, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों को पूर्ण करने हेतु डायट की क्षमता विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को

लागू किया जाएगा इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वंय सेवी संगठनों से सम्पर्क भी किया जाएगा। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध मूल्यांकन का उपयोगी कार्यक्रम क्रियान्यवन सुनिश्चित किया जाएगा। डायट द्वारा ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई० प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों वी०आर०सी० समन्वयक व संकुल प्रभारी के क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण चलाए जाएंगे। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के प्रवक्ताओं, सदस्यों को अर्थ व्यवस्थित करके क्षमता में विकास किया जाएगा। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों से लाभ उठाकर डायट के सन्दर्भ सदस्य हेतु व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जाएगा। साथ ही साथ नेतृत्व, प्रबन्धन एवं नियोजन तथा शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जाएगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूह सुद्धढ़ीकरणः-

जनपद स्तर पर गुणवत्ता सम्बर्धन, कार्यक्रम का नियोजन, क्रियान्यवन तथा अनुश्रवण करने के गुणवत्ता विकास का विशलेषण करके उनका समाधान करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह का गठन किया जाएगा जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विधि योग्य शिक्षक आदि सदस्य होंगे। अकादमिक समूह के क्षमता विकास के पूर्व उच्च स्तर पर अकादमिक क्षमता विकास करने की गरज से हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज के शिक्षक को जोड़ा जाएगा तथा इनकी क्षमता सम्वर्धन हेतु राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद के सहयोग से क्षमता विकास प्रशिक्षण/कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ये कार्यशालाएं मुख्य रूप से अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण, स्कूल का प्रबन्धन, शिक्षकों की समस्याओं के निवारण आदि बिन्दुओं पर होगी। यह कार्यशाला प्रत्येक वर्ष 5 दिवसीय होगा।

गुणवत्ता सुधार में स्वंय सेवी संगठनो की सहभागिताः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं अथवा स्वैक्षिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है उनका सहयोग डायट की क्षमता विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर वी०आर०सी० समन्यवकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने हेतु उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जाएगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवों व ख्याति प्राप्ति स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति के स्वैच्दिक संस्थाओं का चयन किया जाएगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षणः-

डायट स्तर पर प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर के उपयोग की जानकारी देना आवश्यक है क्योंकि संस्थान में नियोजन तथा अनुश्रवण में भी कम्प्यूटर की सहभागिता कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, ई०एम०आई०एस० आंकड़ो का विशलेषण, सामग्री विकास तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का निर्वाह डायट स्तर पर किया जाएगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करनाः-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत अध्यापकों को 500 रूपया प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार सहायक सामग्री के निर्माण हेतु दिया जा रहा है। शिक्षक इससे चार्ट, नक्सा अन्य सहायक सामग्री उपयोगिता के अनुसार क्रय/निर्माण कर सकते हैं विशेष कर विज्ञान एवं गणित के उपयोगी सहायक सामग्री का निर्माण कर सकते हैं विषय आधारित तथा पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग के लिए इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए सर्वशिक्षा अभियान योजना में भी शिक्षक अनुदान रूपया 500 प्रति अध्यापक प्रति वर्ष जारी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड आपरेशन योजना में उपलब्ध कराये गये विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसको प्रभावी बनाने हेतु पूर्व की भांति मैटीरियल मेले का आयोजन किया जाएगा। सहायक सामग्री निर्माण एवं क्रय के सामग्री की प्रदर्शनी संकुल स्तर, बी०आर०सी० स्तर पर डायट स्तर पर लगाई जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास होगा।

कार्यशाला/गोष्ठियों का आयोजन :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत संकुल स्तर पर मासिक बैठकें आयोजित की जाती है जो पूर्णतया सहायक सामग्री निर्माण पर आधारित है। प्राथमिक विद्यालय के विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां डायट स्तर/ बी०आर०सी० स्तर पर की जाएंगी। बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त सामग्री निर्माण का कार्य एवं आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा। यह कार्य डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत होता आ रहा है। इसलिए ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई के मासिक बैठक में इन संगोष्ठियों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु डायट स्तर, बी०आर०सी० स्तर, संकुल स्तर पर बनने वाले वार्षिक कार्ययोजनाओं के आधार पर गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुख्यतया शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कठिनाइयों के निस्तारण, आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यशाला /संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।

1. बच्चों के समप्राप्ति स्तर के आँकड़ों का शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री का निर्माण।

3. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कहानी, कविता आदि का संकलन।
4. छात्र-छात्राओं के अधिगम समप्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आईटम का निर्माण।
5. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।

शोध एवं मूल्यांकन :-

जनपद बस्ती की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्य का बहुत बड़ा महत्व है। संस्थान निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विभिन्न विषयों के पाठक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्धन, मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन करके व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारण हेतु क्रियात्मक शोध करेगा। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं शिक्षक प्रशिक्षक समन्वयक निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों को, समन्यवकों का, ऐक्सन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमैट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा।

ऐक्शन रिसर्च के लिए अध्यापकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। अध्यापक डायट के नेतृत्व में ऐक्शन रिसर्च हेतु अपनी योजना का निर्माण करके कार्यान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतया ऐक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करना तथा योजना को सुचारू रूप से क्रियान्यवन कर पूर्ण करना है।

शिक्षकों की शिक्षा क्षमता का अध्ययन तथा मूल्यांकन डायट द्वारा किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास रूम आबजरवेशन स्टडी की जाएगी।

एक्शन रिसर्च :-

जनपद बस्ती में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने के लिए अध्यापकों में क्षमता वृद्धि करने के 5 दिवसीय कार्यशाला सीमैट इलाहाबाद और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद लखनऊ के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। वी०आर०सी० समन्वयक संकुल प्रभारी समस्याओं को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया जायेगा। शिक्षक अपनी समस्यओं के निदान के लिए स्वंय अपनी कार्य योजना बनायें और कामयाबी पाने का तरीका खोजें इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया से उच्च स्तर से विद्यालय तक ले जाया जाएगा। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया संकुल स्तर से विद्यालय तक ले लिया जाएगा। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित बिन्दु निम्न हैं -

* शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्यवन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
* शिक्षक अनुदान रूपया 500 का सार्थक सदुपयोग किस प्रकार सम्भव है।
* विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।

* बहु कक्षा शिक्षण में विभिन्न विषियों का विकास कैसे किया जाएगा।
* कक्षा के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों का सहयोग कैसे प्राप्त करे।
* कक्षा की प्रक्रिया में जन समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के तरीके।
* चिन्हित/खराब विद्यालयों के प्रबन्धन मुद्दे तय करना।
* महिला शिक्षिकाओं का रोल परिवर्तन करने के उपाय।
* कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीकि।
* जिन बच्चों का शैक्षिक सम्प्राप्त कम है उनके कारण जानने का उपाय।
* विद्यालय में समुदाय के सहयोग के अभाव का कारण जानना।
* बच्चों के विद्यालय में कम ठहराव के कारणों को जानने का उपाय।

आंकड़ों का विष्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोगः-

प्रत्येक गांव, ब्लाक, विद्यालय की मूल भूत समस्याओं, असवश्यकताओं की जानकारी ई०एम०आई०एस० के आंकड़ों के विष्लेषण से मिलती है। आंकड़ों के विष्लेषण से ब्लाक वार, ग्राम वार, विद्यालय वार, लिंग वार तथा श्रेणी वार छात्रों की जानकारी मिलती है कहां ड्रापआउट बच्चे अधिक हैं इससे उनकी समस्याओं ,की जानकारी कर सकते हैं।

कार्ययोजना अन्तर्गत कार्यक्रमों का मूल्यांकन :-

वर्तमान में मूल्यांकन प्रणाली उचित है परन्तु उसमें सुधार की आवश्यकता है डायट के कुशल प्रवक्ताओं/अध्यापकों के सहयोग से कक्षा 5 व कक्षा 8 के परीक्षा का प्रश्न-पत्र तैयार करके एन०पी०आर०सी० स्तर पर परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तथा मूल्यांकन भी बी०आर०सी० स्तर पर डायट के देख-रेख में कराया जायेगा। छात्रों की उपलब्धि, उनके सतत् मूल्यांकन एवं फीडबैक तैयार करने हेतु मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी। राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद द्वारा डायट स्तर पर डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत मूलयांकन सम्बन्धी एक प्रणाली का विकास किया गया है। जिसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल भी किया जा रहा है। इस सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को अन्तिम स्वरूप प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग में लाया जायेगा। तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण भी सितम्बर 2001 में आयोजित किया जा चुका है। इस स्तर पर डायट के मेन्टरों बी०आर०सी० समन्वयक तथा ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागियों की प्रशिक्षण सारणी निम्नवत् है :

क्र०	कार्यक्रम/प्रशिक्षण का नाम	प्रतिभागी	अवधि
1-	शिक्षा मित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण अ. आधारभूत प्रशिक्षण ब. पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	 शिक्षा मित्र आचार्य जी शिक्षा मित्र आचार्य जी	 30 दिन 15 दिन
2-	वैकलपिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	वी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी	06 दिन
3-	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, जिला परियोजना कार्यालय स्टाफ ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०, बी०आर०सी० समन्वयक	04 दिन
4-	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चयनित प्रशिक्षक	10 दिन
5-	वैकलपिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण– अ. आधारभूत प्रशिक्षण ब. पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	 अनुदेशक अनुदेशक	 15 दिन 10 दिन
6-	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के कार्यकत्री एवं सहायिका का प्रशिक्षण	ई०सी०सी०ई० के केन्द्रों की कार्यकत्रियां एवं सहायिकाएं	15 दिन
7-	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०	05 दिन
8-	बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी का प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी	07 दिन
9-	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी०आर०जी० का प्रशिक्षण	बी०आर०सी० के सदस्य	03 दिन
10-	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ बी०आर०सी० समन्वयक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित प्रशिक्षक	30 दिन
11-	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	विषय से सम्बन्धित एवं सामान्य शिक्षक	10 दिन
12-	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	प्राथमिक विद्यालय में नव नियुक्त सहायक अध्यापक	10 दिन
13-	उर्दू शिक्षको का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	10 दिन
14-	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाल शिक्षक	05 दिन

15-	ऐक्सन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ चुने हुए बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16-	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी तथा चयनित डायट स्टाफ के शिक्षक	03 दिन
17-	मैटीरियल मेला सम्बन्धी प्रशिक्षण	चुने हुए अध्यापक	03 दिन
18-	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी०आर०सी समन्वयक एवं संकुल प्रभारी	03 दिन
19-	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी०आर०सी समन्वयक एवं चुने हुए संकुल प्रभारी तथा चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	05 दिन
20-	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21-	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इन्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22-	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री का विकास	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इन्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23-	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण	अकादमिक सन्दर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24-	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मैटीरियल का विकास सम्बन्धी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
25-	कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य के उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला	बी०आर०सी० समन्वयक एवं चुने हुए विद्यालय के शिक्षक	02 दिन
26-	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
27-	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०, बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी	04 दिन
28-	बाल श्रमको हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य तथा शिक्षक	05 दिन

अकादमिक सुपर वीजन में डायट बी०आर०सी० एवं संकुल की समेकित भूमिका अकादमिक सुपर वीजन में महत्वपूर्ण रहेगी संकुल प्रभारी अपने अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी०आर०सी० समन्वयक को देगा तथा बी०आर०सी० समन्वयक समीक्षा करके अपना प्रतिवेदन डायट को प्रस्तुत करेगा। डायट में एस०आर०जी० एवं चुने हुए बी०आर०सी० सदस्यों के द्वारा मुख्य बिन्दु पर चर्चा करके आगे का एजेण्डा तैयार करेगा। डायट के निर्देशन में समन्वयक व संकुल प्रभारी कार्य करेंगे और डायट अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठक का आयोजन, भ्रमण कार्यों के अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य का विकास करेगा। अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इन्टर कालेज में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकलपिक शिक्षा के अनुदेशकों, ई०सी०सी०ई० के कार्यकत्रियों शिक्षा गारन्टी योजना के आचार्य जी को भी अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाएगा। और बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी के क्षमता वृद्धि हेतु डायट स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्ष्ण का आशय यह होगा कि डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत चलाए गये अकादमिक पर्यवेक्षण प्रभारी को और अधिक सुदृढ़ एवं सबल बनाया जा सके। बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी०, विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का श्रेणी प्राप्त करने वाले संसाधन केन्द्रों, विद्यालयों को उच्च स्तर प्राप्त करने पर बल दिया जायेगा। डायट के नेतृत्व में बी०आर०सी० समन्वयक गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

शिक्षको का सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

* विद्यालयों में प्रशिक्षण के प्रभाव का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।
* ई०जी०एस०, वैकलपिक शिक्षा शिशु शिक्षा घर केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
* बी०आर०सी० के माध्यम से समुदाय के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं समुदाय की भागीदारी कि लिए अनय संस्थाओं एवं विभागों से समन्वय स्थापित करेगा।
* ई०एम०आई०एस० आंकड़ो का संकलन तथा विश्लेषण।
* गुणवत्ता विकास हेतु वी०आर०सी० स्तर पर सन्दर्भ समूह विकसित करेंगे।
* शिक्षक को शोध एवं मूल्यांकन हेतु सहयोग प्रदान करेंगे।
* अकादमिक अनुश्रवण का कार्य एवं स्कूल डेवलपमेन्ट पलान का विकास करेंगे।
* सहायक सामग्री निर्माण हेतु बी०आर०सी० पर कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

विभिन्न वर्षो में शिक्षक, शिक्षा मित्र (प्रा० स्तर) एवं शिक्षक (उ०प्रा०स्तर) की स्थिति :-

वर्ष	प्रा० स्तर			उ०प्रा०स्तर	योग
	शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग	शिक्षक	प्रा० स्तर एवं उ०प्रा०
2003-04	4002	1367	5369	1267	6636
2004-05	4128	1493	5621	1267	6888
2005-06	4195	1559	5754	1267	7021
2006-07	4263	1627	5890	1267	7157

कार्यक्रम सारिणी वर्षवार

क्र०सं०	आयोजन	सन्दर्भ पत्र	माड्यूल विकास	सन्दर्भ व्यक्ति चयन कार्यशाला	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण स्तर/ प्रतिभागी	प्रशिक्षण अवधि	यूनिट कास्ट	उद्देश्य	पर्यवेक्षण/अनुश्रवण
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट द्वारा निर्धारित दिक्सूचक चक्र	सन्दर्भ दाताओं/विशेषज्ञों/शिक्षकों से परामर्श कर	N.G.O./ शिक्षा मित्र	S.R.G/ D.R.G.	B.R.C./डायट	A.B.S.A./ S.D.I. प्रशिक्षक/ शिक्षा मित्र/ N.G.O.W.	3 दिन		प्रशिक्षण क्षेत्रों का चयन	B.R.C. N.P.R.C. /MM.V. /B.S.A.
2.	बैठकें बहु स्तरीय	डायट द्वारा निर्धारित दिक्सूचक चक्र	सन्दर्भ दाताओं/विशेषज्ञों/शिक्षकों से परामर्श कर	B.R.C./A.B.R.C./N.P.R.C./A.B.S.A., S.D.I.	B.R.C./ N.P.R.C.	B.R.C./डायट	ग्राम प्रधान /N.G.O.S. M.P.M.L.A ब्लाक प्रमुख	1 दिन		आवश्यकता पहचान	डायट/ B.S.A.
3.	छात्र सभाएं	B.R.C द्वारा निर्धारित दिक्सूचक चक्र	B.R.C./A.B.R.C.द्वारा निर्धारित	A.B.R.C.C. B.R.C.C..	A.B.R.C./ B.R.C.	N.P.R.C./B.R.C.	8-14 वर्ष के छात्र	2 दिन		अध्यापक व छात्र सामंजस्य जानना	डायट/ B.S.A.
4.	अभिभावक गोष्ठियां	N.P.R.C. द्वारा निर्धारित दिक्सूचक चक्र		N.P.R.C. , H.T		P.S./N.P.R.C.	अभिभावक	1 दिन		अभिभावक में शैक्षिक जागरूकता	B.R.C. डायट/ N.P.R.C. B.S.A.

क्र०सं०	आयोजन	सन्दर्भ पत्र	माड्यूल विकास	सन्दर्भ व्यक्ति चयन कार्यशाला	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण स्तर/ प्रतिभागी	प्रशिक्षण अवधि	यूनिट कास्ट	उद्देश्य	पर्यवेक्षण/ अनुश्रवण
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	अभिप्रेरणा-त्मक अवधाराणात्मक विषय वस्तु आधारित	डायट द्वारा	B.R.C. N.P.R.C. A.B.R.C. डायट	A.B.R.C./ B.R.C. शिक्षक/ शिक्षा मित्र डायट प्रवक्ता	डायट/ प्रशिक्षकों हेतु B.R.C./ शिखकों हेतु	पू०मा०वि० शिक्षक	8 दिन		शिक्षकों को जगाना/विषयों और अवधारको से परिचय	D.P.O.
6.	शिक्षक प्रशिक्षण	स्थानीय पाट्यक्रम	डायट द्वारा	B.R.C. A.B.R.C.	Teacher शिक्षामित्र N.G.O.S.	डायट B.R.C.	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा मित्र	5 दिन		स्थानीय विशेषताओं और जानकारियो का विकास	D.P.O. डायट
7.	शिक्षक प्रशिक्षण	पाट्य सह भागीय क्रिया कलाप	डायट द्वारा	B.R.C. A.B.R.C.	Teacher शिक्षामित्र N.G.O.S.	डायट B.R.C.	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा मित्र	5 दिन		खेलों, सास्कृतिक प्रतिमाओं के विकास के लक्ष्यों में वृद्धि	D.P.O. डायट
8.	V.E.C. आीनवीकरण	प्रति वर्ष एक बार	डायट द्वारा	B.R.C. A.B.R.C. N.G.O.S.	B.R.C. A.B.R.C. N.G.O.S.	Member of V.E.C.	Member of V.E.C.	2 दिन		ग्रा०शि०सं० का विद्यालयों के प्रति लगाव	D.P.O. डायट
9.	E.C.C.E. केन्द्र प्रति विकास क्षेत्र	20 केन्द्र चयन प्रति ब्लाक	S.C.E.RT डायट द्वारा	B.R.C. A.B.R.C.	" एवं M.T	B.R.C.	आगन बाड़ी कार्यकत्री, सहायिका	5 दिन		केन्दों पर बच्चो के ठहराव/नवाचार के प्रति जुड़वा	"

प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन०पी०आर०सी० की भूमिका :-

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्य योजना विकसित करेंगे।

शिक्षकों के लिये मासिक प्रशिक्षणों कार्यशालाओं को आयोजित करेंगे।

विधालयों वैकल्पिक शिक्षा ई०सी०सी०ई० तथा ई०जी०एस० केन्द्रों का आकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति महिला अभिप्रेरक समूह अभिभावक संघ माता शिक्षक संघ को प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

* ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का संलग्न तथा विश्लेषण करेंगें।

* विद्यालय का अनुश्रवण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण करेगें।

* शोध एंव मूल्यांकन अध्यन मे अध्यापकों का सहयोग करेंगे।

* स्कूल डेवलपमेन्ट पलान का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।

* संकुल प्रधारी अभिभावकों शिक्षकों तथा वच्चों के लिए एक सीट केन्द्र के रुप मे अपने आप विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम :-

डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जन समुदाय की बैठक की गयी जिसमें ग्राम शिक्षा समिति स्कूल न जाने वाले वच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले वच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग किया जिसमे यह संज्ञान मे आया की जो बच्चे अपने व्यवसाय मे संलग्न होने के कारण विद्यालय मे नही जाते हैं। या जिन्होने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना वंद कर दिया है उन्हे पुनः विद्यालय मे लाने के लिए ठहराव बनाये रखने के लिए तथा उन्हे स्वालम्वी बनाने हेतु कौशल विकास के पक्ष में करने के लिए कार्य अनुभव प्रशिक्षण कराए जाने पर प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों के लिए उनकी आवश्यकता के लिए फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, फूड आवजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका स्तर, विद्यालय मे ठहराव बनाये रखने के लिय प्रभावी होगा। इस आधर पर वालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को संतकवीर नगर मे नवाचार कार्यक्रम के रुप मे संचालित किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद मे सभी विकास खण्डों से इन्हे उच्च प्राथमिक विद्यालयों कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित करके इस योजना मे प्रत्येक विद्यालय स्थानीय आवश्यकता के अनुसार वहां पर वच्चों के कौशल मे प्रशिक्षित कर उनमे दक्षता का विकास किया जायेगा। यह कार्यानुभव प्रशिक्षण इस प्रकार से नियोजित किया जायेगा की विद्यालयों में कच्चा माल लाकर उससे सामान

तैयार किया जायेगा। उसको बेच करके प्राप्त बचत धनराशि से कुछ अंश बालक, बालिकाओं को पारिश्रमिक के रुप में दिया जायेगा इस प्रकार यह प्रकिया निरन्तर चलती रहेगी उक्त कार्यानुभव प्राशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवशकता के आधार पर सभी उ०प्रा० विद्यालय में लागू किया जायेगा।

बच्चों के लिये सामग्री विकास :-

बच्चों के लिये पाठ्यपुस्तक सामग्री निर्माण :-

पुस्तकों के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण साम्रगी का विकास किया जायेगा। जिसमें स्थानीय विशेषज्ञों जनपद स्तर की विभूतियों भौगोलिक एवं एतिहासिक स्थलों की जानकारी आदि दी जा सकती है। बच्चों को स्थानों के महत्व व महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी हेतु इन्हे पाठ्यक्रम में रखा जायेगा। बच्चों को प्रेरणा देने के लिये इसे मेटेरियल विकास में रखने के लिये प्रयास किया जायगा। विषय वस्तु की विकास के लिए विभिन्न स्तरों प्राथमिक/माध्यमिक के शिक्षकों स्थानीय शिक्षा विधियों समाजसेवी व्यक्तियों की कार्यशालायें करायी जायेंगी। स्थानीय सहित्यकारों से भी मदद् लिया जायेगा।

कक्षा की प्रक्रिया मे समुदाय/अभिभावको की भागीदारी बढ़ाना :-

समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों का गठन करके प्रयास किया गया है ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें प्रतिमाह आयोजित किए जाने की व्यवस्था है। लेकिन व्वाहारिक रुप में यह देखने मे आता है कि बैठके नियामित रुप से आयोजित नही होती है। और जब आयोजित होती हैं तो इनका मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही रहती है। बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर विचार नही किया जाता है। इनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया जायेगा। इसके लिये समुदाय के अध्यापकों को कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया देखने की आवश्यकता है। जिसमे बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न हो। और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालय के साथ-साथ चेयर पर भी ध्यान दिया जाए। समय-समय पर बच्चों के अभिभावकों को उनके शैक्षिक उपलब्धि से भी अवगत कराया जायगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में बच्चों को सम्मानित किया जायगा जिसमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृति हो। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यकर्ताओं का सहयोग विद्यालय शिक्षण मे मिल सकेगा। विद्यालय से जुड़कर समुदाय इसे अपना ही अभिन्न अंग मानेगा। यह सोंच विद्यालय की प्रगति विकास मे महत्तवपूर्ण होगी। डायट भवन बस्ती मे भवन तथा छात्रावास का निर्माण कार्य अधूरा है। इसे पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता है। बिना भवन पूर्ण किए हुए किसी भी योजना का संचालन सुचारु रुप से कर पाना संभव नही है। डायट के लिये 250 कुर्सी 250 मेज कक्षा कक्ष के लिए आवश्यकता है। छात्रावास के लिए 100 तख्त 100 गद्दे एंव 100 तकिए की आवश्यकता है।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्बर्धनः-

मद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	-
उप प्राचार्य	01	01	-
वरिष्ठ प्रवक्ता।	06	01	05
प्रवक्ता	17	05	12
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	-
तकनीकी सहायक	01	01	-
सांख्यिकी कार	01	01	-
प्रति नियुक्ति पर तैनात प्रथामिक	-	-	-
विद्यालय के शिक्षकों की संख्या	07	-	-

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास सम्बन्धी विवरणः-

संकाय के सदस्यों को प्रशिक्षणों आदि के आयोजन में तथा दैनिक कार्यों के सम्पादन की सुविधा की ।

दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। संस्थान के सदस्यों को सामेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण लिए जाने की आवश्यकता है।

लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षित किया जाना।

मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों / टेस्ट के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण।

क्रियात्मक शोध संबन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किए जाने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार / प्रोत्साहन की व्यवस्थाः-

जनपद मे विभिन्न स्तरो पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कायक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा। कार्यक्रमों की सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड न्याय पंचायत तथा शिक्षा समितियों एंव शिक्षकों की महत्तवपूर्ण भूमिका है। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन विशेष कर गुणवत्ता विकास कने हेतु कार्यक्रम को सुचारु रुप से संचालन एंव प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टिकोंण से तहसील ब्लाक तथा संकुल स्तरों पर कार्यरत अभिक्रमियों एंव शिक्षकों मे प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्तम कार्य करने वालो को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुररकृत भी किया जायेगा।

प्रतिवर्ष जनपद मे उत्तम कार्य निस्पादन वाले दो समन्वयक को रुपये 10000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड मे एक संकुल प्रभारी को रुपये 7000 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा । इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड मे से कार्य-कुशलता के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रूपया 15000 तथा रूपया 10000 की दर से पुरस्कार दिया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय के विकास कार्यों में करेंगे। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के लिए पठन-पाठन के उत्तम माप दण्ड स्थापित करने की दृष्टि कोण से योग्य शिक्षकों के प्रत्येक विकास खण्ड में से एक-एक अध्यापक को चिन्हित कर पुरस्कृति किया जाएगा तथा इस हेतु उन्हे रूपया 5000 दिया जाएगा पुरस्कार के धनराशि का उपयोग बी०आर०सी० समन्वयक, संकुल प्रभारियों व शिक्षकों के ज्ञान का विकास पर किया जाएगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिताः-

विद्यालयों में शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद दिसम्बर एवं वार्षिक परीक्षा के बाद मई में विद्यालय समारोह कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र विकास के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जाएंगे तथा बच्चों की शैक्षिक समप्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्षवार प्रस्तावित क्रियाकलापों की कार्य योजना

क्र. सं.	क्रिया-कलाप	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य
1.	प्रशिक्षण								
1.	सेवारत प्रा.शि.प्रशि.	सि., अक्टूबर	5369	सि., अक्टूबर	5621	सि., अक्टूबर	5754	सि., अक्टूबर	5890
2.	सेवारत उ०प्रा०शि०प्रशि०	अक्टूबर, नव.	1267	अक्टूबर, नव.	1267	अक्टूबर, नव.	1267	अक्टूबर, नव.	1267
3.	प्रधानाध्यापक के नेतृत्व सम्वर्धन प्रशि.	सितम्बर से नवम्बर	52	सितम्बर से नवम्बर	56	सितम्बर से नवम्बर	56	सितम्बर से नवम्बर	56
4.	बी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. समन्वयक प्रशि.	15 सि. से 10 अक्टू.	165	15 सि. से 10 अक्टू.	167	15 सि. से 10 अक्टू.	167	15 सि. से 10 अक्टू.	167
5.	वै.शि.अनुदेशक	सितम्बर	51	सितम्बर	51	-	-	-	-
6.	शिक्षा गारंटी योजना	नवम्बर	117	नवम्बर	117	-	-	-	-
7.	मास्टर ट्रेनर्स	नवम्बर	52	नवम्बर	56	नवम्बर	56	नवम्बर	56
8.	शिक्षा मित्रों का पुनर्बोधा.	जून, जुलाई	140	जून, जुलाई	650	जून, जुलाई	1355	जून, जुलाई	67
9.	शि.मित्रों बोधात्मक	जून, जुलाई	650	जून, जुलाई	1355	जून, जुलाई	67	जून, जुलाई	68
10.	बृज कोर्स	अक्टू०	180	अक्टू०	180	-	-	-	-
11.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशि.	सि०,अक्टू०	1103	सि०,अक्टू०	1103	सि०,अक्टू०	1103	सि०,अक्टू०	1103
12.	समेकित शिक्षा	सि०,अक्टू०	2600	सि०,अक्टू०	2600	सि०,अक्टू०	2600	सि०,अक्टू०	2600

क्र. सं.	क्रिया-कलाप	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य
2.	कार्यशालायें/गोष्ठियां								
	1. शिक्षक सन्दर्शिका का पुनर्वलन सम्बन्धित कार्यशाला	अक्टू०	130	फरवरी	130	नव०	130	अक्टू०	130
	2. टी.एल.एम. निर्माण	दिसम्बर	1600	दिसम्बर	1600	जून	1600	जून	1600
	3. सम्पूर्ण गुणवत्का प्रवन्ध गोष्ठी	जु०	1500	जु०	1500	जु०	1500	जु०	1500
	4. आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण एवं मू०	फरवरी	1500	फरवरी	1500	फरवरी	1500	फरवरी	1500
	5. मूल्यपरक शि. पर संगोष्ठी	सि०	1500	सि०	1500	सि०	1500	सि०	1500
3.	प्रदर्शनी / मेला	फरवरी	56	फरवरी	56	फरवरी	56	फरवरी	56
4.	प्रतियोगितायें	नवम्बर	5	नवम्बर	5	नवम्बर	5	नवम्बर	5
5.	शोधकार्य	जु० से मार्च	1562	जु० से मार्च	1562	जु० से मार्च	1562	जु० से मार्च	1562
6.	प्रोत्साहन योजनायें	मार्च	50	मार्च	50	मार्च	50	मार्च	50

अध्याय-10

परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

यह परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इस की अवधि जनवरी, 2001 से 2010 तक होगी। इस अवधि में 6-14 आयु वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ०प्र० में सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सम्पादित किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा और इसके व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर होंगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि वह अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगा।

संगठनात्मक ढ़ांचा – नीतिनिर्धारण

जनपद स्तरीय समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिले स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी इसके उपाध्यक्ष तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं। समिति का गठन निम्नवत् हैं-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
4.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
5.	जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
6.	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
7.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, पी०डब्लू०डी०	सदस्य
9.	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सदस्य
10.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11.	दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से)	सदस्य
12.	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्णमाला क्रम से एक वर्ष के लिए)	
13.	दो शिक्षक (राष्ट्रपति/राज्य पुरस्कार प्राप्त)	
14.	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	

1. जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :-

(अ) यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति- नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार तथा जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगों को मान्य होंगे। प्रवेश, धारण गुणवत्ता संवर्धन तथा निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण तथा प्रचार-प्रसार के सभी कार्य इसी समिति के द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर पर सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

(ब) जिला बेसिक शिक्षा समिति :

परियोजना के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु स्थल चयन करने के लिए जिले स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति पूर्व से ही गठित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष है तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सचिव है।

इस समिति का गठन निम्नवत् हैं-

1.	अध्यक्ष जिला पंचायत	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य, सचिव
3.	जिले के सभी मा० सांसद, सदस्य विधानसभा एवं विधान परिषद	सदस्य
4.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
5.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
6.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
7.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
8.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
9.	दो विकास खण्ड के क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामित)	सदस्य
10.	दो सदस्य जिला पंचायत	सदस्य

2. क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा के अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम का निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य, सचिव
3.	प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
5.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

इस सर्व शिक्षा के अन्तर्गत समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना के समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुसरण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एंव जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम स्तर पर यह समिति नीति निर्धारण के साथ- साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रुप मे कार्य करेगी विद्यालय के विकास सम्बन्धी समस्त कार्य तथा विद्यालय परिसर में सुधार विद्यालय भवनों का निर्माण शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति विद्यालय की स्वच्छता आदि कार्य इसी समिति के देख-रेख में सम्पन्न किया जायेगा। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त नामांकन धारण शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार एंव आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करना इसी समिति का दायित्व है।

समिति का स्वरुप निम्नवत है:-

1.	ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2.	प्रधानाध्यापक	सदस्य सचिव
3.	तीन अभिभावक जिसमें एक महिला होगी	(स०बे०शि०अधिकारी द्वारा मनोनीत)

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (convergense) इसी समिति का अधिकार एव दायित्व दोनो हें। शिक्षा, मित्रों, अनुदेशकों, आंगन वाड़ी केन्द्रों के स्टाफ का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा किये जायेगे। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण पर नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्वेक्षण में किया जायेगा।

प्रशासनिक तन्त्र-

1. जिला परियोजना कार्यालय :-

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एंव कार्यक्रमो का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन तथा मार्ग दर्शन मे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य मे जिला बेसिाक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिलां परियोजना कार्यलया मे निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगेः

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी		पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी		(ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)
3.	समन्वयक	4	
4.	सलाहकार	2	रू० 10,000/- नियत वेतन प्रतिमाह
5.	कम्प्यूटर आपरेटर	1	रू० 7,000/- नियत वेतन प्रतिमाह
6.	सहायक लेखाधिकारी	1	
7.	लिपिक	1	
8.	परिचारक	1	

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्वेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे।

कम्प्यूटर :-

जनपद बस्ती में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर तथा यू०पी०एस० क्रय किया गया था। कम्प्यूटर पेन्टियम 2 होने के कारण कार्य का निस्तारण त्रीव गति से सम्भव नहीं है। अतः परियोजना कार्यालय के लिए निम्नलिखित प्रकार का एक कम्प्यूटर प्रिन्टर सहित क्रय किये जाने का प्रस्ताव है।

1- कम्प्यूटर (मल्टीमीडिया) पेन्टियम - 4

(i) 256 एम०बी० रैम
(ii) 80 जी०बी० हार्डडिस्क
(iii) सी०डी० रैम सहित (Drive)

2- प्रिन्टर लेजर या इंकजेट कलर

3- यू०पी०एस० 1000 वाट

4- साफ्टवेयर

(i) विण्डो 2001
(ii) आटो लैड
(iii) टैली - 5
(iv) ओरेकल
(v) एम०एस० आफिस 2000
(vi) जावा

5- 1.5 टन ए०सी०

मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में कम्प्यूटराइज्ड ई०एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में पूर्व से ही ई०एम०आई०एस० स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है किन्तु सिस्टम बहुत पुराना होने के कारण उस पर ई०एम०आई०एस० सम्बन्धित कार्य कराने में कठिनाई को देखते हुए एक नया कम्प्यूटर सिस्टम क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए दो कम्प्यूटर आपरेटर्स की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। अनौपचारिक शिक्षा के अनतर्गत जो कम्प्यूटर स्थापित है, उससे शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। पूर्व से स्थापित एम०आई०एस० में उपलब्ध कम्प्यूटर पर विद्यालय सांख्यिकी (ई०एम०आई०एस०) तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन से सम्बन्धित कार्य किया जायेगा।

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, संकुल प्रभारी, बी०आर०सी० समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा तथा उन्हें ई०एम०आई०एस० सम्बन्धी प्रपत्र तथा उसे भरने संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों के लिए नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध है जिस पर प्रति वर्ष वार्षिक विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा तथा कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- सकल नामांकन अनुपात, नेट एनरोलमेन्ट रेशियो, ड्राप आउट दर, छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात आदि तथा विश्लेषण आंकड़ों का प्रति वर्ष वार्षिक योजना के निर्माण में कार्यक्रम निर्धारण हेतु उपयोग किया जायेगा। ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ो तथा माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों दोनो का समग्र रूप से विश्लेषण करते हुए स्कूल से बाहर बच्चों का ऑकलन किया जायेगा और उनकी शिक्षा के लिए वार्षिक कार्य योजना में कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

2. प्रशासनिक संगठन- ब्लाक स्तर :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में बेसिक शिक्षा अधिकारी को विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे-

1. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
2. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
3. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक करना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
5. सभी प्रकार के छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित करना तथा सूचना एकत्र करना।
6. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।
7. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
8. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के भी समन्वय स्थापित करना।
9. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित कराना।

विकास खण्ड में कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ई०जी०एस० तथा ए०आई०ई० के संचालन तथा अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे। इन केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण तथा कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना समिति को उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। जिन विकास खण्डों में प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत नहीं है, उन विकास खण्डों में वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विकास खण्ड कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे। सहायक बेसिक शिक्षा की क्षमता में वृद्धि के लिए मोटर सायकिल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

गुणवत्ता मूल के संगठन :-

(अ) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता के सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदृढ़ किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे-

1. सन्दर्भ व्यक्तियों को तैयार करना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा के अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों से अपने स्टाफ से सुसज्जित करना। जिससे जिले स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना है।
4. जिले स्तर के शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन देना।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।
8. जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेसलाइन सर्वे कराना।
10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

यद्यपि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षमता सम्वर्धन किया गया है परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा साथ-साथ उच्च प्रा० शिक्षा को भी सम्मिलित किये जाने के कारण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न मदों में धनराशि प्रावधानित की गयी है।

(ब) ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०) :

इस जनपद मं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रो के भवनो का निर्माण कराया जा चुका है। एक नवसृचित विकास खण्ड 2003 दुबौलिया बाजार के भवन का प्रस्ताव किया गया। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एंव सुसज्जित है। यहां समन्यवयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन के ऊपर एक अतिरिक्त सह समन्वयक कापद सृजित किया गया है। जो सहायक बेशिक शिक्षा अधिकारी की परियोजना कार्य के पर्यवेक्षण सूचना को एकत्रित करना, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

कार्य एवं दायित्व :

1. अध्यापको को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा सकता है अथवा नही।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गटन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रुप मे कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर क अधिकारियों एंव अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित मे उसका नियोजन करना।

(स) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०) :

इस जनपद मे सभी 139 न्याय पंचायत सेसाधन केन्द्रों का निर्माण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ सकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हे प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एंव क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों को एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापको की सप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एंव उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों मे गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एंव सूक्ष्म नियोजन।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न **कार्यक्रम आयोजित** किये गये है तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर **पर प्रदर्शनी**, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के **माध्यम से किया** जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा [illegible] केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों / वाद विवाद / वार्ताओं के प्रसारण [illegible] प्रसारित [illegible]

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम-सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित, आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में .....05..... प्राथमिक एवं .....05..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 में 15 एवं 2003-04 में 130 कि की प्राप्ति हो चुकी है। कुल लक्ष्य 622 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	230	
2005-06	230	
2006-07	17	
योग	477	

SARVA SHIKSHA ABHIYAN AWP&B (2003-04)

Basti

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2003-2004	
		Cost	Phy	Fin
A	ACCESS			
A1	New Primary School Unserved	259	50	12950
A2	New Upper Primary Schools	451	103	28840
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	69	8280
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	50	675
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	50	2700
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	309	18540
A8	Teaching Learning Equipment		0	
A8.1	PS	10	50	500
A8.2	UPS	50	103	5150
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total		0	77635
	Interventions for out of school children		0	
A11	Alternative Schools		0	
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.845	117	2471.625
A11.2	Honraria	1	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0
A11.4	Contingency	0.468	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0
A12	Ghar	0.845	51	1077.375
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	3	540
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	139	4698.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	86422.20
R	RETENTION		0	
R1	Reconstruction - PS	191	20	3820
R2	Reconstruction - UPS	383	5	1915
R3	Additional Classrooms		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	39	2730
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910
R4.1	Toilets Upper Primary	10	39	390
R4.2	Toilets Primary	10	130	1300
R5.1	Drinking Water Primary	15	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	43	645
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	1346	6730
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	217	1085
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0

R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	0	0
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	1317	17780
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	1371	2742
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	317	634
R12	Promoting Girls Education		0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0
R12.2	MCDA	75	0	0
R12.3	Meena Manch	4	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
R13.2	TLM(per center)	5	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0
R13.5	Training		0	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0
R16	Community Mobilization		0	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	1077	516.96
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	5000
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	46197.46
Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	
Q1	Training Pnygrammes		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perscon for 30 days)	2.1	650	1365
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	4848	6787.2
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	913	958.65
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.7	days)	0.07	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	39	89.7
Q2.2	Printing of Modules	9	11	99
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	13	65
Q2.5	Support Services	5	1	5
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th /batch of 32 teachers	17.2	49	842.8
Q2.8	Aids and Appliances	15	3	45
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	1	10
Q2.10	Awareness workshop	5.3	13	68.9
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	1	20
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	19	167.2
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	22	28.82
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0

Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	5048	2524
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1813	906.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	152373	7618.65
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	25074	3761.1
Q5.5	School Library	0.15	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
Q5.9	Schools Awards	25	0	0
	QUALITY Sub Total		0	25362.52
C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	DIET Capacity Building		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	
C2.1	Civil Construction	800	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	13	78
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	13	65
C2.10	Consumables	5.0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	13	162.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0
C3.1	Construction	70	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	139	139
C3.4	Contingency	2.5	139	347.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	139	333.6
C4	District Project Office/Management		0	0

C4.1	Staffing		0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	945
C4.3	Salary of AE	15	1	90
C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	13	130
C4.9	Consumaables	40	1	40
C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
C4.12	Pay to JE	10	13	780
C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	1346	1884.4
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	217	303.8
C4.16	Contingency	100	1	100
C4.17	AWP & B	10	1	30
	Total		0	5628.8
C5	MIS		0	
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	0
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	1	144
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	13	1	117
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	1	20
C5.6	Computer Software	20	1	20
C5.7	Upgradation and Networking	30	1	30
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	1	40
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	1	20
C5.10	Computer Consumable	25	1	25
C5.11	Training Of Computor Staff	10	1	10
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	1	25
	CAPACITY Sub Total			6179.8
	GRAND TOTAL		0	164161.98

PROJECT COST –

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

Basti

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	50	12950	0	0	5	1280	0	0	55	14230
A2	New Upper Primary Schools	451	23	10373	103	28840	0	0	5	1400	0	0	131	40613
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	69	7740	69	8280	69	6280	69	8280	69	8280	345	40860
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	50	675	50	1237.5	55	1361.25	55	1361.25	210	4635
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	50	2700	50	5400	55	5940	55	5940	210	19980
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	309	18540	309	37080	324	38880	324	38880	1266	133380
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	50	500	0	0	5	50	0	0	55	550
A8.2	UPS	50	43	2150	103	5150	0	0	5	250	0	0	151	7550
A9	TLE UPS not covered OBB	50	50	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**22763**	0	**77635**	0	**52197.5**	0	**57641.25**	0	**54661.25**		**264898**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	117	2471.625	167	3527.875	167	3527.875	0	0	451	9527.375
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	51	1077.375	101	2133.625	101	2133.625	101	2133.625	354	7478.25
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	3	540	3	540	0	0	0	0	6	1080
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	139	4698.2	139	4698.2	0	0	0	0	278	9396.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**22763.00**	0	**86422.20**	0	**83347.20**	0	**63662.75**	0	**57044.88**	**0**	**293130.03**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	20	3620	10	1910	10	1910	16	3056	56	10696
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	5	1915	5	1915	5	1915	4	1532	19	7277
R3	***Additional Classrooms***		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	39	2730	142	9940	175	12250	65	4550	421	29470
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	13	910	9	630	0	0	0	0	34	2380
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	39	390	0	0	0	0	0	0	39	390
R4.2	Toilets Primary	10	15	150	130	1300	230	2300	230	2300	17	170	622	6220
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	163	2934	0	0	0	0	163	2934
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	43	645	10	180	0	0	0	0	53	825
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1346	6730	1396	6980	1396	6960	1401	7005	5539	27695
		5	186	930	217	1085	320	1600	320	1600	325	1625	1368	6840
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2.25	0	0	0	0	1317	32595.75	1956	48411	2022	50044 5	5295	131051.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	589	56544	656	62976	724	69504	1969	189024
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1317	17780	639	15815 25	66	1633 5	67	1658 25	2089	36886 5
R10.1	School Improvement grant(p a./schoo) Ps	2	0	0	1371	2742	1396	2792	1401	2802	1101	2802	5569	11138
R10 2	School Improvement grant(p a./school) UPs	2	188	372	317	634	417	834	422	844	422	844	1764	3528
R12	**Promoting Girls Education**		0	1087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	13	58 5	0	0	0	0	13	58 5
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	3	225	3	225	0	0	6	450
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	14	56	14	56	14	56	42	168
R12 4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	5	125	10	250	14	350	29	725
R12 5	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0 07	0	0	0	0	30	42	42	58 8	42	58 8	114	159 6
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn Of Instructor + Worker(per mth)	0.38	0	0	0	0	85	318 75	85	318 75	85	318 75	255	956.25
R13 4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	85	127.5	85	127 5	85	127 5	255	382.5
R13 5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13 5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	85	5 95	85	5 95	85	5 95	255	17.85
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16 1	MTA/PTA training for 2 days per person	0 07	0	0	0	0	480	1344	480	1344	0	0	960	2688
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	139	695	139	695	0	0	278	1390
R16.3	Trg of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/VEC	0.48	0	0	1077	516 96	1077	516 96	1077	516 96	1077	516 98	4308	2067 84
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	662	0	0	7	466 9	7	466 9	7	466 9	21	2062 7
R20	Computer Edu. For UPS (equip)/UPS-Innovative Prog	60	0	1400	0	5000	5	300	5	300	5	300	15	7300
R21	School Health Check up 'School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1716	4290	1716	4290	1716	4290	5148	12870
	RETENTION Sub Total		0	**6441**	0	**46197.46**	0	**145591.6**	0	**152326.36**	0	**149331.61**	0	**498887.99**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	650	1365	62	130 2	11	23 1	67	140 7	790	1659
Q1.2	Induction Trg. For Asst Teacher(/person for 30 days)	0.07	129	270 9	0	0	61	128 1	87	182.7	68	142 8	345	724 5
Q1 3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1 4	0	0	4848	6787 2	4591	6427 4	4663	6528 2	4731	6623 4	18833	26366.2
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1 05	913	1278 2	913	958 65	1267	1330 35	1282	1346 1	1282	1346 1	5657	6259 4
Q1 5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0 07	0	0	0	0	1956	2738 4	2027	2837 8	2094	2931 6	6077	8507 8
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0 07	0	0	0	0	100	210	0	0	0	0	100	210
Q1 7	Trg Of BRC coordinators/Asst Coordinators(/person for 10 days)	0 07	0	0	0	0	28	19 6	28	19 6	0	0	56	39.2
Q1 8	*Trg Of NPRC coordinators(/person for 10 days)*	*0.07*	*0*	*0*	0	0	139	97 3	139	97.3	139	97 3	417	291.9
Q1.9	Trg Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0 07	0	0	0	0	65	91	65	91	0	0	130	182
Q 10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	15	5 25	15	5 25	0	0	30	10.5
Q2	IED Provision for disable child en	1.2	742	296.8	1201	1441 2	1342	8052	1446	8676	1555	933	6286	27796
Q2.1	IED-Medical Assessement	2 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.10	Awareness workshop	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Pig. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	5048	2524	6547	3273.5	6690	3345	6825	3412.5	25110	12555
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1042	521	1813	906.5	1654	827	1669	834.5	1669	834.5	7847	3923.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	152373	7618.65	178142	8907.1	181705	9085.25	185339	9266.95	697559	34877.95
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	22606	3390.9	25074	3761.1	30933	4639.95	35333	5299.95	37968	5695.2	151914	22787.1
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	51	2.55	101	5.05	101	5.05	253	12.65
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1396	20940	1396	20940	1396	20940	4188	62820
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	320	2400	320	2400	320	2400	960	7200
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUALITY Sub Total		0	**5757.8**	0	**25362.3**	0	**60242.2**	0	**61739.3**	0	**63188.6**		**216290.2**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	1	800	0	0	0	0	1	800
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	13	78	14	84	14	84	14	84	55	330
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	13	26	14	28	14	28	41	82
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	13	65	14	70	14	70	14	70	55	275
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	13	162.5	14	175	14	175	14	175	55	687.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	...y Coordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	139	695	139	695	139	695	417	2085
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	139	139	139	139	139	139	139	139	556	556
C3.4	Contingency	2.5	0	0	139	347.5	139	347.5	139	347.5	139	347.5	556	1390
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	139	333.6	139	333.6	139	333.6	139	333.6	556	1334.4
C4	District Project Office/Management		0	510	0	2315	0	0	0	0	0	0	0	2825
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	1	10
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	14	140	14	140	14	140	42	420
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	14	1680	14	1680	14	1680	42	5040
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	1346	1884.4	1396	1954.4	1396	1954.4	1396	1954.4	5534	7747.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	229	320.6	217	303.8	320	448	320	448	320	448	1406	1968.4
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**830.6**	0	**6628.8**	0	**8662.5**	0	**7854.5**	0	**7854.5**		**30830.9**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	551	0	0	0	0	0	0	1	551
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**830.6**		**6179.8**	0	**9186.5**	0	**8378.5**	0	**8278.5**	**0**	**32853.9**
	GRAND TOTAL		0	**34792.4**	0	**164161.76**	0	**278367.46**	0	**285996.91**	0	**277843.59**	**0**	**1041152.12**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention													**Basti**
			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			11363.0		53500.0		19809.0		21055.0		9308.0		115035.0
Management			320.6		2188.2		6516.4		6506.4		6406.4		22489.0
Programme			23108.8		108473.6		252042.1		258435.5		262129.2		903638.1
Total			**34792.4**		**164181.8**		**278367.5**		**285996.9**		**277843.6**		**1041162.1**
Percentage - Civil			**32.7**		**32.6**		**7.1**		**7.4**		**3.4**		**11.0**
Percentage - Management			**0.9**		**1.3**		**2.3**		**2.3**		**2.3**		**2.2**
Percentage - Programme			**66.4**		**66.1**		**90.5**		**90.4**		**94.3**		**86.8**
Percentage - Total			100		100		100		100		100		100